खण्ड-150, अंक-2
मंगलवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(1 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

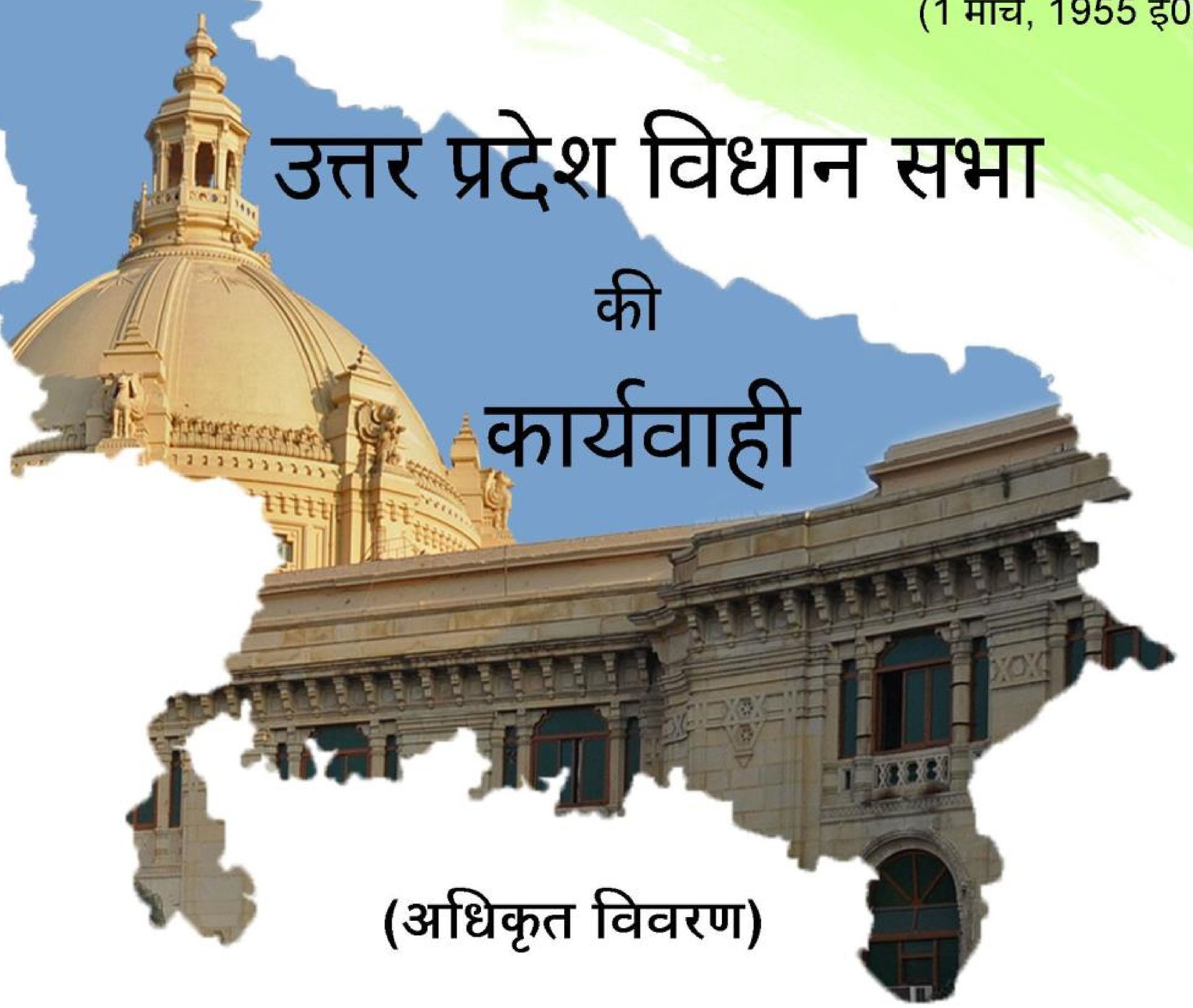

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 150 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

मंगलवार, १ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हसेन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवतीदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मानधाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजेंद्र दत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवाल, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री

रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विश्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखको शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्री मती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम, शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री

हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १ मार्च, १९५५

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में पंचायत कर की वसूली

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी के पास ऐसी शिकायत आई है कि आजमगढ़ जिले के बाढ-पीड़ित एवं सूखा पीड़ित क्षेत्रों में भी पंचायत टैक्स बड़ी सख्ती के साथ वसूल किया जा रहा है ?

स्वशासन उप-मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—जी नहीं।

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ और सूखा पीड़ित क्षेत्रों की कई पंचायतों ने टैक्सों की मुआफी के प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—केवल ग्राम सभा सिसवा ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सूखा बाढ़ क्षेत्रों में पंचायत कर की वसूली मुल्तवी की जाय या न वसूल हो इस तरह के कोई सरकारी आदेश जिलाधिकारियों को भेजे गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—टैक्स माफ करने की कोई आज्ञा जारी नहीं की गई किन्तु वसूल करने के लिये सख्ती न की जाय इसकी आज्ञा जारी की गई।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि इस प्रकार का कोई आदेश गया है कि जो ग्रामीण पंचायत का टैक्स नहीं देगा वह अगले पंचायत के चुनाव में हिस्सा न ले सकेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, वे लोग खड़े नहीं हो सकेंगे यह कानून की एक धारा है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस सख्ती का इस प्रश्न में जिक्र है उस सख्ती में कुर्की और नीलाम भी शामिल है ?

श्री कैलाश प्रकाश—कोई ऐसी सख्ती नहीं की गई।

श्री गेंदासिंह—क्या कुर्की और नीलाम के जरिये पंचायत टैक्सों की वसूली की जा रही है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—कोई ऐसी सूचना यहां नहीं है।

आजमगढ़ जिले के विभिन्न निकायों को सड़कों की मरम्मत के लिये सहायता

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की अलीगढ़ और मऊ नगरपालिका तथा कोपागंज, अमिला, दोहरीघाट, मुहम्मदाबाद, मुबारकपुर, फूलपुर, निजामाबाद और अतरौलिया टाउन एरियाओं को सन् ५३–५४ के वित्तीय वर्ष में विकास के लिये कितना कितना कर्ज एवं सहायता प्रदान की गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश--इस प्रश्न में उल्लिखित नगरपालिकाओं और टाउन एरियाओं में से केवल निम्नांकित को सन् ५३-५४ में निम्नलिखित कर्ज (Loan) अथवा अनुदान (Grant) सड़कों की मरम्मत के लिये दिया गया।

नाम	धनराशि
	रु०
नगरपालिका, आजमगढ़	४५,००० अनुदान
नगरपालिका, मऊ	३०,००० अनुदान
टाउनएरिया, अमिला	२,००० कर्ज
टाउन एरिया, मोहम्मदाबाद	५,२५० अनुदान

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टाउन एरिया दोहरीघाट, कोपागंज, मुबारकपुर, फूलपुर, अतरौलिया में क्यों नहीं कोई सहायता प्रदान की गई?

श्री कैलाश प्रकाश--क्योंकि इस समय कोई रुपया सरकार के पास नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार इन टाउन एरियाज को सहायता देगी?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार के पास जो और टाउन एरियाज से मांग आती है उन सब पर विचार करके इस बात का निर्णय करेगी।

आजमगढ़ जिले में पनइल बिहटा नलकूप क्षेत्र की सर्विस रोड को जनमार्ग घोषित करना

*४--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि गत वर्ष जब वे स्वयं आजमगढ़ जिले में पनइल बिहटा नलकूप क्षेत्र में दौरे में गये थे तो उनसे लिखित एवं मौखिक जनता की ओर से मांग की गई थी कि उस क्षेत्र की सर्विस रोड को जन-मार्ग घोषित कर दिया जाय?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--जी हां, ऐसी मांग की गई थी।

*५--श्री झारखण्डे राय--अगर हां, तो सरकार की ओर से जनता की मांग पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामर्मूति--उपरोक्त सर्विस रोड को जन-मार्ग घोषित कर दिया गया है तथा जनता को उस पर चलने की कोई रोक नहीं है।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बैलगाड़ी और अन्य सवारियों को भी आज्ञा दी गई है या केवल मुसाफिरों के लिये ही?

श्री रामर्मूति--सर्विस रोड्स पर मुसाफिरों के लिये रोकथाम कहीं नहीं है। सवारियों के बारे में रहती है उसी को हटा दिया गया है।

दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति

*६--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपा बतलायेगी कि बरसात के अलावा अन्य ऋतुओं के लिये दोहरीघाट (आजमगढ़) में घाघरा नदी पर पीपे का पुल बनवाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

प्रथम भाग—जी नहीं। केंद्रीय सरकार ने इस स्थान पर वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्का पुल बनवाने की स्वीकृति दे दी है?

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उस पर पुल निर्माण का काम कब तक शुरू हो जायगा और कितने व्यय का अनुमान है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कार्य केन्द्रीय सरकार प्रारम्भ करेगी और इसके लिये जब तक उनके पास में साधन जुट जायेंगे, वे प्रारम्भ कर देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुल बनाने का अनुमानित बजट प्रन्तीय सरकर के द्वारा भेजा गया है केन्द्रीय सरकार के पास?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, अभी नहीं भेजा गया।

गढ़वाल जिले के विभिन्न स्थानों में गूलों का निर्माण

*७—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि जिलाधीश गढ़वाल ने स्वीत, पनाई और विलखेत गूलों के निर्माण के लिये टेण्डर्स मांगे थे?

श्री राममूर्ति—जिलाधीश गढ़वाल ने स्वीत, पनाई और विलखेत गूलों के निर्माण के हेतु टेंडर मांगे थे, परन्तु कार्य आरम्भ नहीं हुआ। १५ नवम्बर, ५४ को नहर विभाग ने फिर टेंडर मांगे? पनाई और विलखेत गूलों पर कार्य आरम्भ करने की आज्ञा ठेकेदारों को दे दी गई है। स्वीत गूल पर कार्य आरम्भ करने के लिये ठेकेदार को शीघ्र ही आज्ञा प्रदान करने की आशा है।

*८—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि उपर्युक्त गूलों का निर्माण रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न नहीं उठता।

*९—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि जिला सलाहकार समिति (कैनाल) ने डमारगढ़ गूल, लणगड़गूल, कावेरी नदी गूल और निगोल नदी गूल जिला गढ़वाल में बनाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिलाधीश ने क्यों टेंडर मांगे, कैनाल विभाग के द्वारा टेंडर क्यों नहीं मांगे गये?

श्री राममूर्ति—संभवतः यह काम प्लैनिंग के सुपुर्द था और इसलिये जिलाधीश ने ही टेंडर मांगे, और यही मुनासिब समझा गया।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि तीनों गूलों के टेंडर एक साथ मांगे गये थे और उनका काम आरम्भ नहीं हुआ?

श्री राममूर्ति—इस संबंध में मेरे पास कोई इन्फार्मेशन नहीं है। आप कह रहे हैं इसलिये शायद ऐसा ही हो।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि कुमायूं डिवीजन के जिलों में जिला कैनाल समिति की राय पर ही गूलों का निर्माण किया जाता है?

श्री रामर्मूति—यह बिलकुल तो सही नहीं है लेकिन जो कैनाल की कमेटी है उनकी बात पर काफी ध्यान दिया जाता है। एक तरह से वह हमारे इन बातों में मददगार है। वह एक कंसल्टेटिव कमेटी है हमारे लिये।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वे डिवीजन द्वारा इन नदियों का सर्वे कराया गया था?

श्री राममूर्ति—जी हां, कराया गया था। मैं इस संबंध में बतला दूं कि इसकी लम्बाई आठ मील की थी। पहाड़ में जब बहुत लम्बी गूलें हो जाती हैं तो काम अच्छा नहीं देती इसलिये कुछ इस नजरिये से मुनासिब नहीं समझा गया।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि लम्बी से लम्बी गूलें बनाने का क्या नियम है?

श्री राममूर्ति—इसके बारे में कोई नियम नहीं है लेकिन अगर गूल मील, दो मील के अन्दर रहती है तो अच्छी तरह से काम करती है।

*१०–१२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्द शहर)—[५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले की महरौनी तहसील में जमनी नदी पर बांध-निर्माण योजना

*१३—श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि महरौनी तहसील (जिला झांसी) में जमनी नदी पर बांध बनाये जाने की कोई योजना सरकार ने स्वीकार की है? यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ होगा और कितने कौन-कौन से ग्रामों को हटना होगा?

*श्री राममूर्ति—महरौनी तहसील में जमनी नदी पर महरौनी तथा ललितपुर तहसील को पानी की सुविधा देने के लिये बांध बनाने का प्रस्ताव है। सर्वे इत्यादि की जा रही है निश्चय निर्णय सर्वे पूर्ण हो जाने पर किया जायगा। योजना की सर्वे इत्यादि मई, सन् १९५५ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि तहसील महरौनी और ललितपुर में जितनी भी योजना सिंचाई की है क्या सरकार उनको इसी वर्ष सर्वे कराने की कृपा करेगी?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—कुछ तो स्कीमों का जिक्र मैंने कल कर दिया बजट के संबंध में वे बजट में आ गयी हैं और वहां सर्वे हो रहा है।

*१४–१५—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—[५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये]

*१६–१७—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले की सिंचित भूमि

*१८—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी भूमि कृषि योग्य है और उसमें से कितनी भूमि सरकारी सिंचाई साधनों द्वारा सींची जाती है?

नोट—तारांकित प्रश्न १३ श्री गज्जूराम ने पूछा।

श्री राममूर्ति—बस्ती जिले की कृषि योग्य तथा सरकारी साधनों द्वारा सिंचित भूमि के तहसीलवार आंकड़ों की एक सूची माननीय सदस्य के मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४८ पर)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस जमीन में अन्य साधनों से सिंचाई होती है क्या सरकार उस बाकी जमीन में नलकूपों द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध करेगी ?

श्री राममूर्ति—सरकार का यह प्रयत्न है कि प्रदेश के हर हिस्से में जहां तक हो सके नलकूप, नहरें आदि सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं, शनैः-शनैः जितना रुपया होता जाता है उसका इन्तजाम होता जाता है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बभनान के उत्तर की सड़क पर वह ट्यूबवेल बनायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बभनान में बहुत से नलकूप बन रहे हैं उत्तर दक्खिन या किस ओर, वहां का भूगोल तो मुझे याद नहीं है, बभनान में बन हैं और बस्ती में तमाम बनते चले जा रहे हैं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि बभनान में जो नलकूप बनने हैं उनका केवल ईंट पत्थर ही जमा हुआ है और वे अभी चालू नहीं हुये हैं ?

श्री राममूर्ति—ईंट पत्थर पहुंचता है, उस के बाद वे बनते हैं और उस के बाद ही वे चालू भी हो जाते हैं।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में सिंचाई के साधनों की कमी

*१९—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि अगले वित्तीय वर्ष में क्या वह आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के उन भागों में नलकूप बनाने का आदेश देगी, जहां सूखा के कारण धान अगहनी की फसल सूख जाया करती है ?

श्री राममूर्ति—सगड़ी तहसील के उत्तर पश्चिम भाग में नलकूप बनाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि उक्त क्षेत्र में सिंचाई टांडा पम्प कैनाल से होगी जिस पर निर्माण कार्य हो रहा है।

*२०—**श्री उमाशंकर**—क्या सूखा क्षेत्र में साधारण कुआं तथा रहट की कोई विशेष ग्रांट देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

श्री उमाशंकर—क्या सिंचाई मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उत्तर पश्चिम से वह किन क्षेत्रों को बता रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न साफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न दुबारा कह दीजिये।

श्री उमाशंकर—मेरा सवाल और है और जवाब और है इसलिये मैंने पूछा कि उत्तर पश्चिम से वह किन क्षेत्रों को बता रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिस क्षेत्र में टांडा नहर से सिंचाई होती है वह क्षेत्र उत्तर-पश्चिम है और आपका ही वह क्षेत्र है और उसी से संबंध होगा, इसलिये वह स्पष्ट किया गया।

श्री उमाशंकर—उत्तर-पश्चिम में घाघरा नदी की धारा है।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरा सवाल पेश कर दें क्योंकि आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि सगड़ी तहसील में इस नहर का पानी अन्दाजन कितने दिनों में पहुंचेगा ?

श्री रामर्मूति—नहर तैयार हो जायगी उसके बाद पानी पहुंचना शुरू हो जायगा।

श्री उमाशंकर—मैंने अन्दाज पूछा है कि कितने दिन लगेंगे उसमें ?

श्री रामर्मूति—यह उम्मीद की जाती है कि सन् १९५६ के करीब तक यह काम पूरा हो जायगा।

श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि टांडा पम्प कैनाल अपने पूरे लक्ष्य तक कितने दिनों में पहुंचेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल तो आप पूछ चुके हैं। आप सब सवाल लिख कर लाये हैं और क्रमशः पढ़ते जा रहे हैं। जब एक दफा जवाब मिल गया तो उस पर फिर प्रश्न न करें।

पूर्वी यमुना तथा गंगा नहरों के कुलाबों का व्यास निर्धारण

*२१—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर तथा गंगा नहर पर और उनकी डिस्ट्रिब्यूट्रीज तथा माइनर के ४, ५, ६ तथा ८ इंची कुलाबों पर प्रत्यक कुलाब के कमांड में कम से कम और अधिक से अधिक कितने क्षेत्रफल भूमि रखे जाने का नियम है ?

श्री रामर्मूति—पूर्वी यमुना नहर व गंगानहर तथा उनकी शाखायें तथा उपशाखाओं के ४, ५, ६, तथा ८ इंच व्यास के कुलाबों पर कृषि योग्य अधिकृत क्षेत्र रबी के कोर हफ्ता के आधार पर निर्भर करता है जो निम्नलिखित नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है—

व्यास कुलबा	३ कोर हफ्ता की नहर के आधार पर कृषि योग्य अधिकृत क्षेत्र	४ कोर हफ्ता के आधार पर कृषि योग्य अधिकृत क्षेत्र
	एकड़	एकड़
४ वा ४ १/४	८०	१०५
५	१२०	१५८
६	१६०	२१०
८ (लगभग २×६")	३२०	४२०

*२२—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुलाबे की अधिक लम्बाई अर्थात् ९ फीट से अधिक होने के कारण किसानों को सिंचाई में असुविधायें हो रही हैं ?

श्री रामर्मूति—वह क्षेत्रफल जिस पर कुलाबों का व्यास निर्धारित किया जाता है, कुलाबों का डिस्चार्ज १८ फीट लम्बे पाइप के लिए ध्यान में रख कर निश्चित किया जाता है। ऐसी अवस्था में यदि पाइप की वर्तमान लम्बाई ९ फीट से अधिक है तो कृषकों को कोई शिकायत का कारण नहीं होना चाहिए।

*२३—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार उन कुलाबों की जो ९ फीट से अधिक लम्बे हैं लम्बाई कम करके शेष भाग में पुलिया (Culvert) बनाने की आज्ञा देगी ?

श्री रामसूर्ति--प्रश्न संख्या २२ का जो उत्तर दिया गया है उससे यह स्पष्ट है कि १८ फीट की लम्बाई तक गुलियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां कुलाबों की लम्बाई इससे अधिक होती है वहां अधिक व्यास के कुलाबे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार लगाये जाते हैं।

श्री श्रीचन्द्र--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि नियम विरुद्ध बहुत से कुलाबों पर बहुत अधिक रकबा लगा हुआ है ?

श्री रामसूर्ति--यदि ऐसा है और माननीय सदस्य सरकार के नोटिस में लायेंगे तो उनको दुरुस्त किया जायगा।

श्री श्रीचन्द्र--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो नहर की पटरियां सर्विस रोड हो गई हैं और कुलाबों की लम्बाई बढ़ाई गई है क्या उसके लिये कुलाबों का दहन बढ़ाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री रामसूर्ति---अगर १८ फीट से लम्बे हैं तो उन पर जरूर विचार किया जायगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बतायेगी कि ३ कोर और ४ कोर का क्या मतलब है ?

श्री रामसूर्ति--३ कोर का मतलब है जहां नहर तीन हफ्ते तक चलती है और ४ कोर से मतलब है कि जहां नहर ४ हफ्ते तक चलती है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जैसे पूर्वी यमुना नहर और गंगा नहर के कमान्ड का जो रकबा उन्होंने बताया है क्या वही नियम आगरा और मथुरा ब्रान्च पर भी लागू होता है ?

श्री रामसूर्ति--सारे उत्तर प्रदेश में लागू होता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या पूर्वी यमुना नहर पर जहां कुलाबों की लम्बाई बढ़ाई गई है वहां बहुत से कुलाबों का रकबा भी इस प्रकार कर दिया गया है जिससे किसानों को पानी कम मिलता है ?

श्री रामसूर्ति--मैंने तो जो नियम की बात आपके सामने पेश कर दी। अब अगर इसमें कहीं रद्दोबदल की जरूरत हो और माननीय सदस्य अगर सरकार को नोटिस में लावेंगे तो जरूर कोशिश की जायगी और शिकायत दूर करने की कोशिश की जायगी।

श्री श्रीचन्द्र--क्या मंत्री जी बतावेंगे कि यह नियम किसी रजबाहे के टेल और हेड पर दोनों पर एक्सां लागू है या कुछ अन्तर है ?

श्री रामसूर्ति--इन बातों से तो हमारे माननीय सदस्य भली-भांति परिचित हैं। मैंने कई मर्तबा कहा कि अगर कहीं पर कोई बात हो तो नोटिस में लावें, मैं दुरुस्त कर दूंगा।

कानपुर जिले के आनरेरी मजिस्ट्रेटों के फैसलों के खिलाफ अपीलें

*२४--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि १ जनवरी, १९५३ से लेकर १५ दिसम्बर, १९५४ तक कानपुर के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकार प्राप्त आनरेरी मैजिस्ट्रेटों द्वारा किये हुये फैसलों के खिलाफ कितनी अपीलें दायर हुयीं, उनमें कितनी बहाल और कितनी खारिज हुयीं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--१८८ अपीलें दायर हुयीं उनमें से ५९ मंजूर हुयीं, १०४ खारिज हुयीं और २५ पर हुक्म होना बाकी है।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि संबंधित आनरेरी मैजिस्ट्रेट अपने गांव और क्षेत्र के मामलों का भी फैसला करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--यह इत्तिला इस समय मेरे पास तो है नहीं, न पूछा ही था माननीय सदस्य ने ।

*२५--२७--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--[२२ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८--श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)--[१७ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२९--राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--[५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०--३१--श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--[५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

सीतापुर जिले की विभिन्न सड़कों को पक्की करने की आवश्यकता

*३२--श्री बशीर अहमद हकीम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सीतापुर में बिसवां से बहराइच, बिसवां से लहरपुर, लहरपुर से तम्बौर, तम्बौर से महमूदाबाद और लहरपुर से सीतापुर जाने वाली सड़कों को पक्की बनवाने के लिये चालू पंचवर्षीय योजना में लिया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितना काम हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या यह काम अगली पंचवर्षीय योजना में लिया जावेगा ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायेगा ।

भ्रष्टाचार के अपराध में अलग किए गए अदालती कर्मचारी

*३३--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या सरकार २१ सितम्बर, १९५४ के प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि न्यायालयों में कार्य करने वाले कितने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरी से पृथक किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर--दीवानी अदालतों से ३ और माल की अदालतों से २ कर्मचारियों को केवल भ्रष्टाचार के अपराध में १९५३ में नौकरी से प्रथक किया गया था ।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो कर्मचारी भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरी से पृथक् किये गये, वे किन किन पदों पर काम करते थे ?

श्री सैयद अली जहीर--एक सम्भल की मुंसिफी अदालत का नाजिर था । दूसरा प्रोसेस सर्वर था, तीसरा मुंसरिम और चौथे और पांचवें अहलमद थे ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने केसेज की जांच हुयी जिनमें कि ये निकाले गये ?

श्री सैयद अली जहीर--यह सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है

*३४--श्री रामदुलारे मिश्र--[२२ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

१९५२-५४ में निर्मित मार्गों पर व्यय

*३५--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार जिलेवार एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जिससे यह पता चले कि प्रदेश में सन् १९५२ ई० में कितने मील कच्ची और पक्की सड़कें थीं और सन् १९५४ ई० के अन्त तक कितनी हो गयीं ?

*३६--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ ई० के अन्त से सन् १९५४ ई० के अन्त तक जिलेवार सड़कों के बनाने और उनकी मरम्मत पर कितना व्यय किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसमें काफी समय लगेगा। अतः यह सूचना प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को उपलब्ध कर दी जायगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह कब तक उपलब्ध हो जायगा यह बतला सकते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसमें अभी समय लगेगा श्रीमन्, सम्भवतः ६ महीने के लगभग।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह प्रश्न क्या मेरा फिर एजेंडे पर आयेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यदि सदस्य महोदय चाहेंगे तो अवश्य आयेगा।

*३७--श्री गंगाप्रसाद--[५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८--श्री गंगाप्रसाद [१८ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३९--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[२९ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

सार्वजनिक घाटों के प्रबंध के नियम

*४०--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार नदियों से संबंधित फेरियों के विषय में बनाये गये नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--सार्वजनिक घाटों के प्रबंध के संबंध में सरकार ने कुछ आदर्श नियम बनाये हैं जो जिला बोर्ड मैनुअल के पृष्ठ ४६०/६४ पर छपे हुए हैं। इनके अतिरिक्त कमिश्नरों और जिलाधीशों को नार्दर्न इंडिया फेरीज़ ऐक्ट की धारा १२ के अधीन प्रत्येक सार्वजनिक घाट के लिये स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करने के हेतु विशेष नियम बनाने का भी अधिकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास शिकायतें आयी हैं कि इन नियमों का ठीक ठीक पालन इन सारी फेरियों में नहीं होता ?

श्री कैलाश प्रकाश--कोई ऐसी विशेष शिकायत सरकार के पास नहीं है।

सुमेरपुर-बांदा सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*४१--श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुमेरपुर-बांदा सड़क को पक्का करने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव हैं उनमें इस सड़क पर भी विचार होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह सम्भव हो सकता है, श्रीमन्।

*४२--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[१४ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अल्मोड़ा जिले में बागेश्वर को टाउन एरिया बनाने का विचार

*४३--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में टाउन एरिया बनाने का विचार रखती है ?

श्री कैलाश प्रकाश--बागेश्वर को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

*४४--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश प्रकाश--इस प्रश्न पर यथाशीघ्र निर्णय किया जायगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तथा जिला प्लानिंग कमेटी ने सब ने एकमत होकर इस बात की सिफारिश की है कि यहां टाउन एरिया बनाया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश--ऐसा हो सकता है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--सरकार क्या इसका कारण बतलायेगी कि यह प्रश्न ४ साल से विचाराधीन क्यों है ?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार को टाउन एरिया घोषित करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वहां जो आय होती है उस आय से वह खर्चा चला सकेंगे या नहीं ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--तो क्या सरकार अब तक इन ४ सालों में यह पता नहीं चला सकी कि यहां से आय कितनी होगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार ने तमाम सब आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं और शीघ्र ही उस पर निर्णय करने जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी कितनी आमदनी होगी और कितना खर्चा होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके कोई आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

*४५-४७--श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)--[२३ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८--श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर)--[५ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४९--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--[हटा दिया गया ।]

*५०--श्री विश्राम राय--[२२ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

मिर्जापुर जिले में पेय जल का कष्ट

*५१--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार मिर्जापुर जिले में तहसीलवार इस बात की जांच करायेगी कि कितने और कौन कौन से ग्राम ऐसे हैं जहां पीने के पानी का बहुत कष्ट है और ग्रामवासियों को कहीं कहीं गन्दा सड़ा पानी पीना पड़ता है अथवा उन्हें दूर-दूर से पानी लाकर पीना पड़ता है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जहां तक मिर्जापुर जिले में जल कष्ट का प्रश्न है सरकार को यह समस्या साधारणतः विदित है । परन्तु जितनी बृहत् जांच का संकेत प्रश्न में किया गया है इस समय कराने से कोई विशेष लाभ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से जहां तक संभव है सरकार स्वयं इस ओर दशा सुधारने में क्रियाशील है ।

नोट--तारांकित प्रश्न ५१-५३ श्री राम कृष्ण जैसवार ने पूछे ।

*५२—श्री व्रजभूषण मिश्र—(अनुपस्थित) क्या इस जल कष्ट को दूर करने की ओर सरकार व्यापक रूप से कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां । इस प्रदेश की स्वावलम्बन पर आधारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त १०५ लाख धनराशि में से ५४ १/२ लाख रु० की धनराशि इस आर्थिक वर्ष में केवल देहाती क्षेत्रों में जल वितरण योजनाओं के निमित्त नियोजन विभाग ने निर्दिष्ट किया है । इस धन में से केवल मिर्जापुर के लिये १ १/२ लाख रु० निर्दिष्ट है । आशा है कि अगले वर्ष भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी ।

*५३—श्री व्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में जल कष्ट के इस प्रश्न पर खास तौर से ध्यान दिया जायेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—दूसरी पंचवर्षीय योजना अभी विचाराधीन है । इसकी अंतिम रूप रेखा क्या होगी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि पिछले साल प्लानिंग विभाग ने सहायता देते समय उन ग्रामों में जहां कि पानी के लिये बड़ी कठिनाई है उनको कुआं बनाने के लिये सहायता देने का वादा किया था, लेकिन उस पर विशेष ध्यान न देकर उन ऊंचे वर्ग वालों को कुएं बनाने के लिये आर्थिक सहायता दी गयी है जो कि केवल दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिये कुयें बनवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका आक्षेप है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जिले के अधिकारियों को यह हिदायत करने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में कुएं की कठिनाई है उनको कुआं बनाने के लिये प्राथमिकता देने की कृपा करें ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह सहायता जिले की नियोजन समिति को दी जाती है और उन्हीं के निश्चयानुसार वहां सहायता दी जाती है ।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो रुपया कुओं के लिये रखा गया है वह पूर्ण रूप से कुआं बनाने पर विचार कर रही है या उसमें अंशदान दे कर ?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा कि प्रश्न के उत्तर में लिखा हुआ है यह रुपया स्वावलम्बी योजना के आधार पर दिया जाता है ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक कुआं बनवाने में कितना रुपया सरकार देती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

ग्राम पारोन, जिला झांसी में तालाब बनाने की योजना

*५४—श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि महरौनी तहसील (जिला झांसी) के ग्रामपारोन की तथा उसके निकटवर्ती ग्रामों की जनता व मवेशियों को पानी की सख्त तकलीफ की शिकायतें सरकार के पास अनेक बार आ चुकी हैं और सरकारी विशेषज्ञों द्वारा वहां तालाब बनाने के उपयुक्त स्थान की जांच भी की जा चुकी है ?

श्री राममूर्ति—पारोन ग्राम में पानी के कष्ट के विषय में प्रार्थना-पत्र आये थे और वहां पर एक तालाब निर्माण के लिये सर्वे (survey) किया गया है ।

वोट—तारांकित प्रश्न ५४–५५ श्री गज्जूराम ने पूछे ।

*५५—श्री रमानाथ खैर (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त स्थान पर तालाब बनवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति—उक्त स्थान पर तालाब बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार से सहायता के लिये अनुरोध किया जा रहा है ।

जमुआर नाला से ड्रेन निकालने का आयोजन

*५६—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जमुआर नाला से जो क्षति प्रतिवर्ष हो रही है उसे रोकने के लिये सरकार ने क्या किया है और दूसरा नाला जो चुरिया ताल से छोटी गंडक तक जाता है उस पर कोई फाटकदार पुल बनाने का काम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—जमुआर नाला के क्षेत्र में मौजा पिपरा मिसिर के पास से एक ड्रेन निकाली जा रही है । यह ड्रेन बरसात से पहले पूरी हो जावेगी और आशा है कि इसके द्वारा प्रतिवर्ष होने वाली क्षति से बचत हो जायेगी ।

जहां तक चुरिया ताल का सम्बन्ध है उस पर भी एक रेगुलेटर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिपरी मिश्र के पास जमुआर नाला नहीं है, फिर भी ड्रेन काट कर कैसे जमुआर नाले से बाढ़ के समय में फसल वहां बचायी जायगी ?

श्री राममूर्ति—उसके आस-पास कहीं होगा । ऐसा थोड़ा ही है कि नाला कहीं गायब हो जाय ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—श्रीमन्, जमुआर नाला भागलपुर से लेकर उत्तर में चला गया है लेकिन वह पिपरामिश्र के पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके एक नक्शा बनाकर माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश कर दें ।

उन्नाव जिले में बिहार-ऊंचगांव तथा बीघापुर-बक्सर सड़कों को पक्की करने का विचार

*५७—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिलान्तर्गत पुरवा तहसील की जो सड़कें बोर्ड को दे दी गयी थीं वे १९५४-५५ के भीतर पुनः बोर्ड से वापस ली जायेंगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं ।

*५८—श्री देवदत्त मिश्र—क्या इनमें से किसी कच्ची सड़क को पक्की करने का इरादा सरकार का है ? यदि हां, तो वह कौन सड़क है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—(क) व (ख) जी हां । बिहार ऊंचगांव तथा बीघापुर बक्सर सड़कों को पक्का करने के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

*५९—श्री देवदत्त मिश्र—क्या बीघापुर-बक्सर और बिठूर-ऊंचगांव सड़कों को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लेने का विचार सरकार का है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

प्रथम भाग--बिठूर ऊंचगांव नामक कोई सड़क नहीं है। बिहार ऊंचगांव तथा बीघापुर बक्सर सड़कों को पक्की करने के सम्बन्ध में कृपया ऊपर (क) व (ख) पर दिये गये उत्तर को देखें।

द्वितीय भाग--प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि उन सड़कों में जो सरकार ने बोर्ड को दे दी हैं एक उन्नाव पुरवा सड़क भी है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, मेरे पास जो सूची है उसमें यह सड़क नहीं है जो आप बतला रहे हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी के पास पंचवर्षीय योजना के लिये प्रायोरिटी लिस्ट प्राप्त हुई है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है और अभी सम्भव है ऐसी कोई सूचना न आई हो।

कर्मनाशा नदी का पुल

*६०--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कर्मनाशा नदी का पुल (बनारस) का एक खम्भा जो अभी हाल ही में बना था, उसमें दरार आ गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण जांच के पश्चात् सरकार को प्रतीत होते हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं। उसमें कोई दरार नहीं आई है।

हमीरपुर जिले की म्युनिसिपैलिटियां

*६१--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपैलिटीज को कितने श्रेणियों में किस आधार पर विभक्त किया गया है?

श्री कैलाश प्रकाश--म्युनिसिपैलिटीज को मुख्यतः उनकी साधारण आय के आधार पर पांच श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

*६२--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महोबा, चरखारी, राठ और हमीरपुर म्युनिसिपैलिटीज को किन-किन श्रेणियों में रखा गया है और प्रत्येक की सालाना आय क्या है?

श्री कैलाश प्रकाश--

नाम	श्रेणी	औसत वार्षिक आय (१९५०-५१ से ५२-५३ तक)
		रु०
महोबा ..	चतुर्थ	९८,३४७
चरखारी ..	पंचम	३४,३११
राठ ..	चतुर्थ	६०,६७९
हमीरपुर ..	चतुर्थ	२९,५७३

*६३--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन म्युनिसिपैलिटीज को इस वर्ष कितनी कितनी मदद (Grant) किन-किन कार्यों के लिये दी गई है?

श्री कैलाश प्रकाश--इस वर्ष म्युनिसिपैलिटियों को अभी तक कोई (Grant) नहीं दी गई है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आय दी गयी है वह किस वर्ष की है, ५०-५१ की है, ५१-५२ की है, ५२-५३ की है या ५३-५४ की है ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह औसत वार्षिक आय दो वर्ष की है, ५०-५१ और ५२-५३ की।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सन् १९५३-५४ और ५४-५५ में यह आय बढ़ कर महोबे की एक लाख रुपये से भी अधिक हो गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह हो सकता है। इसके आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उत्तर में जो आय दी हुई है उसका किस वर्ष से सम्बन्ध है ?

श्री कैलाश प्रकाश--१९५४-५५ से।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि हमीरपुर म्युनिसिपैलिटी, महोबा म्युनिसिपैलिटी और राठ म्युनिसिपैलिटी में वाटरवर्क्स का काम हो रहा है और कई हजार रुपये उनको इसके लिये दिये गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह हो सकता है कि वाटर वर्क्स का काम चलता हो और उनको ग्रांट पहले वर्ष में दी गयी हो।

श्री जोरावर वर्मा--लिस्ट में चरखारी की आय ३४,३११ रु० और हमीरपुर की आय २९,५६३ रु० दी गयी है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हमीरपुर की म्युनिसिपैलिटी को चतुर्थ श्रेणी और चरखारी की म्युनिसिपैलिटी को पांचवीं श्रेणी क्यों दी गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश--जब श्रेणी निर्धारित की जाती है तो उसमें साधारण आय के अलावा और चीजें भी ध्यान में रखी जाती हैं। हमीपुर जिले का हेडक्वार्टर है, इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि उसको चतुर्थ श्रेणी में रखा जाय और उसकी जो आय होती है और जो खर्च होता है उसको भी वह पूरा कर सकता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बजट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिये कितने आय की जरूरत होती है ?

श्री कैलाश प्रकाश--प्रथम श्रेणी के लिये ५ लाख से अधिक, द्वितीय श्रेणी के लिये ढाई लाख से ५ लाख तक, तृतीय श्रेणी के लिये १ लाख से ढाई लाख तक, चतुर्थ श्रेणी के लिये ४० हजार से १ लाख तक और ४० हजार से कम आय वाली पांचवीं श्रेणी में रखी जाती है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार सन् १९५५-५६ वाले बजट में इन म्युनिसिपैलिटियों को ग्रान्ट देगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--म्युनिसिपैलिटीज के लिये बजट में एक रकम रखी जाती है और सभी म्युनिसिपैलिटीज के प्रार्थना-पत्र आने पर उन पर विचार किया जाता है और तब निर्णय किया जाता है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में बदलने के लिये कितने वर्ष की आय देखी जाती है ?

श्री कैलाश प्रकाश---लगभग पांच वर्ष की आय।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि महोबा म्युनिसिपैलिटी की आमदनी एक लाख रुपये से भी अधिक हो गयी है इसलिये उसको तृतीय श्रेणी में रखने के लिये वह विचार करेंगे?

कैलाश प्रकाश---जब यह प्रश्न आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री रामेश्वर लाल द्वारा श्री मलखान सिंह पर लगाये गये पक्षपात विषयक आरोप के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष के निर्णय का स्थगन

श्री अध्यक्ष---मैं सदन को इसकी सूचना देना चाहता हूं कि चूंकि आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद नहीं हैं और उन्होंने विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि वह अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, जो आक्षेप श्री रामेश्वर लालजी के भाषण में था, उस सम्बन्ध में वह स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। इसलिये इस प्रश्न को आज मैं नहीं लेता हूं, कल मंत्री जी आने वाले हैं, उनके स्पष्टीकरण के बाद परसों मैं उस पर अपना निर्णय दूंगा।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष, १९५५-५६ ई० के लिए आय-व्ययक में अनुदानों पर विचार होगा। आज के कार्य-क्रम के लिये क्या सुझाव है?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आज अनुदान संख्या १, २२, ४८, २१ और २३ ले लिए जांय और अनुदान संख्या १ पर ४५ मिनट, अनुदान संख्या २२ पर ५० मिनट, अनुदान संख्या ४८ पर ५० मिनट, अनुदान संख्या २१ पर ३० मिनट लिए जायं और शेष अनुदानों पर कल बहस हो जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, सब अनुदान एक साथ ही ले लिये जायं और इन सब पर मंत्री जी एक ही बार अपने विचार प्रकट कर दें, ताकि सदन के सदस्यों को काफी बोलने का समय मिल सके।

श्री अध्यक्ष---एक साथ सब अनुदान लेने का प्रश्न सुभीते का प्रश्न है। वैसे नियम तो यह है कि अलग अलग लिए जायं। मंत्री भी इन अनुदानों के अलग हैं, तब तो सम्भव ही नहीं है उन्हें एक साथ लेना। मैं श्री जगन्नाथ मल्ल से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है कि पहले ३ अनुदान जो माल मंत्री के हैं वह एक साथ ले लिये जायं और माननीय कृषि मंत्री के अनुदान २१ और २३ अलग लिए जायं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, इसमें असुविधा होती है इसलिये अलहदा अलहदा लिये जायं।

अनुदान संख्या १---लेखा शीर्षक ४---कृषि-आय-कर की उगाही पर व्यय

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)---श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १, कृषि आय कर की उगाही पर व्यय (लेखा शीर्षक ४---कारपोरेशन कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर दूसरे कर) के अन्तर्गत २,३६,१०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

[श्री चरणसिंह]

श्रीमन्, पिछले वर्ष रुपया ज्यादा मांगा गया था और वह करीब ३ लाख २२ हजार रुपये के क़रीब था, लेकिन इस साल खर्चा कम होने की वजह से केवल २ लाख ३६ हजार १०० रखा गया है। खर्चे की कमी का कारण यह है कि जो ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स में अमेंडमेंट हुआ उसके मातहत, लखनऊ के एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स कमिश्नर की अदालत खत्म हो गई, उसका काम जिलों में तकसीम हो गया। इसलिये उसका जो खर्चा था वह कम हो गया। जो नायब तहसीलदार पहले इस काम के लिये सूबे में मुकर्रर थे उनकी तादाद कम की जा रही है। पहले ११० नायब तहसीलदार थे लेकिन इस वर्ष केवल ९० रक्खे जा रहे हैं। पहले जब कि ८० क्लर्क थे उनमें से केवल ७० के रखने का विचार है। इसकी वजह से यह खर्चा कम हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस सिलसिले में और क्या कहूं। जब मेरे लायक दोस्त अपने कटमोशन के सिलसिले में फरमायेंगे, उसके बाद जवाब देना मुनासिब होगा। अब अगर मैंने कुछ ज्यादा कहा तो वह उसी वक्त में से कट जायगा।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जो समय इस सम्बन्ध में दिया गया था वह १२ और ८ मिनट था और कल सब मांगें एक साथ ली गयीं थीं लेकिन आज चूंकि अलग अलग ली जा रही हैं और उनमें से किसी के लिये ४५, किसी के लिये ५० और किसी के लिये ३० मिनट का समय रक्खा गया है, इसलिये जो पहला कटमोशन का भाषण होगा उसके लिये १० मिनट से ज्यादा न लिया जाय तथा उसके बाद ५ मिनट, और मंत्री जी के अन्तिम जवाब के लिये भी ५ मिनट ही देना उचित होगा।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, खेती से बड़ी आमदनी वाले लोग हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसका सिद्धान्त यह है कि जो छोटी आमदनी वाले लोग हैं, उनकी सहायता हो सके और जो अपने जीवन को असानी से चलाने में कामयाब हो सकते हैं, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और उस जिम्मेदारी को समझने में सरकार उस टैक्स को वसूल करे, इसलिये यह एग्रिकल्चरल इन्कमटैक्स लगाया जाता है। यह शुरू में ही बता चुका हूं कि इस टैक्स से छोटी खेती करने वालों की सहायता नहीं हो सकी। इस पर मैं बहुत ज्यादा न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी स्वयं इस मामले में बहुत ही सिद्धहस्त और एक्सपर्ट आदमी हैं, वे हमारे सूबे में खेती करने वालों की जो अवस्था है उसको स्वयं समझते हैं और ऐसा समझते हुये मैं उनका वक्त खराब करना नहीं चाहूंगा कि मैं उनको समझाने की कोशिश करूं कि जो छोटे छोटे खेती करने वाले आज हमारे सूबे में हैं, उनकी अवस्था क्या हो गयी है। एक बात मैं यह भी कहूं कि उन्होंने यह कहा और इस बजट में इस प्रकार की गुंजाइश की गयी है कि २,३६,००० रुपया इस वर्ष खर्च किया जायगा और पिछले वर्ष से इस मुहकमें में कुछ कम खर्च किया जायगा। मैं उनसे इसको स्पष्ट कराना चाहूंगा कि जब यहां के कमिश्नर का हेड क्वार्टर तोड़ दिया गया है और डिवीजनल कमिश्नर के जिम्मे यह काम सुपुर्द कर दिया गया है तो बड़े अफसरों पर जो खर्चा पहले होता था वह कम नहीं हुआ और आप देखेंगे कि जो स्मृतिपत्र हमको मिला है उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो एक बड़ी रकम है जहां पर कि वृद्धि हुई है, हेडक्वार्टर की स्थापना पर भी कर्मचारियों के वेतन में तो वार्षिक वृद्धि हुई है। जहां तक जिला हेड क्वार्टर की स्थापना पर व्यय का सवाल है उसके कर्मचारियों के वेतन पर पहले जो व्यय होता था उसमें कमी हुई है और वह कमी तो बजट में दिखलाई देती है। यह मैंने माना कि डिवीजनल कमिश्नर के जिम्मे यह काम कर देने से जरूर खर्च में कमी हुई, फिर भी यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ६५ लाख रुपये की वसूली में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

२ लाख ३६ हजार रुपया खर्च करना, यह तो कोई बहुत मुनासिब हमको नहीं लगता। माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि यह वसूल करने का भी काम इन लोगों के जिम्मे है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि वसूल करने का काम जो मुहकमा वसूल करने वाला है उनके ऊपर है और इन लोगों का काम तो एसेस करना है। और एसेस करने पर २ लाख ३६ हजार रुपया खर्च करना यह हमको कुछ ज्यादा लगता है। इसलिये कि सन् ५३–५४ और ५२–५३ की रकम जो एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स से हमारे पास आयी और उस पर जो व्यय हुआ, इन दोनों को हम देखते हैं तो समझते हैं कि २ लाख ३६ हजार रुपया ज्यादा है।

एक बात मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह बड़ी अप्रिय बात है और मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि टैक्स तो जो कुछ लगाना हो लगा लें लेकिन टैक्स लगाने के प्रोसेस तय होने में टैक्स देने वालों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है और बावजूद इसके कि ऐक्ट में इस बात की गुंजाइश है कि उन लोगों को तकलीफ से बचाया जाय, लेकिन हम उनको तकलीफ से बचाने में पूरे समर्थ नहीं हुये हैं। आज भी उनके ऊपर दिक्कतें आती हैं और जो नायब तहसीलदार या लेखपाल या और एसेस करने वाले हैं वे उनको काफी तकलीफ देते हैं। इस मामले में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि आज कल माल विभाग जो है उसके लिये अगर कहा जाय कि पुलिस वालों से कम भ्रष्ट हैं लेकिन करप्ट जरूर हैं। वे पुलिस वालों से कम इस मामले में नहीं दिखाई देते हैं। इसलिये तहसीलों की तरफ अगर ध्यान देने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि वे इस बात की कोशिश करें कि जिस तरह से और मामलों में वे निगाह डालते हैं उसी तरह से इस पर भी निगाह डालें। उससे उनको जानकारी स्वयं हो सकती है कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एसेस करने में कितनी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ता है। मैं इतना कह कर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आखिर यह जो टैक्स हम लेते हैं वह बदला लेने के लिये टैक्स नहीं लेते हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने पहले भी कहा था कि जमींदारों से बदला लेने के लिये यह नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत के ऊपर है कि बड़े लोग अगर आमदनी करते हैं तो छोटे लोगों के पास वह जानी चाहिये, इस दृष्टि से है। तो हम जरूर चाहते हैं कि बड़े लोग अगर इन्कमटैक्स दें तो वह इस काबिल रह सकें इस बात की व्यवस्था इस सिद्धांत में करनी चाहिये। जो लोग टैक्स देते हैं उनकी आमदनी है या नहीं इस बात पर गौर करना चाहिये। हम स्टेट गवर्नमेंट से यह जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी क़ीमत गिरती जा रही है और उससे भी इसका सम्बन्ध है, तो इसका भी बन्दोबस्त करना चाहिये कि एक हद से नीचे वह कीमतें न गिरें। इग्लैन्ड और अमेरिका जहां इस वक्त प्रजातंत्र है उन मुल्कों में फार्म प्राइस सपोर्ट पालिसी काम कर रही है। यह मौका नहीं है कि उनको मैं यहां दिखा सकूं लेकिन हिन्दुस्तान में भी उस पालिसी को चलाने की कोशिश की जाय कि जो खेती की पैदावार हो उसकी क़ीमत एक हद से नीचे न गिरने पावे। गन्ना हमारे देश की सब से बड़ी कामर्शियल क्राप है और उसकी कीमत को कायम करने में यू० पी० की गवर्नमेंट नाकामयाब रही है। आज माननीय राजस्व मंत्री जी ने देखा होगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने शुगर पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी है।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि यह विषयान्तर है।

श्री गेंदा सिंह––अध्यक्ष महोदय, मैं छोड़ देता हूं इस बात को लेकिन मैं समझता हूं कि जो टैक्स देने वाले हैं उनकी कैपेसिटी पर विचार करना है यह विषयान्तर नहीं होता, लेकिन मैं आप की आज्ञा मान लेता हूं और इससे छोड़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष––आप सुझाव दें कि चूंकि गन्ने के दाम कम हो गये और सरकार टैक्स कम कर दें। लेकिन यह दूसरे मन्त्री का विषय है और इसलिये विषयान्तर है।

श्री चरण सिंह—जितनी टेक्स्टाइल पालिसी होंगी उसको भी आप कह डालियेगा क्योंकि किसान का मसला है।

श्री गेंदासिंह—टेक्स्टाइल के बारे में जब इंडस्ट्री की बात आवेगी तो मैं कहूंगा। लेकिन राजस्व मंत्री जी नाराज हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि वह नाराज न होने पावें और उनका एक एक बूंद खून बचा रहे। नाराज होने से उनका खून जलता है और वह तो यों ही दुबले पतले आदमी हैं। तो यह जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी है उसमें बिना ब्याहे हुये और ब्याहे लोगों के टैक्स में भेद है। उसकी ओर मैं जरूर इशारा करना चाहूंगा कि अगर कोई बड़ी खेती करने वाला है और बड़ा परिवार वाला है तो उस परिवार का भी कंसीडरेशन होना चाहिये। बदला लेने के लिये तो कानून है नहीं और न एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स का कानून इसलिये बना है कि बदला लिया जाय। तो जब मैरिड लोगों के लिये है तो अनमैरिड जो बिना ब्याहे हुये है उन पर टैक्स लगाना चाहिये। इस टैक्स में ऐसा क्यों किया जाय। मैं समझता हूं कि यह अच्छा ही रहेगा और इस पर विचार हो। हम नहीं जानते कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके पास खेती है या नहीं, लेकिन अगर लखीमपुर में खेती हो तो उनसे ज्यादा इन्कम टैक्स वसूल किया जा सकता है और अगर माननीय राजस्व मंत्री जी परिवार वाले आदमी हैं तो वे उससे छुट्टी भी पा सकते हैं जैसा कि उनका परिवार है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि डेवलपमेंट रिबेट हो। सेन्ट्रल टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आज ईशू हुई है, उसमें इस बात की गुंजाइश है यानी जो तरक्की का काम करना चाहते हों उनको डेवलपमेंट रिबेट दिया जाय। तो इसी तरह से जो ३० एकड़ से ऊपर वाले हैं और जो खेती की तरक्की करना चाहते हैं उनको भी इस तरह के डेवलपमेंट रिबेट देने की बात सोचनी चाहिये, जिससे कि वह उपज को बढ़ा सकें। हम इस लिये तो टैक्स लगाते नहीं हैं कि वे मजबूर हो कर किसी तरह से अपनी खेती से बाज आवें। अगर ऐसी बात नहीं है तो उसकी आमदनी को बढ़ाने के लिये हमें कोशिश करनी चाहिये और इलिए अगर हमें इस बात के लिये नियमों में और ऐक्टों में संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो इस बात का होना जरूरी है। इसके साथ ही हमको यह देखना भी जरूरी है कि वे अपने मजदूरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। मजदूरों को क्या देते हैं। जैसे बीमा करने की गुंजाइश है। जहां किसी इंडस्ट्री में बीमा की गुंजाइश है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है तो वैसे ही यहां हमें यह देखना चाहिये कि वह क्या करता है और कितनी मजदूरी देता है। और वह अपनी खेती को बचाने के लिये जैसे भूमि की सुरक्षा के लिये इन दोनों चीजों में टैक्स पर छूट मिलना चाहिये। दोनों चीजों पर विचार किया जाय तो किसान और मजदूर दोनों की सुरक्षा के लिये यह टैक्स धीरे-धीरे और लोगों के पास जा सके।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय ने उन करदाताओं को जो सुविधायें दी हैं मुझे उससे इन्कार नहीं, मैं स्वीकार करता हूं और उसके लिये मैं उनको बधाई भी दे चुका हूं और आज भी देता हूं। परन्तु दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री महोदय यदि इस टैक्स के मौलिक सिद्धान्तों पर विचार करते और यह सोचते कि जब पहले पहल इस प्रदेश में इस टैक्स का प्रादुर्भाव हुआ और उसके पीछे यह सिद्धान्त है श्रीमन् कि कृषि में विशेष लाभ है, आय बढ़ती जा रही है और ऐसी परिस्थिति में एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स आवश्यक है जिससे कि हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। उसी मौलिक सिद्धान्त के अनुसार माननीय मंत्री महोदय उनकी दरों में कमी क्यों नहीं करते। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब आज के दिन एग्रिकल्चरल प्रोडयूस की कीमत दिन ब दिन घटती जा रही है और जीवन के जो अन्य आवश्यक पदार्थ हैं उनके भाव में उस अनुपात से कमी नहीं है तो इस प्रदेश में उन सिद्धान्तों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को लक्ष्य में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय को चाहिये कि उसके रेट में भी कमी करें। श्रीमन्, मैं यह समझूं कि यह पहले बदले की भावना नहीं है, या मैं समझूं कि जमींदारों या किसानों के उद्धार और उनको समुन्नत करना ही उनका ध्येय है। माननीय गेंदा सिंह जी ने उसके लिये सुझाव भी दिया है। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि आज उनकी दरों में अवश्य कमी होनी चाहिये। यदि लक्ष्य दूसरा रहा, यदि वे चाहते थे कि जमींदारों को मुआविजा देने में कमी हो और वह नियत थी तो मैं अच्छी तरह से समझ सकता था कि जमींदारों की कमर तोड़ने के लिये यह उनका सब से अच्छा रास्ता था और यही नहीं, अगर वे जमींदारी तोड़ते भी न और एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स रखते और जो मौजूदा स्टेट ड्यूटी थी, उससे वह खुदबखुद इस प्रदेश से समाप्त हो जाती। मान्यवर, मैं यह देखता हूं कि उन करदाताओं के विषय में इस तरफ भी सद्भावना है, उधर के लोग भी उनकी भलाई के लिये उत्सुक हैं, यह मनोवृत्ति तो जरूर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। यदि आज नहर की दरों में कमी कराना चाहते हैं तो उसके पीछे दूसरा लक्ष्य है। इस तरफ भी अगर यदि करों को कम कराने की बात करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य है, सन् ५७ उनको अच्छी तरह से याद है। मान्यवर यही नहीं, आज बजट में कुछ खर्चे में कमी दिखाई गई है। मैं तो यह कहूंगा कि इस सद्भावना को इस प्रदेश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं उसके कहने की आवश्यकता नहीं। अगर इस पक्ष वाले इस पर अधिक न कहते तो सुन्दर था। श्रीमन्, जहां पर एडीशनल कमिश्नर को यह काम सौंपा गया है। यह वास्तविकता है कि फैजाबाद ही में एक एडीशनल कमिश्नर को २० मुकदमे रोजाना करने पड़ते हैं और किसी भी आफिशियल के लिये एक सीमा होती है कि जब तक वह काम कर सकता है, अन्यथा उसकी तरकीब यह है कि उन्होंने डिसमिसल एक बहुत साधारण सी चीज सीख ली और अन्त में अपनी जान छुड़ाने के लिये जिससे यह सरकार भी रुष्ट न हो, सिवा इसके कि वह काम को टालते रहते हैं और कुछ नहीं करते। हमारे भारतीय संविधान में भी यही था और हमारे महामान्य राज्यपाल की स्पीच में भी यही। वह चाहते थे कि सेपरेशन आफ जुडीशियरी फ्राम दि एक्जीक्यूटिव। यह सब होते हुए भी मैं उनसे सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि यदि वे ये सुविधायें देना चाहते हैं तो वह एडीशनल कमिश्नर के हाथ से यह एपिलेट पावर्स हटा कर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज को दे दें। ऐसा करने से करदाताओं को बहुत सुविधा होगी और बहुत सी आशंकाओं की भी समाप्ति हो जायगी।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह सुनकर कि जहां उधर के लोग यह नारा लगाते थे कि धन और धरती बंट के रहेगी और इक्वेल डिस्ट्रीब्यूशन हो के रहेगा वहां गेंदा सिंह जी को इस टैक्स पर आपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने ढाई लाख रुपये के खर्च पर भी आपत्ति की, लेकिन जहां शासन चलाना है उसके लिये खर्च करना जरूरी ही होगा और जिनके पास ज्यादा जमीन है उन पर टैक्स लगाना ही होगा। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन होती है वह थोड़ी सी तीसी बोकर सारी जमीन छिकाये रखते हैं और इसका फल यह होता है कि अन्न नहीं होता और करोड़ों रुपया खर्च करके बाहर से अन्न मंगाना पड़ता है और देश में भुखमरी का नारा लगता है। मैं तो कहता हूं कि यह टैक्सेशन गलत नहीं है और बहुत मुनासिब है। इसमें तो कानून बना हुआ है कि ४,२०० के ऊपर की आमदनी के ऊपर वाले के ऊपर ही टैक्स लगेगा। कोई चार बीघा खेती करने वालों पर यह टैक्स नहीं लग रहा है। धन और धरती को तो यह गवर्नमेंट बांटने जा रही है। हम तो उस रास्ते पर चल रहे हैं और आप बीच में रोड़े बन कर अटक रहे हैं। आपको तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिये। मैं अवधेश

[श्री शिवनारायण]

प्रताप सिंह जी की बात को तो ठीक मानता हूं इसलिये कि वे जमींदार हैं। उनको ऐसा कहने का हक है, लेकिन आपने तो जरा सा इर्रीगेशन पर टैक्स बढ़ा कि आन्दोलन चला दिया। तो गवर्नमेंट कैसे चले? हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर के पास कोई अलादीन का चिराग़ तो है नहीं कि उसको रगड़ा और रुपया वसूल कर लिया जितना चाहा उतना और उसी से सारे स्टेट का काम चला लिया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जो रुपया माननीय मंत्री जी ने मांगा है टैक्सेशन के वसूली के लिये वह बहुत मुनासिब है और इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, गेंदा सिंह जी के मुंह से दो शब्द सुन कर मुझे बोलने की प्रेरणा हुई, अन्यथा मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय गेंदा सिंह जी के मुंह से एक तो इंगलैण्ड और अमेरिका के प्रजातन्त्र की बात और दूसरे गल्ले की महंगाई की बात निकली और इन पर उन्होंने काफी जोर दिया। इन्हीं दो बातों पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। वैसे तो जो अनुदान है माननीय माल मंत्री का वह बहुत उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

यदि माननीय गेंदा सिंह जी इंगलैण्ड और अमेरिका का प्रजातन्त्र यहां लागू करना चाहते हैं और यदि वह यह समझते हैं कि वही वास्तविक डेमोक्रेसी की स्थापना है तो मैं समझता हूं कि गेंदा सिंह जी और उनके दल के लोग कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना चाहते हैं और उसी का अनुसरण करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदन के सदस्यों के सामने इस बात का स्पष्ट सिद्धान्त और उसके कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित हो जानी चाहिये। हमारे देश में जो सोशलिस्ट समाज बनाने की बात आती है वह तो एक आदर्श है और उसके लिये उसका पैटर्न क्या हो यह निश्चित करना पड़ता है। संसार में जो अब तक डेमोक्रेसी है वह वेस्टर्न डेमोक्रेसी है और वह हमारे लिये आदर्श नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्री जी का जो कदम है वह हमें एक रेवोल्यूशन की तरफ ले जाता है और वह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन वह रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होता है और इन्कम टैक्स लगाकर उस रिवोल्यूशन को कुछ अंश तक अग्रसर करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में अनाज की महंगाई के बारे में भी कहना चाहता हूं। एक बड़ा भारी आन्दोलन देश के प्रत्येक कोने में चल पड़ा है कि गल्ला बहुत ही सस्ता होता चला जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से और देश के उन सभी लोगों से, जो इस आन्दोलन के समर्थक हैं कि इस तरह का आन्दोलन बड़ा गलत हो रहा है। देश में अनाज सस्ता होना चाहिये। देश के ८० फीसदी लोग अनाज खरीद कर खाते हैं। गांवों में खेती करने वाले कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अनाज बेंचते हैं और महंगा होने से उनको लाभ होता है। अधिकतर लोग तो अनाज खरीदते हैं। तो देश के किसानों का कल्याण करना है और मिडिल क्लास के लोग जिनकी तन्ख्वाहें बहुत कम हैं उन पर गल्ले की महंगाई का बड़ा भारी असर पड़ता है। एक बड़ा भारी आन्दोलन चल पड़ा है, जो मैं समझता हूं कि गलत है। मैं जो बात कह रहा हूं वह उस सेक्शन की बात कह रहा हूं जो समझता है कि अनाज का भाव महंगा हो, यह गलत है। वास्तव में यह किसानों के हित के प्रतिकूल है, यह देश के हित के प्रतिकूल है। अनाज का भाव सस्ता होना चाहिये और समय पर भी नहीं रोकना चाहिये। इससे देश के हित को क्षति पहुंचती है। अब रही सीलिंग फिक्स करने की बात, यह तो ठीक है लेकिन खरीदने वालों के बारे में भी सोचना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो टैक्स लगा है वह बहुत ही दुरुस्त है। वैस्टर्न डेमोक्रेसी और गल्ले की महंगाई इन पर हमारे माननीय सदस्यों को अपना दृष्टिकोण स्थिर करना पड़ेगा और विशेष कर प्रजा समाजवादी पार्टी के लोगों को, तब वे कोई काम करें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस कर का सम्बन्ध ३० एकड़ से बड़े किसानों से है या जिनकी आय ४,२०० रु० से अधिक होती हो उनसे है। यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न है कि हमारे देश में इतने बड़े खाते रहने चाहिये या नहीं। मैं समझता हूं कि इस बात से सभी सहमत हैं कि हमारे यहां बड़ी जोतें नहीं होनी चाहिये और इसके लिये हमारे माल मंत्री महोदय ने भी अपने विचार कभी-कभी प्रकट किये हैं। मैं तो ३० एकड़ भी ज्यादा समझता हूं। और यह मानता हूं कि एक व्यक्ति के पास साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिये जिसको कि वे अपने बैलों से जोत सकें। हमारे देश में बड़े खातों का होना जनहित में नहीं है। आज ट्रैक्टर से खेती करना, खेतों में मशीनों का प्रयोग करना बेरोजगारी को दावत देना है और आज देहातों में जो बेरोजगारी है उसकी जिम्मेदारी इन बड़ी जोतों पर है और उसमें सरकार ने जो सहायता दी है, बड़े-बड़े ट्रैक्टर तथा सिंचाई के यन्त्र खरीदने के लिये या दूसरे यंत्रों के प्रचार के लिये जो सहायता दी जा रही है इससे देहातों में बेरोजगारी फैल रही है। जब हमारे सामने बड़ी समस्या बेरोजगारी की है तो हमें उसको हल करने के लिये इन बड़ी जोतों को प्रोत्साहन नहीं देना है बल्कि उनको छोटा करना है। यह टैक्स ३० एकड़ से ऊपर के काश्तकारों से लिया जाता है, मैं तो कहता हूं कि इसमें वृद्धि होनी चाहिये। मैंने अपनी यह राय एक बार नहीं अनेक बार प्रकट की है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने सन् १९५७ की बात कही, उससे भी खतरा इन बड़ी जोत वालों को होना चाहिये। छोटे मजदूरों या साधारण जनता को उससे खतरे का सवाल ही नहीं है। वह अपने खतरे की बात कहें। सरकार के खतरे की बात तो है नहीं। सरकार तो जनता की सरकार है। जनता के पास झोपड़ियां ह। सन् ५७ में तो अगर खतरा होगा तो महलों को खतरा होगा। वह इस तरह की बात कह कर अपने लिए जनता के अन्दर एक दुर्भावना पैदा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में यह अवश्य प्रार्थना करूंगा कि वह अब ज्यादा इन बड़ी जोतों को प्रोत्साहन न देकर ये जो दरें बढ़ायी गई हैं इन दरों की छानबीन और टैक्स लगाने की नीति में थोड़ी सी सख्ती करें। मैं यह जानता हूं कि बड़े-बड़े फार्मों वाले दस आना रोज मजदूरी देते हैं मगर उनके दस्तखत डेढ़ रुपये रोज पर ले लेते हैं, इसकी छानबीन नहीं होती। जो अनपढ़ किसान हैं, अथवा पढ़े लिखे नहीं हैं वे इस तरह की चालाकियां नहीं करते, उन पर तो टैक्स सही लगता है लेकिन बड़े-बड़े फार्मों वालों पर सही टैक्स नहीं लगता। इन लोगों ने नाबालिग़ बच्चों के नाम अपने फार्म बांट रखे हैं। यही नहीं, उन्होंने खानदान के लोगों के नाम इकट्ठा करके कोआपरेटिव फार्मिंग शुरू कर दी है। इस मामले में एक विशेष तेजी आनी चाहिये और हमारे अधिकारियों के अन्दर एक विशेष स्फूर्ति होनी चाहिये जिससे कि इन लोगों से सही टैक्स वसूल हो सके। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि इन लोगों से सही तथा पूरा टैक्स नहीं मिल पाता। इसमें सख्ती करने की जरूरत है।

श्री गेंदा सिंह––माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी के बोलने के पहले, मैं कुछ परेशानी में हूं कि मैं जवाब क्या दूं। लेकिन माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने दो एक बातें कहीं हैं, इसलिए उनकी खिदमत में मैं कुछ कहूंगा और वह यह कि उन्होंने हमारी आस्था को यह कहा कि इंगलैण्ड और अमेरिका की डेमोक्रेसी में हमारी

[श्री गेंदा सिंह]

आस्था हो गई है। तो सच्चाई के प्रति तो हमारी आस्था है ही और जहां कोई बात सच्चाई पर आधारित है, तो उसे तो हम कहेंगे। मैंने इंगलैण्ड और अमेरिका का उदाहरण इसलिए दिया कि रूस और चीन और वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो कि युगोस्लाविया वग़ैरह में चल रही है, उसका नाम लेने पर तो सरकार कहती है कि वहां तो खूनखराबी के ढंग से काम हो रहे हैं।

श्री चरण सिंह—आप क्या कहते हैं ?

श्री गेंदा सिंह—मैं अर्ज तो कर रहा हूं। मगर इंगलैण्ड और अमेरिका में बिल्कुल इस तरह से काम हो रहा है जिसको कि पूंजीवादी डेमोक्रेसी उन्होंने कहा। तो उस पूंजीवादी डेमोक्रेसी का उदाहरण हमने दिया कि अगर उस तरह से भी काम किया जाय तो भी आज खेती करने वालों की हालत जितनी बिगड़ रही है, उतनी न बिगड़े। माननीय पद्मनाथ सिंह जी की खिदमत में मैं अर्ज करूंगा कि 'फार्म प्राइस सपोर्ट पालिसी' उनकी एक किताब निकली है, वे पढ़ने-लिखने वाले आदमी हैं, उसको वे देख लें। मेरा ख्याल है कि उसको देख लेने के बाद वे हमारे साथ होंगे। राजस्व मंत्री जी के लिए उनके मन में बड़ी उत्तम धारणा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने रेवोल्यूशनरी शब्द कहा उनके लिए कि उन्होंने कृषि सम्बन्धी नीति में रिवोल्यूशनरी कदम उठाये। मैं भी राजस्व मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं। मगर मैं माफी चाहूंगा कि जो व्यक्ति भूमि के बटवारे का विरोध करे, उसे मैं कभी रिवोल्यूशनरी नहीं कह सकता, क्योंकि उसके बिना हमारे देश की समस्या कभी हल नहीं हो सकती। अब रही बात यह कि महीलाल जी ने या हमारे माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने जो कहा कि इनको तो यह कहना ही नहीं चाहिए था तो हम तो अपनी यह जिम्मेदारी समझते हैं कि जो सच्ची बात समझ में आये वह हम जरूर कहें, चाहे वह किसी के माफिक पड़े, चाहे किसी के खिलाफ पड़े। तो यह सलाह हम जरूर चाहेंगे माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी से कि कभी-कभी हमको वह ऐसी भी सलाह दे दिया करें कि किस मामले में हमको बोलना चाहिए और किस मामले में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि यहां बैठने की जिम्मेदारी निभाने का अधिकार हमको जरूर है और इसलिए जो उचित बात है, वह हम जरूर कहेंगे। राजस्व मंत्री जी ने चूंकि कुछ भी नहीं कहा इसलिए अब मैं क्या कहूं। मगर फिर भी सुझाव के रूप में अन्त में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में असल में पेड़ों की कमी है, अध्यक्ष महोदय और बन लगाने का हमारे माननीय राज्यपाल ने जो कार्य किया है उसके लिये हम उनके सारे कार्यों से विरोध में रहते हुए भी उनके प्रशंसक हैं, क्योंकि जब वह खाद्यमंत्री थे हिन्दुस्तान के, उस समय से उन्होंने इस चीज को चलाया था। यह बड़ा उत्तम कार्य उन्होंने किया है। बाग को अगर इस ऐग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाय तो शायद इसमें भी कुछ तरक्की लोगों की होगी। माननीय शिवनारायण जी ने कहा कि यह क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं ? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भवन की नाक पकड़ने की क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। अगर राजस्व मंत्री जी कहते कि भूमि बटवारे के लिए एक टेढ़ी पालिसी हमारी है तो हम उस पर सोचते। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी कभी इस बात को नहीं कह सकते कि यह काम जो ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाने का किया गया है वह इसलिए किया गया है कि धीरे-धीरे यह जमीन दूसरे लोगों के पास चली जायगी। यह ख्याल गलत है, कभी नहीं जायगी। शिवनारायण जी जिनकी बात सोचते हैं उनके पास तक तो जायगी ही नहीं। अगर जमीन को बेंचने का अख्तियार बेंचने वाले को है तो वह तो उसी को बेचेगा जिसके पास रुपया होगा और जमीन भी रुपये वाले के पास जायगी। शिवनारायण जी और महीलाल जी जिनके लिए सपना देखते हैं उनके पास नहीं जायगी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भूमि के बटवारे की

बात कही जाती है वह अन्याय है। सीधे-सीधे इस बात को कबूल करना चाहिये। जब कि प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल जी और सेंट्रल गवर्नमेंट इस राय के हो सकते हैं कि सीलिंग मुकर्रर होनी चाहिये तो माननीय राजस्व मंत्री जी को भी विरोध नहीं करना चाहिये। उनको आगे आना चाहिये ताकि पद्मनाथ सिंह जी के कहने के मुताबिक हम भी उनको रिवोल्यूशनरी कह सकें।

श्री चरण सिंह––श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी की तकरीर सुन कर कुछ अधिक अचम्भा मुझको नहीं हुआ, क्योंकि जब एक आदमी यह तय कर ले कि हर मामले का विरोध करना ही है तो विरोध करते समय उससे यह आशा नहीं की जाती है कि वह सारी बात माकूल कहेगा ही। मजबूरी है उसकी, मसलन, उन्होंने अपनी तकरीर इस वाक्य से आरम्भ की कि किसानों की आमदनी गिरती जा रही है और हमारे सूबे में छोटे किसान हैं। श्रीमन्, जिस वक्त ऐग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स ऐक्ट का अमेंडिंग बिल यहां पेश था और जेर गौर था उस वक्त इस मसले पर काफी तफसील के साथ बहस हुई थी। मैं आपके जरिये माननीय गेंदा सिंह जी को यह बतलाना चाहता हूं कि उनके डिवीजन में ६५ एकड़ से नीचे वाले किसान के पास टैक्स के लिए नोटिस भी नहीं जायगा। बुन्देलखंड में ११० एकड़ के नीचे के किसान के पास टैक्स के लिए नोटिस नहीं जायगा और सारे सूबे में औसत ५५–५६ एकड़ पड़ता है। मेरठ डिवीजन में ३६ एकड़ से नीचे वाले के पास आम तौर से नोटिस नहीं जायगा। ३० एकड़ वाले के पास, अगर किसी की जमीन बहुत अच्छी किस्म की हो और १२, १३, १४, १५ रुपया फी एकड़ भी सर्किल रेट हो, अगर उसकी आमदनी ४,२०० से ज्यादा हो तो भी–अगर ३० एकड़ से कम जमीन है–तो भी नोटिस नहीं जायगा। तो मतलब यह हुआ कि छोटे किसान से टैक्स लेना तो दूसरी बात है, नोटिस भी नहीं जायगा। हमारे यहां ८५–८६ लाख किसानों के परिवार सारे सूबे में हैं, जिनमें ८,००० आदमियों पर असेस्मेंट हुआ। तो यह जो टैक्स लग रहा है यह छोटों पर लग रहा है या बड़ों पर? जब इस हाउस से माननीय गेंदा सिंह चले जायं अपने मकान पर, उन माननीय गेंदा सिंह जी के ऊपर इस निर्णय को छोड़ता हूं।

दूसरी बात यह कही गयी कि रिवेंजफुल ऐटीट्यूड (बदले की भावना) जब कि खुद चरण सिंह कह चुके हैं, नहीं होना चाहिये तो इसमें जमींदारों से क्या वास्ता है? ख्वाह वह जमींदार रहा हो या काश्तकार रहा हो। बहुत से किसानों के पास भी बड़े खेत थे और बहुत से बड़े जमींदारों के पास एक बीघा भी जमीन जेर काश्त नहीं थी, इसलिये बदले का सवाल नहीं उठता। जमींदारों से इससे कोई वास्ता नहीं है। कोई भी आदमी हो, चाहे वह जमींदार रहा हो या काश्तकार, उसके ऊपर यह टैक्स है तो जमींदारी से कोई वास्ता नहीं है। लिहाजा मेरा दृष्टिकोण रिवेंजफुल (बदला लेने की भावना) का है या नहीं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है।

श्रीमन्, तीसरी बात उन्होंने भ्रष्टाचार की कही और जो कुछ उन्होंने कहा वह ऐसा ही था कि अगर कोई रंगीन ऐनक लगा ले तो चारों तरफ उनको रंगीनी ही दिखाई देगी। श्री गेंदा सिंह जी ने वही ऐनक लगा रखी है इसलिये उनको आज चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है। जिस समय यह बिल बनाया गया था तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया और माननीय गेंदा सिंह जी भी उसके मेम्बर थे। हमने हर तरह से इस बात की कोशिश की कि किस तरह से इसमें से करप्शन को हटाया जा सकता है। बहुत सोच समझ के बाद यह बिल बनाया गया है। पहले तो यह है कि उसके पास नोटिस भेजा जायगा और अगर वह समझता है कि ज्यादा पड़ता है तो वह अपनी ऐक्चुअल इन्कम को साबित करे।

[श्री चरण सिंह]

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि इन तीन सालों के अन्दर रिश्वत के मुताल्लिक मेरे पास केवल दो शिकायतें आईं सारे सूबे भर में, तो इसमें भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है।

चौथी बात उन्होंने फार्लिंग प्राइसेज के बारे में कही, श्रीमन् आपने ही उनको रोका था, क्योंकि कीमतें गिरती जा रही हैं। मैंने कहा था कि किसान कपड़ा भी पहनता है तो वह टैक्सटाइल पालिसी पर व्याख्यान देने लगे। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री नाराज हो जाते हैं और उनको मेरी तन्दुरुस्ती का बहुत ज्यादा खयाल है। मैं नाराज नहीं होता हूं और मैं अपने दिल में उनकी तरफ बहुत ऊंची धारणा रखता हूं। लेकिन उनकी तरफ से जब कोई गलत दलील दी जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया मेरे ऊपर अवश्य होती है। उसको वह गुस्सा समझते हैं। मैं प्राइसेज के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। बात यह है कि अमरीका और इंगलैण्ड में जो पालिसी रही उसके नीचे सवाल यह था कि वहां पर ऐग्रीकल्चरिस्टस की जो क्लास है वह अमेरीका में १९ प्रतिशत खेती करते हैं और इंगलैण्ड में ६ प्रतिशत खेती करते हैं। इस प्रकार से अमरीका में ८१ प्रतिशत से जो टैक्स आता है उससे वह अपने यहां के १९ प्रतिशत खेती करने वालों की मदद आसानी से कर सकते हैं। इंगलैण्ड की सरकार भी जो ९४ प्रतिशत लोगों से टैक्स आता है उससे ६ प्रतिशत की मदद कर सकती है। लेकिन हमारे यहां तो एग्रीकल्चरिस्ट्स की कोई क्लास नहीं है बल्कि मासेज हैं। अगर हमारे यहां यह होगा तो दिक्कत होगी। अगर प्राइसेज सपोर्ट से जो नुकसान होगा तो वह किसानों से ही तो आयेगा। यह चीज मैं उनके ऊपर छोड़े देता हूं।

पांचवीं बात यह है, मसलन उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिये जो किसान खेती करे उसमें से कटौती दी जाय तो वह चीज इसके अन्दर है। जो आदमी खर्च करता है वह कटता है। दूसरे उन्होंने कहा कि इन्श्योरेंस करा दें तो मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि माननीय गेंदा सिंह जी पढ़ने की तकलीफ नहीं करते हैं .....।

श्री गेंदा सिंह—मैंने पढ़ा है।

श्री चरण सिंह—क्या पढ़ा है जनाब ने? इसमें यहां तक ही नहीं है कि आप इंशयोरेंस न हो बल्कि लाइफ इंश्योरेंस करा ले तब भी कटता है, इसके लिये मैं आपकी आज्ञा से १२ (बी) पढ़ कर सुनाये देता हूं वह इस प्रकार है कि :—

"Any sum paid by such person to effect an insurance on the life of such person or on the life of a wife or husband or dependent son of such person or in respect of a contract from a deferred annuity on the life of such person or on the life of a wife or husband or dependent son of such person, as the case may be provided that the aggregate of any sums exempted under this clause shall not exceed one sixth of the total agricultural income of the assessee or Rs.6,000 whichever be the less:"

श्रीमन्, मतलब यह है कि जो आपने बीमा करा लिया, चाहे अपनी गृहिणी का करा लिया चाहे अपने पुत्र का करा लिया, चाहे जो और आश्रित हो उसका करा लिया तो वह सब उसमें कट जायगा और फस्ल के लिये भी सेक्शन ६ में है कि अगर आप इन्श्योरेंस आपने करा लिया तो उस इन्श्योरेंस की रकम भी कट जायगी।

एक बात उन्होंने फिर वही बाग-बगीचों की बाबत कह डाली कि टैक्स कुछ कम करो या बिल्कुल ही माफ करो। तो जहां तक एफारेस्टेशन आदि की जरूरत है हमारे देश और विशेषकर हमारे प्रदेश की इसमें दो रायें नहीं हैं। गवर्नमेंट इसके लिये बहुत कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट की सारी नीति इस तरह की है जिससे

हमारे यहां जंगलात और बाग-बगीचे लगते चले जायं। जहां तक टैक्स का ताल्लुक है वह तो बगीचे पर बहुत ही कम कर दिया गया है। ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स अमेंडमेंट बिल पर सारी बहस हुई थी। उसमें और चीजों का साढ़े १२ गुना मल्टिपिल माना है लेकिन जहां तक बागात का ताल्लुक है ६ नवम्बर, १९५४ को एक नोटिफिकेशन के जरिये गजट में प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें ६, १०–१०, ६, ५, ६, ८, २, ४, ७, ५, २, ३ इस तरह के हर जिले के लिये, हर किस्म के बगीचे के लिये अलग-अलग मल्टिपिल्स हैं। नाम मात्र के लिये इन्कम टैक्स है और ६५ बीघे की लिमिट उस पर लागू होती है। ६५ बीघे तक तो देवरिया में टैक्स लगता ही नहीं है किसी पर और जहां तक प्रोत्साहन देने की बात है, तो हमारे जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रेफार्म्स ऐक्ट की जो सारी पालिसी है उससे भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। वह इस प्रकार है कि मान लो गेंदा सिंह जी एम० एल० ए० हैं और रहते हैं लखनऊ में और जमीन देवरिया जिले में है। तो खेती कर नहीं सकते और किसी दूसरे को जमीन दे नहीं सकते, बाग-बगीचे लगा सकते हैं। यही नहीं, हम मालगुजारी भी माफ कर देते अगर किसी खास किस्म के बाग-बगीचे लगा दिये जायं और इन दो, तीन साल के अन्दर हमारा रकबा बढ़ता चला जा रहा है। श्रीमन्, अभी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों अखबारों में एक काफी सम्मानित सज्जन की तरफ से बाग-बगीचों की बाबत एक लेख निकला था। तो मालूम ऐसा होता है कि गेंदा सिंह जी ने वह आर्टिकिल पढ़ लिया है। उसमें भी यही शिकायत थी कि मल्टिपिल कम हो। वह आर्टिकिलस तो गलतफहमी पर था और वही गेंदा सिंह जी ने यहां कह दिया।

अब रही रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड की बात। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे सूबे में यह समस्या नहीं है। कुल २,६०० खाते सारे सूबे में ऐसे हैं जो १०० एकड़ से बड़े हैं। तो समस्या न हो लेकिन किताबों में पढ़ लिया है लिहाजा होना चाहिये। अगर यह जरूरी होता और कोई समस्या हमारे सूबे में हल होती रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड से तो जैसा कि आपको और सारे सदन को मालूम है कि जहां तक हमारे संगठन का ताल्लुक है उस उसूल से हमको इन्कार नहीं है। लेकिन वह समस्या हमारे सूबे के अन्दर नहीं है। जब रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड की बात आयेगी तो माननीय गेंदा सिंह क्या कहेंगे मैं कह नहीं सकता। अभी तो वह टैक्स लगाने के भी लिखाफ हैं बड़ों पर।

श्री गेंदा सिंह––मैं आपका स्वागत करूंगा।

श्री चरण सिंह––श्रीमन्, मुझे यह मालूम नहीं है कि कितना बड़ा फार्म है। माननीय गेंदा सिंह जी का, तब होती परेशानी। मैं जाती बात नहीं कहना चाहता। यह बड़े आदमियों के पास जो फार्म हैं उन पर टैक्स लगाने, ज्यादा टैक्स लगाने के बारे में जो उनका ख्याल था, माननीय गेंदा सिंह की जो स्पीच हुई उससे उनकी हिफाजत की ध्वनि निकलती है न कि रिडिस्ट्रीयुब्शन आफ लैंड की नीति की पुष्टि होती है। हां, जबान पर रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड की बात जरूर है।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १––कृषि–आय–कर की उगाही पर व्यय–(लेखा शीर्षक ४––कारपोरेशन कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर दूसरे कर) के अन्तर्गत २,३६,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिपारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन के अन्तर्गत २,०६,९४,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इसके दो भाग हैं—उपनिवेशन और कृषि इंजीनियरिंग। पहले यह दोनों विभाग कृषि विभाग के अधीन थे। अब इसमें उपिनिवेशन वाला जो भाग है वह मुहकमा माल के सुपुर्द है। तराई और भावर गवर्नमेंट इस्टेट्स का वह हिस्सा जिसका रिक्लेमेशन करके, जो पंजाब से मुसीबतजदा लोग आये थे वे या एक्स सर्विसमेन, या एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स या और लोगों को जहां बसाया गया वह इलाका, और दूनागिरी, अल्मोड़ा में एक छोटा सा खित्ता कालोनाइज किया गया वह और गंगाखादर, यह इलाका कृषि विभाग के इन्तजाम में से निकाल कर यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुपुर्द हो गया। अब से कोई सवा साल हो गये। कोशिश यह है कि जिस तरह से और नार्मल एडमिनिस्ट्रेशन सारे सूबे का है धीरे-धीरे इन इलाकों में भी नार्मल ऐडमिनिस्ट्रेशन हो जाय।

दूसरा भाग है—कृषि इंजीनियरिंग, जिसमें ट्रैक्टर वर्कशाप, टयूबवेल की तकावी, बंधी की तकावी वग़ैरह और ट्रैक्टरों के लिए तकावी रहटों के लिए, कुओं की सफाई के लिए और इसी किस्म की तकावी, और ड्रेनेज की स्कीम्स कृषि इंजीनियरिंग के अन्दर आती हैं। लेकिन अभी कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अपने नियमों की कठिनाई के कारण ये दोनों मदें अलग-अलग न की जायंगी, लिहाजा उनकी एक ग्रांट है। चाहे मैं इस ग्रांट को पेश कर देता, चाहे माननीय हुकुम सिंह जी जो इस समय कृषि मंत्री हैं वह पेश कर देते। मैंने इसलिये इसको संकेत कर दिया कि माननीय सदस्यों को इसको देख कर कोई शंका न हो। तो इसके लिये २,०६,९४,३०० रुपयों की मांग है, जिसका उपनिवेशन विभाग से सम्बन्ध है।

मौजूदा वर्ष में साढ़े चौंतीस सौ एकड़ नयी जमीन तोड़ी गयी। २,१०० एकड़ जमीन पहले तोड़ी गयी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस पर खेती न हो सकी तथा वहां पर लोग बस न सके, इसलिये वह दोबारा तोड़ी गयी। ६९८ नयी फेमिलीज़ को आबाद किया गया, २२८ मकान बनवाये गाये। २०—२५ मील लम्बी सड़क बनवाई गयी। इसके अतिरिक्त कुछ टयूबवेल्स भी इस इलाके में बनवाये गये हैं। ३६ सौ एकड़ जमीन तराई के अन्दर ऐसी है, जिस पर पूर्वी बंगाल से आने वाले लोगों को बसाया जायगा। उपनिवेशन की जो मद है, उसमें २७,८३,००० रुपये का खर्चा है, लेकिन पौने दो करोड़ रुपये का जो खर्चा है वह ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में है। पहले स्टेट ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन के पास ५०० ट्रैक्टर्स थे, लेकिन अब केवल १८४ हैं। कुछ तराई में स्टेट फार्म को सुपुर्द कर दिये गये हैं, कुछ मरम्मत करके इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को दे दिये गये हैं, कुछ मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स के पास हैं, वे मेक ओवर कर दिये गये हैं। इस तरह से अब केवल उनके पास १८४ ट्रैक्टर्स हैं। हमारे यहां इसके ३ बड़े वर्कशाप्स हैं। १—सेंट्रल वर्कशाप, बरेली, २—मेरठ व ३—लखनऊ में। इस साल महकमे नहर का कुछ काम फाटक बनाने का मिल गया था, जिनमें अगली साल में १५ लाख खर्चा होगा और १७ लाख उनसे आमदनी होगी। इस प्रकार अब बजाय घाटे के यह मुनाफे पर चल रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट से अगर ट्रैक्टर्स लिया जाय तो गवर्नमेंट १० हजार रुपया तकावी देती है और अगर बाहर से लिया जाय तो ५ हजार रुपया तकावी का देती है। इस प्रकार से ५४—५५ में सरकार ने

४,३०,००० रुपया दिया था। १५ ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट से खरीदे गये और ५६ ट्रैक्टर्स ५-५ हजार रुपया लेकर बाजार से खरीदे गये।

श्रीमन्, गवर्नमेंट के पास एक पंपिंग इंस्टेलेशन था, जिसका ४ रुपया फी एकड़ लगाया जाता था, जिसमें से ढाई रुपया फी एकड़ किसान से लेते थे और डेढ़ रुपया माफ कर दिया जाता था लेकिन फिर भी हमारी यह स्कीम जनप्रिय साबित न हो सकी। अब तय यह किया गया था कि उसको अगर कोई किसानों की कोआपरेटिव सोसाइटी लेना चाहे तो उसको हम मौजूदा कीमत की ५० प्रतिशत पर दे देंगे और बाकी ५० प्रतिशत सब्सिडी समझी जायगी। यह स्कीम अगले साल भी लागू रहेगी।

बहुत सी जगहों पर पानी भर जाता है, वाटर लोगिंग हो जाता है उसको निकालने के लिये ड्रेनेज इम्प्लीमेंट रखा गया है। अब तक १८४ हजार एकड़ जमीन ड्रेनेज स्कीम के जरिये पानी के नीचे से निकाली गयी है। इरादा यह है कि अगले साल ५० हजार एकड़ जमीन पानी के नीचे से और निकाली जाय।

टेहरी में १ हजार रुपया गूलें बनाने के लिये रक्खा गया है। सन् १९५१-५२ में ६५२ एकड़ जमीन में आबपाशी के साधन हुए, सन् १९५२-५३ में ९६३ एकड़ में और सन् १९५३-५४ में ३ हजार एकड़ जमीन में आबपाशी के साधन हुए। सन् १९५४-५५ के आंकड़े अभी नहीं आये हैं, इसलिये मैं नहीं कह सकता। अगले साल ४ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई का प्रबन्ध है और उसके लिये एक लाख रुपया इसमें रखा गया है। श्रीमन्, यह जो पक्के कुएं हैं, जिनको मैसोनरी वेल कहते हैं उनके लिये भी गवर्नमेंट ने इमदाद दी और अगले साल भी देगी। इमदाद देने का नतीजा यह हुआ है कि अब तक ४९ हजार कुयें सारे देहातों में बने हैं और अगले साल हम १० हजार कुओं के लिये और इमदाद देने जा रहे हैं। इमदाद देने का जो तरीका है वह यह है कि पश्चिमी जिलों में १०० रु० फी कुवां, पूर्वी जिलों में ३०० रु० फी कुवां और मथुरा तथा आगरा जिले में जहां पानी की सतह बहुत गहरी है, वहां एक कुवां बनाने में दो-दो और ढाई-ढाई हजार तक रुपये खर्च होते हैं वहां के लिये ६०० रु० रखा गया है। यह सिर्फ इन्हीं दो जिलों के लिये है तो इसके लिये भी इसके अन्दर रुपये रखे जा रहे हैं।

श्रीमन्, कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स के लिये १० लाख रुपया सब्सिडी और २० लाख रुपया तकाबी के लिये रखा जा रहा है। मौजूदा वर्ष में तीन सौ कोआपरेटिव ट्यूबवेल का इन्तजाम था और अगले साल दो सौ कोआपरेटिव ट्यूबवेल का इन्तजाम है और अब ५०० रुपया बतौर सब्सिडी के दिया जायगा। इसके अलावा कोआपरेटिव तरीके पर जो पुराने ट्यूबवेल्स बने हैं उनकी सफाई वगैरह कोई कराना चाहे तो करा सकता है और इसके लिये गवर्नमेंट बिना सूद के तकाबी देगी। इसके लिये १० लाख रुपया रखा जा रहा है। इसी तरह से ४ सौ रहट लगाने का प्रबन्ध है और जो रहट लगाना चाहे, फी रहट २५० रु० तकाबी के रूप में बिना सूद दिया जायगा। तो इसके लिये भी एक लाख रुपया रखा जा रहा है। ये जो मोटी-मोटी बातें हैं, मैंने आपकी इजाजत से गिना दीं। एक बात और मैं आपकी इजाजत से कह दूं कि कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स के सिलसिले में कुछ शिकायतें आयी थीं कि गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चरल इंजीनियर इनचार्ज डिपार्टमेंट हैं वे वक्त पर जाकर कुआं सिंक नहीं करा पाते हैं, देर हो जाती है। तो अब गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट तरीके पर अपना ट्यूबवेल बनाना चाहें बनावें और उनको सब्सिडी भी उतनी ही मिलेगी। पुराने मैसोनरी वेल को सब्सिडी देने का काम जो एग्रीकल्चरल चीफ इंजीनियर के जिम्मे था उसी के यहां उसका हिसाब-किताब रखा जाता था। मुझे इसको मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हिसाब

[श्री चरण सिंह]

ठीक तरीके से नहीं रखा गया जिसकी वजह से बहुत से गरीब किसानों को वर्षों तक सब्सिडी के लिये टक्कर मारते हो गये, लेकिन वे नहीं पा सके। अब इस साल स्कीम को बदल दिया गया है और चीफ इंजीनियर से अब उसका कोई वास्ता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जिम्मे अब इस काम को कर दिया गया है। इसके लिये स्पेशल ड्राइव कराया गया था तो लाखों रुपया जिनको सब्सिडी का हक था दिया गया, लेकिन अभी भी सब्सिडी देना बाकी है और उसके लिये खासतौर से कोशिश की जा रही है। इन शब्दों के साथ में अपने इस अनुदान को फिर आपकी इजाजत से पेश करता हूं।

†श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपया कम करने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्रीमन्, आप स्वयं जानते हैं कि यह विभाग इतना महत्वपूर्ण है कि १० मिनट की अवधि में इस सम्बन्ध में हाउस के अन्दर कोई सुझाव या आलोचना नहीं की जा सकती है। आप यह देखेंगे कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने माना कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग के अलग किये जाने की आवश्यकता थी और वह तो खासतौर पर कृषि मंत्री जी के चार्ज में था। मैं चाहता हूं कि नियम के अनुसार ही काम होता और माननीय कृषि मंत्री जी जो उसके लिये उत्तरदायी हैं, वे भी यहां प्रस्तुत होते तो इन तमाम सुझावों पर विचार कर सकते।

श्री चरण सिंह--मैंने अभी उनको बुलवाया है और ऐसे में भी इसके लिये उत्तरदायी हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने कहा कि आप ही कृषि मंत्री भी रहते तो अच्छा था। स्टेट ट्रैक्टर्स आर्गनाइजेशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि ५०० ट्रैक्टर्स में अब १८४ रह गये हैं। यह सरकार के ट्रैक्टर्स पालिसी की स्वतः आलोचना है। पहले सरकार ने एक स्टेट ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन बनाई और अब एक ट्रैक्टर इन्क्वायरी कमेटी सरकार ने बिठाई है, जो यह ट्रैक्टर्स का प्रबन्ध है उसको देखने के लिये यह कमेटी बिठाई गई है। इस सम्बन्ध में जो पिछले ४ सालों में आलोचना हुई है उसके अनुसार काम नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि ट्रैक्टर्स संगठन के बारे में जो यह इन्कवायरी कमेटी बैठी है वह केवल इतनी ही जांच न करे कि आगे क्या होगा बल्कि पिछले दिनों में जो उसमें गड़बड़ी हुई है उसकी भी वह जांच करे। आरम्भ के दो सालों में तो कुछ प्रयत्न हुआ था कि स्वयं वहां जाकर सरकारी लोगों ने देखा और डिप्टी मिनिस्टर रावत जी खास तौर से इस काम को देखने के लिये नियुक्त किए गए थे, लेकिन २ साल से इस तरफ बिल्कुल ढील छोड़ दी गई है और जो वहां राजनीतिक पीड़ित हैं या पूर्वी बंगाल से आये हुए हैं या पंजाबी भाई हैं उनकी हालत कोई सन्तोषजनक नहीं है। वहां मनमाने तौर से लगान तेजी से वसूल किया जा रहा है और जब से जमीन उनके नाम एलाट हुई है उसी समय से उनसे मनमाने रेट पर लगान वसूल किया जा रहा है और कोई रेट आज तक तय नहीं हुआ है जब कि वहां तराई भावर का रेट लगना चाहिये था, वह रेट कुछ है। और इस कालोनाइजेशन में वहीं उससे ढाई गुना वसूल किया जा रहा है। उनके ऊपर तकावी, कर्जे आदि का भार तो है ही और उसी के साथ लगान का भी भार अधिक बढ़ रहा है। वहां पर मलेरिया भी बढ़ता चला जा रहा है और उसकी रोकथाम पहले से बराबर कम होती चली जा रही है। मैं आपके सम्मुख केवल एक सुभाषनगर सोसाइटी की बात रखता हूं जहां पर पूर्वी

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिलों के लोग बसाये गये हैं। वहां पर ५ व्यक्ति मलेरिया से मर गये, यह लोग बलिया, गाजीपुर आदि के पोलिटिकल सफरर हैं, जिनकी यह सोसाइटी है।

वहां पर इन्सपेक्शन्स की हालत यह है कि इतना बड़ा डायरेक्टरेट है कि वहां कालोनाइजेशन की स्कीम अमल में लावे, लेकिन वहां ए० डी० एम० नैनीताल को कालोनाइजेशन अफसर बना दिया गया है। नतीजा यह हुआ कि कहीं पर भी कालोनाइजेशन अफसर का दौरा नहीं हुआ। पिछले एक साल में एक बार भी असिस्टेंट कालोनाइजेशन आफिसर कहीं भी नहीं गए जब कि उनके पास जीप और लैंड रोवर्स सब मौजूद हैं। जो पुरानी जमीनें तोड़ी गई थीं, वे फिर बंजर होती जाती हैं। वहां पर ३ प्रकार की जमीनें हैं। एक तो वे हैं जो नई तोड़ी गई हैं और एलाट नहीं हुई हैं और दूसरी वे हैं तो तोड़ी गई हैं और बहुत दिन बाद एलाट हुई हैं और जिनमें फिर से तमाम घास आदि हो गई है और तीसरी वह जमीन है जो एलाट हो गई है, लेकिन उसके बीच में बंजर और चरागाह की जमीन खराब किस्म की अभी पड़ी हुई है जिसमें तमाम जंगली जानवर अभी अपना अड्डा बनाये हुये हैं और जो एलाट हुई हैं उसमें आकर नुकसान करते हैं और उससे तमाम वहां की आबादी बरबाद होती जाती है। हाल ही में अब वह हिस्सा साफ कराया जा रहा है, जिस का आधा खर्च सरकार देगी और वह लोग देंगे, लेकिन अभी तक वह आर्डर ही वहां नहीं पहुंचा है। सड़कों की हालत वहां यह है कि सिर्फ रुद्रपुर वाली एक मोटर रोड है और उसको गांवों से मिलाने वाली कोई ढंग की सड़क नहीं है। वहां आने जाने के कोई साधन नहीं हैं और वह एरिया कालापानी हो गया है। साढ़े ५ करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन वहां कुछ होता नजर नहीं आता है। आपने तो यह कह दिया कि वहां बहुत कुछ हो रहा है और बराबर धन दिया जा रहा है। साथ ही वहां केवल समस्या एलाटमेंट की नहीं है बल्कि वहां के कर्मचारी केवल रुद्रपुर में पड़े रहते हैं और उनका कोई सम्बन्ध वहां के अन्दर के इलाके के लोगों से नहीं है। माननीय मंत्री जी को शायद मालूम हो या न मालूम हो लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी को मालूम है कि पूर्वी बंगाल के रिफ्यूजीज वहां भेज दिये गये थे, लेकिन आज तक उनको जमीन ठीक से एलाट नहीं हो सकी और वहां पर ३ सौ रिफ्यूजीज ने भूख हड़ताल भी की है और हमारे कहने पर नहीं, कहीं माननीय मंत्री जी को उसमें भी लाल टोपी नजर न आने लगे, लेकिन उनको अलाटमेंट नहीं किया गया। रिपोर्ट दे दी गई कि जमीन तोड़ दी गई लेकिन आज माननीय माल मंत्री जी कबूल कर रहे हैं कि वहां कुछ जमीन तोड़ी गई है। तो जब पूर्वी बंगाल के रिफ्यूजीज वहां चले गये तो क्यों नहीं जमीन आज तक टूटी। माननीय मंत्री जी रिफ्यूजीज विभाग के भी इंचार्ज हैं। हमने वादा किया था कि १० हजार एकड़ जमीन मिलेगी, लेकिन साढ़े तीन हजार एकड़ जमीन टूटी। पूर्वी बंगाल के भाइयों के लिये तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने वहां उस जमीन में अपना धान सरकारी खर्च पर लगा दिया। उनको तो अलाट नहीं किया, लेकिन अपना धान रोपा गया और जो धान वहां पैदा हुआ उसको मनमाने ढंग से ए० डी० एम० ने नीलाम भी कर दिया है और कम से कम सवा लाख रुपये का नुकसान हुआ। तो जरा कालोनाइजेशन की व्यवस्था को आप सुधारें। वहां के मकानों को आप देखें। वहां से कितने डेपुटेशन आ चुके हैं कितनी बार कान्फ्रेन्सेज हो चुकी हैं लेकिन कोई कार्यवाही उस सम्बन्ध में नहीं हुई है। मैं मांग करूंगा माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कि सदन के हमारे विरोधी पक्ष के लोगों को वह न लें, लेकिन बहुमत दल के जो माननीय सदस्य हैं उनकी एक इन्क्वायरी कमेटी बैठा दें और अगर इन्क्वायरी कमेटी न बैठावें तो कालोनाइजेशन कमेटी ही बैठा दें यह जांच करने के लिये कि हमने जो करोड़ों रुपया खर्च किया है उसके बाद भी आज वहां क्या हालत है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तराई स्टेट फार्म्स है और वह एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। सब लोग तारीफ करते हैं जो मोटर की सड़कें हैं उनमें लोगों को घुमा फिरा देते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वह नहीं दिखाई जाती। जो आपकी कालोनाइजेशन कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश थी कि केवल एक हजार एकड़ पर स्टेट फार्म की खेती हो, लेकिन उस कमेटी की सिफारिश के खिलाफ १६ हजार एकड़ पर स्टेट फार्म बनाया गया। इस साल भी आप देखिये कि स्टेट फार्म में ९ लाख २२ हजार रुपये का नुकसान हुआ और वह आपके एस्टीमेट्स के अनुसार मौजूद है। क्यों नहीं, आप भूमिहीन लोगों को उस स्टेट फार्म को बांट देते और अगर स्टेट फार्म रखना ही है तो ४ हजार ५ हजार एकड़ का रखना चाहिये और नहीं तो कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार १ हजार एकड़ में स्टेट फार्म रखें। १६ हजार एकड़ का स्टेट फार्म रखना आज डिपार्टमेंट के काबू के बाहर है। और यह उचित नहीं है। चाहे भूदान यज्ञ के जरिये से ही करो, चाहे जैसे करो वह भूमि जो आपसे ठीक से इन्तजाम में नहीं आ सकती उसको भूमिहीनों में बांट दीजिये। उनको भरपेट खाने को तो मिलेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि राजनीतिक पीड़ितों के देने के लिये जमीन कहां है? यह जमीन इन्हीं को दे डालो। किन्हीं को दे डालो।

अन्त में मैं कालोनाइजेशन का जो डाइरेक्टोरेट है उसके सम्बन्ध में कहूंगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह जो सेंट्रल डाइरेक्टोरेट यहां पर बन गया है वह बिल्कुल अनावश्यक है, क्योंकि जिलों में आप ए० डी० एम्स और रेवेन्यू आफिसर्स के जरिये से काम कराते ही हैं तो फिर इस तरह का एक इतना बड़ा डाइरेक्टोरेट रख कर स्टेट की रेवेन्यू पर बिल्कुल अनावश्यक खर्चा किया जाता है।

मैं फिर अपनी मांग को दुहराऊंगा कि कालोनाइजेशन के इन्तजाम के लिये, गंगा खादर और काशीपुर तथा तराई की जांच के लिये माननीय मंत्री जी को अवश्य एक कमेटी बनानी चाहिये।

†श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा होता अगर इस ग्रांट को तोड़ कर दो विभागों में विभक्त किया जाता। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग यह सूचना विभाग के अन्तर्गत आ गया है और दूसरे हिस्से में कालोनाइजेशन वह भी दूसरे विभाग के अन्तर्गत आता है। तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में जब यह ग्रांट पेश हो तो यह अलग-अलग मदों में पेश की जाय जिससे जांच में भी सरलता हो और उस विभाग की जिम्मेदारी भी हलकी हो।

दूसरी बात.....

श्री चरण सिंह---इत्तिला के तौर पर कहना चाहता हूं कि बजट की जो मदें हैं उसमें स्पिलिट अप आडिटर जनरल की रजामन्दी से होता है। उनके यहां से सेक्शन नहीं आयी, इसलिये मजबूरी है।

श्री केशव गुप्त---दूसरी बात यह अर्ज करनी है कि माननीय मंत्री जी ने इस वर्ष भी ट्रैक्टर्स को सब्सिडी देने के लिए, ट्रैक्टर्स को खरीदने के लिये इसमें रक़म रक्खी है, मैं समझता हूं कि महीलाल जी ने बोलते हुये ठीक ही कहा था कि जितने भी ट्रैक्टर्स आप काश्तकारों को देंगे उनसे हमारे देहातों की बेकारी बढ़ती है। ट्रैक्टर्स आप वहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां कि बंजर भूमि हो, जहां पर हम आसानी से अपने बैलों के जरिये से काश्त न कर सकते हों। लेकिन हर जिले में हर जगह पर ट्रैक्टर्स की सहायता देना किसी हालत में भी गवर्नमेंट के

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये मुनासिब नहीं है, इससे हमारे देहात के अन्दर बेकारी बढ़ती जाती है। इन ट्रैक्टर्स को अब हमें रोकना चाहिये। हमारे एग्रिकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास काफी ट्रैक्टर्स मौजूद हैं। जहां नयी जमीनें तोड़ी जायं वहां उनको जरूरत पड़ने पर भेजा जा सकता है। यह एग्रिकल्चरल इंजीनिरयरिंग विभाग हमारे ऊपर भार स्वरूप है। जहां पर ४ रुपये फी एकड़ खर्चा पड़ता था वहां इन पंपिंग सेट्स से १०२ रुपये फी एकड़ का खर्चा आबपाशी का आया है, इसलिये एस्टिमेट कमेटी ने ठीक ही राय दी कि इसको फौरन् बन्द कर दिया जाय और इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको बन्द करने की कोशिश की और इसे बन्द कर दिया।

जहां तक तराई भावर और गंगा खादर का सम्बन्ध है मैंने इन दोनों चीजों को देखा है। यह दोनों स्कीम्स बहुत अच्छी हैं और तराई में जो स्टेट फार्म पर काम हो रहा है वह बहुत सुन्दर है। लेकिन गंगा खादर का जहां तक संबंध है वहां पर जो मकानात बने हैं उनकी जो कीमतें रखी गई हैं वे इतनी ज्यादा हैं कि वे बर्दाश्त के बाहर हैं। फिर वे मकानात इतनी क़ीमत के नहीं हैं जितनी कि लागत बतलाई जाती है। उसकी देख भाल की जरूरत है ताकि बसने वालों को सहूलियत हो।

तीसरी बात यह अर्ज करनी है कि गंगा खादर और तराई भावर में इतना सामान डाल दिया है, जो कि वहां की आवश्यकता को देखते हुये बिल्कुल भी जरूरी नहीं मालूम होता। मिसाल के तौर पर डेरी के लिये दोनों स्थानों पर लाखों रुपये का सामान डाल दिया गया है और वह एक रोज के लिये भी काम में नहीं आया और वहां पर जो दूध की समस्या है वह ऐसी बुरी समस्या बन गयी है जिसका संभालना मुश्किल हो गया है। दूध वहां पैदा होता है, लेकिन उसके लिये कोई बाजार नहीं है। कोई १० रुपये मन भी दूध खरीदने के लिये तैयार नहीं होता है। शहर उस इलाके से बहुत दूर पड़ता है। इस तरह से जहां पर आवश्यकता न हो वहां पर लाखों रुपये की मशीनरी डाल दी जाय विदेशों से मंगा कर, यह किसी तरह से भी उचित नहीं है। इसलिये वहां से उस मशीनरी को हटाइये, और दूसरी जगह पर जहां उसकी उपयोगिता हो वहां ले जाने की कोशिश की जाय। तराई भावर का जो फार्म है उसका अलग फार्म एकाउंट भी रक्खा जाय, ताकि उसकी प्रगति मालूम हो सके। यह नहीं कि खर्च करते चले जाइए और कार्मशियल हिसाब से आंकड़े न रक्खें जायं। कई साल वहां काम करते हुये हो गये। फार्म एकाउन्ट्स हाउस के सामने रक्खे जाया करें जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेट, स्टेट ट्यूबवेल्स और दूसरे कार्मशियल आपरेशंस के रक्खे जाते हैं।

कालोनाइजेशन के ऊपर जो सलाह मेरे दोस्त नारायणदत्त जी ने दी है उससे मैं सहमत हूं। लेकिन कालोनाइजेशन का जो फार्म बना है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि इतने बड़े फार्म के बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि रिपोर्ट में जो १ हजार एकड़ का फार्म बनाने की सलाह दी गयी थी वह बढ़ कर १६ हजार हो गई है, लेकिन वह फार्म हमारे यहां यू० पी० में नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष में एक गौरव की चीज है। उसने काफी उन्नति की है, काफी प्रगति की है। बागात बने हैं। इसलिये यह कहना कि वह स्टेट फार्म हमारे ऊपर बोझ है ऐसी चीज नहीं है। बल्कि इसका तो हमें स्वागत करना चाहिये। और इससे एक तरीके से हमारे देश में कोआपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग से क्या लाभ है, यह हमें जानने का मौका मिलता है। हमारी खेती छोटी होनी चाहिये या बड़ी, इन दोनों का इस फार्म से हम अनुमान लगाकर निश्चित कर सकते हैं कि किस तरह की खेती हमारे देश में उपयोगी होगी। दूसरी चीज जो आप ने ट्यूबवेल्स के लिये रखी है उसमें मैं समझता हूं कि आप ने जो ट्यूबवेल्स के लिये सब्सीडी रखी है वह बहुत हीं कम है। ट्यूबवेल्स की इतनी मांग है और खेती के लिये सिंचाई के जितने साधन आप अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं उनको बढ़ाते हुए मैं तो सुझाव दूंगा कि ट्रैक्टर्स की मद को कम कर के ट्यूबवेल्स में अगर आप रुपया बढ़ा दें तो उससे काफी भला होगा।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि विभाग का संबंध है वैसे तो हमारे प्रान्त में कृषि के द्वारा काफी उन्नति हुई है जिससे कि हमारी खेती की समस्या हमारे प्रान्त की ही नहीं बल्कि सारे भारत की, हल हो गई है परन्तु आज ही नहीं बहुत दिनों से हम देखते चले आ रहे हैं कि इस विभाग का रुपया ट्रैक्टरों में बेकार जा रहा है। ट्रैक्टर्स इस उद्देश्य से लाये गये थे कि हमारी जमीन जो बंजर पड़ी हुई है और जिसको हमारे बैल नहीं जोत पाते, जिसको जोतने में हमारे किसान सफल नहीं हो पाते, जो उत्पादन उस जमीन से हम करना चाहते हैं वह न टूटने के कारण नहीं हो पाता, उसको तोड़ा जाय इन ट्रैक्टरों के जरिये से और वह जमीन उन किसानों को दी जाय ताकि उत्पादन बढ़ सके। परन्तु आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने इस ओर नाम मात्र के लिये भी ध्यान नहीं दिया है और हमारा रुपया ट्रैक्टरों पर अपव्यय हो रहा है। हमारी जाने कितनी ही जमीन बंजर पड़ी हुई है और आप उन सरमायादारों और जमींदारों को जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं उनको ट्रैक्टरों के लिये १०, १० हजार रुपया तकावी का दे रहे हैं और उसी के मुकाबले में किसानों को तकावी का सौ रुपया ही दिया जाता है। आज का किसान बिना किसी सिंचाई के साधन के, बिना किसी और सहायता के अपनी ४०, ५० बीघा जमीन पर खेती करने को तैयार हैं, लेकिन बड़े लोगों के मुकाबले में उसे कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिलती। उसे अगर तकावी दी जाती है तो कुल सौ रुपया। पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिलों में भेद तो मैं नहीं समझता कि सरकार की तरफ से क्यों उठता है।

इसके अलावा राजा महाराजाओं को ट्रैक्टर्स के लिये १० हजार रुपया तकावी क्यों दी जाती है? क्या नियम है? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस किस्म की जो तकावी दी जाती है वह बन्द कर दी जाय और कोई ट्रैक्टर्स सिवाय बंजर जमीन तोड़ने के और किसी काम के लिये भारत में न मंगाया जाय। और हमारे प्रान्त में तो इसका नाम निशान भी नहीं रहना चाहिये। एक भी ट्रैक्टर किसान के यहां नहीं चलना चाहिये बल्कि जिन गांवों को हम उन्नतिशील बनाना चाहते हैं उनमें बैलों का जो सम्मान है उसे और बढ़ाना चाहिये और किसानों को और मदद दी जानी चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान तो उसी लोहे की पूजा करेगा जिसके द्वारा हमारे देश में बेकारी बढ़ी है और अगर ऐसा हुआ तो सरमायादार सारे देश में छा जायंगे। तो मेरा तो माननीय मंत्री जी को यह सुझाव है कि यह ट्रैक्टर बिल्कुल बंद कर दिये जायं और तकावी का रुपया जो बड़े-बड़े फार्म वालों को बहुत ज्यादा दिया जाता है और छोटे किसानों को बिलकुल नहीं दिया जाता और इसके अलावा आबपाशी की दरें भी उसके लिये बढ़ा दी जाती हैं जिससे कि वह तबाह हो रहे हैं, इन सब में उनको और ज्यादा सहूलियतें दी जायं। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि इन छोटे किसानों को और ज्यादा तकावी दी जानी चाहिये ताकि वह खेती में सफलतापूर्वक उन्नति कर सकें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो छोटा किसान जिन्दा नहीं रह सकेगा, क्योंकि दिन ब दिन जिन्स के भाव गिरते जा रहे हैं और उनको अब हम ज्यादा दिन रोक नहीं सकते हैं। इससे छोटे किसान की दशा शोचनीय है, क्योंकि जब उसके खेत में जोत नहीं, आमदनी नहीं तो क्या उस खेतिहर मजदूर को देगा। तो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार तथा माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे किसानों की दशा सुधारें ताकि गांवों में बेकारी दूर हो खेतिहर मजदूरों का भला हो और ट्रैक्टर्स की व्यवस्था नाम-मात्र के लिये भी हमारे प्रान्त में नहीं होनी चाहिये जहां तक तकावी का संबंध है वह किसी बड़े फार्म वाले को नहीं मिलनी चाहिये बल्कि उस गरीब किसान को मिलनी चाहिये जो इसका अधिकारी है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, जहां तक उपनिवेशन का संबंध है इस सदन के माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कह चुके हैं अतः उसकी पुनरावृत्ति न हो मैं उसी बजट के दूसरे अंश पर, जिसको कि कृषि इंजीनियरिंग कहते हैं, कुछ प्रकाश डालना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं। मान्यवर, प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रादुर्भाव के पूर्व कृषि इंजीनियरिंग के अधीन रहट, पम्पिंग सेट्स और पानी के साधन के लिये तकाबियां या कुयें बनाने के लिये बहुत से साधन एकत्रित होते थे और उनके द्वारा उनकी पूर्ति की जाती थी। मान्यवर इस सरकार को जिसको कि गौरव है कि इन्होंने आज तक, माननीय मंत्री जी तो भ्रष्टाचार के नाम ही से भागते हैं, हो सकता है कि माननीय गेंदा सिंह जी को भ्रष्टाचार हर जगह दिखाई देता हो, लेकिन साथ ही साथ मुझे शिकायत है कि मंत्री जी को भ्रष्टाचार दिखाई भी दे तो उसे स्वीकार करने के लिये उनके नेत्र तैयार नहीं होते हैं। मान्यवर, आज इस जगह में मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि, वह यह न समझें कि विरोधी दल की वजह से मैं उनसे अनर्गल बातों को बतला रहा हूं या केवल विरोध के लिये विरोध कर रहा हूं, फैजाबाद जिले में अगर वह जाना चाहते हैं तो जा कर देख सकते हैं कि आज तक किसानों से जो वायदा किया गया और बहुत सी जगह भूमि भी हो, और उस किसान का जो सब्सिडी, सहायता, अनुदान मिलनी चाहिये थी वह आज तक नहीं मिल पायी और उसके बाद जब प्लानिंग डिपार्डमेंट का आगम हुआ तो उस समय से आज तक उनकी दर्ख्वास्तें प्लानिंग आफ़िसर्स ढूंढ़ते फिरते हैं और उन ऐप्लीकेशन्स का पता नहीं है। मान्यवर, यही नहीं रुपया बहुत सा मिला जो विभागीय लोगों की जेब में पहुंचा और उस किसान को जिसको वह वायदा किया गया था, वह आज तक रुपया नहीं पाये हैं। और श्रीमन्, आज इस बजट में भी हम देखते हैं कि उसके लिये प्रौवीज़न है कि वह रुपया दिया जाय उन किसानों को। और श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि वह रुपया उन किसानों तक आज भी नहीं पहुंचेगा।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य अभी जमींदारों और बड़े फार्म वालों की कुछ इतनी चर्चा करते रहे कि लोगों को सुनने में कुछ हास्य भी आता रहा है। मैं उनको आप के द्वारा बताना चाहता हूं कि अगर बड़े जमींदारों को या बड़े खातेदारों को, बड़ी जोत वालों को आज तक सरकार ट्रैक्टर्स देती रही तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वह सरकार से क्या बुलडोजर चाहेंगे। अगर जोत उनके पास नहीं है तो क्या अपने घरों को समतल करवायेंगे। आखिर सरकार ने दिया है बड़ी जोत वालों को, यह दूसरी चीज़ है कि सीलिंग फ़िक्स कर दे। यह हो सकता है कि आप के दिमाग़ में एक कन्फ़्यूज़न हो, ऐसा मार्ग अपनाने के लिये तैयार हों जो आप के लिये आज नहीं बल्कि १० वर्ष के उपरान्त भयंकर प्रतीत होता। यह हो सकता है कि सोशलिस्ट पैटर्न सोसायटी के नाम पर यह फूले हों, यह न समझते हों। मान्यवर समयाभाव के कारण मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि एक तरफ जिसकी परिभाषा करने में यह लोग इतना समय ले चुके हैं, वही दुर्भाग्यवश इसमें भी किया गया। मैं यह कहता हूं कि ये क्या इनके मौलाना आजाद साहब, प्रधान मंत्री भी उसकी व्याख्या करने में असमर्थ हैं। श्रीमन्, यह मैं मानता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री को एग्ज़िस्टेंस के पीछे दीवाने हो रहे हैं, हमारे प्रधान मंत्री सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के पीछे मग्न हैं परन्तु वास्तविकता क्या है, इसे कोई नहीं देखता। आज उन्हीं के मन्त्री बारम्बार यह कहते हैं कि इस भूमि के बटवारे से इस प्रान्त को और इस देश को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। हमारे मंत्री महोदय बड़ी जोतों को ख़त्म करने में कभी किसी से पीछे रहने वालों में से नहीं हैं। वह सदैव, हमेशा इस मामले में सब से अग्रसर रहते हैं और उसमें उसकी बुद्धिमानी के लिये जो कुछ भी कहा जाय वह कम होगा। किसी की जायदाद, किसी की सम्पत्ति को अपहरण करने में वह माहिर थे और दूसरे मंत्री जी जो उनकी बगल में बैठे हुये हैं, वह उनसे किसी माने में कम नहीं थे। तो इन मन्त्रियों के रहते हुए वह क्यों घबड़ाते हैं। सम्पत्ति का छीनना, उसका अपहरण करना तो उनका कर्त्तव्य है। अगर यह छीनने और अपहरण करने का कार्य सरकार न करती, दूसरा कोई व्यक्ति करता तो श्रीमन्, उसके लिये हमारे नेत्रों में कोई स्थान न होता, हम उसको किसी स्तर पर भी देख नहीं सकते। श्रीमन्, समयाभाव के कारण अधिक नहीं कह सकता। केवल एक मिनट और मुझे कहना है और वह यह कि भ्रष्टाचार की जो आवाजें आया करती हैं उनके मुताल्लिक माननीय मंत्री महोदय, कभी-कभी कह देते हैं आवेश में नहीं तो विरोधी दल के सदस्यों को समझाने और उनको सन्मार्ग पर लाने के लिये ही जो बातें वह कहते हैं, तो मैं आप के द्वारा केवल उनको यह बता देना चाहता

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

हूं कि नारों मे वह हरगिज न आवें। माननीय मन्त्री महोदय समझदारी से काम लें। नारों में आकर हमारे देश को और हमारे प्रदेश को वह गारद न कर दें जिसके लिये कि वह और उनकी पूरी कैबिनेट उत्तरदायी होगी।

श्री अध्यक्ष--जलपान के बाद माननीय नारायणदत्त जी जवाब देंगे। अब समय समाप्त हो रहा है।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि अपोजीशन का कोरम पूरा है? एक ही सदस्य दिखाई दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--अपोजीशन के लिये तो कोई कोरम की आवश्यकता नहीं है। वहां एक को एक लाख भी मान लिया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, अपोजीशन का कोरम आप के कोरम से काफी ज्यादा रहता है।

मैं चाहूंगा, पद्धति के अनुसार कि माननीय मंत्री जी पहले मेरे कटमोशन पर कुछ अपना निवेदन कर लें, तभी मैं उत्तर देना उचित समझूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रक्रिया नियमावली के नियम १८५ (३) के अनुसार मामली तौर पर मिनिस्टर को दो बार बोलने का भी मौक़ा होता है और आखिर में वह एक स्पीच दे सकते हैं। लेकिन यह तो आज एकेडेमिक इंटेरेस्ट की बात होगी, क्योंकि एक अनुदान के लिये १० मिनट रह गये हैं। मैं नहीं जानता कि आपस में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं कि पहले मिनिस्टर साहब बोल लें या आप बोल लें। इतनी डिफिकल्टी में आपकी रियलाइज कर रहा हूं कि आप नहीं जानते कि मिनिस्टर साहब आप की बात का क्या उत्तर देंगे। यह आपस में तय हो जाय।

श्री हुकुम सिंह--इस तरह से समझौता हो नहीं सकता।

श्री चरण सिंह--मैं अर्ज करूं कि मैं तो शुरू में बोला ही था, उस पर आप बोले। अब मैं बोलूं, फिर आप बोलें, और फिर मैं बोलूं, तो मेरे तीन नम्बर हो जायंगे और मैं अपना नम्बर ज्यादा चाहता नहीं। दो बार मैं बोलूं और दो ही बार वह बोलेंगे। वक्त भी कम है, फिर वक्त नहीं मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, प्रश्न यह है कि आप बोलें, फिर मैं बोला। अब फिर मैं बोलूं या आप पहले बोलें, उसके बाद मैं बोलूं? परम्परा यह रही है कि कटमोशन पर मिनिस्टर साहब ने पहले जवाब दिया। जैसा कि आप ने प्रक्रिया नियमावली के सम्बन्ध में कहा, वह तो धारा १८५ बिल्स के लिये है, कटमोशंस के लिये नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--अगर माननीय सदस्य उसको गौर से देखें तो वह कटमोशंस के लिये भी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं नहीं जानता कि जो मैंने सुझाव रखे उनके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है, इसलिये मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ कह सकूं या जवाब दे सकूं, वह नहीं कर सकता। हां, नयी बात कह सकता हूं। वह यह है कि आज माननीय केशव गुप्त..

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, अगर आप चाहें तो मैं आप की ख्वाहिश पूरी किये देता हूं। कटमोशन को पेश करते हुये माननीय तिवारी जी ने केवल मेरी याददाश्त के मुताबिक दो बातें कहीं। एक तो यह कि बंगालियों को जमीन नहीं दी गयी, तो मुझे यह बतलाना आवश्यक

हो गया कि वह और माननीय अजीतप्रसाद जैन, साल भर से भी ज्यादा हो गया मौके पर गये थे और उन्होंने अपनी आंखों से बंगालियों को जमीन पर बसे हुए देखा और यह भी देखा कि उनको जमीन देती पर मिली है। तो यह बात, जो मुझे इत्तला है, निराधार मालूम होती है। उनको गलतफहमी शायद इस सिलसिले में हो गयी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह तय किया था कि कलेक्टिव फार्मिंग उनके लिये होना चाहिये। जो ईस्ट बंगाल से डिस्प्लेस्ड लोग आये हैं लेकिन वह क्लैक्टिव फार्मिंग नहीं करना चाहते थे। इसलिये इसमें देरी हुई, यह उनको ग़लतफहमी मालूम होती है।

दूसरी बात यह है कि एक कमेटी बिठा दी जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि कमेटी का बिठाया जाना गैर जरूरी है और कमेटी से कोई खास मंशा पूरा नहीं होता है और अगर पूरा होता और आंकड़ों वगैरह का ज्ञान नहीं होता तो मुझे कमेटी बैठाने में कोई उज्र नहीं था। तीसरी बात यह कही कि खर्चा इतना हुआ कुछ काम नहीं हुआ, आप के आफिसरान क्या करते हैं, फलां जगह सड़क नहीं बनी है। श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस इलाके में जितना खर्चा हुआ वह मिर्जापुर को छोड़ कर दूसरे किसी इलाके में इतना खर्चा नहीं हुआ। आज वहां सड़क है, अस्पताल है, स्कूल हैं, बिजली है, इमारतें हैं, खेती हो रही है, मकान बन रहे हैं और रात को भी रोशनी मालूम पड़ती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जंगल में रात को भी लोग खेती करते हैं। दिन में जहां शेर दहाड़ा करते थे वहां अब रात में भी दिखाई नहीं देते हैं। इतना काम हुआ है श्रीमन्, यह कहा जाता है कि और काम होना चाहिये तब तो ठीक है। लेकिन यह कहना कि कुछ काम नहीं हुआ है तो यह सच्चाई से आंखें मींचना होगा। वहां सड़कें नहीं बनीं या आफिसर्स नहीं गये, यह गलत है और आप की जो आलोचना है, मैं समझता हूं ऐसी है कि आप को कुछ आलोचना करनी थी। यदि ऐसा है तब तो सही है। लेकिन यदि वह कोई खास बात ऐसी बतलायें जिससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो सकता हो तब तो ठीक है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने शरणार्थियों के बारे में स्पष्टीकरण दिया वह अब की अस्पष्ट है। उनको सूचना नहीं है, उन्हें रिफ्यूजी मंत्री से सूचना मालूम करनी पड़ी। पहले भी उनके हाथ में था और अब भी उनके हाथ में है। तीन साल तक यह विभाग उनके पास रहा और फिर भी कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट की सूचना उनके पास नहीं है यह बड़े आश्चर्य की बात है। अभी तक शरणार्थी नहीं बसाये गये हैं। ५०० परिवारों को बसाने का सवाल था लेकिन कुछ पौने दो सौ के करीब परिवारों को जमीन मिली है, बाकी परिवार वैसे ही पड़े हुये हैं पिछले साल जो रिफ्यूजी मंत्री हैं, वह स्वयं रिफ्यूजी नहीं हैं लेकिन रिफ्यूजी मंत्री हैं.....

श्री चरण सिंह—इसके बाद मुझे बोलने का मौका मिलेगा। जल्दी खत्म कराइये, बहुत सी बातें कहनी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दस हजार एकड़ जमीन तोड़ने के लिए सरकार ने वायदा किया था, लेकिन नहीं तोड़ी गयी और केवल साढ़े तीन हजार एकड़ जमीन ही तोड़ी गयी। फिर कैसे उनको बसा दिया गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैंने तो खुद कहा था कि साढ़े चार करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आपने खर्च किया है, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। गांवों को दूर-दूर बसाया गया है और उनके लिए फीडिंग रोड्स नहीं बनायी गयी है, तो गांव तो कालापानी हो जायेंगे। रूद्रपुर, किच्छा और रामपुर वगैरा तो रोड निकल गयी हैं, लेकिन गांवों को मिलाने वाली फीडिंग रोड्स नहीं बनी हैं। मकानों की बात यह है कि ठेकेदारों ने दो कच्ची और एक पक्की ईंट के फारमूला से मकान बनाये हैं, लगान वाली बात है, सुभाषनगर सोसाइटी में ५ परिवार मलेरिया से पीड़ित होकर मर गये। आपका अस्पताल रुद्रपुर में है। इसलिए इन सब बातों की जांच करने के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कि वहां कालोनाइजेशन को क्या तकलीफ है, आप कमेटी बिठाइये। मैं मन्त्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह परिश्रम करने में काफी ख्याति प्राप्त हैं वह वहां जाकर देखें कि कितनी दिक्कतें वहां बढ़ गयी हैं और पहले एक डिप्टी मिनिस्टर कालोनाइजेशन थे, आज तो कोई डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं है जो वहां की हालत को देखें।

जहां तक प्रोफार्मा एकाउन्ट्स का सवाल है, मैं माननीय गुप्ता जी से पूर्णतया सहमत हूं कि तराई स्टेट् फार्म का ही नहीं बल्कि और स्टेट फार्म्स में भी अवश्य बनने चाहिए।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, आन ए प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। मुझे गलतफहमी हुई। मैं यह समझता था कि शायद मुझे तीसरा मौका मिलेगा, इसलिए मैंने बहुत सी बातें उस वक्त कही नहीं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी का जो ख्याल था और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह निराधार है और गलत है। स्टेट फार्म का हिसाब है और मई सन् १९५३ तक डेप्रिसियेशन वगैरह निकाल कर १६,५०,००० रुपये का मुनाफा दिखलाया गया था और इस साल भी मुनाफा हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—छपा नहीं है, वह छपना चाहिए ताकि हम भी जान सकें। सेक्रेटरी का जो बजट इन्फार्मेशन स्टेट्मेंट होता है, उसमें इसको छपना चाहिए। जो स्टेट फार्म की डेरी का सवाल है, वह बिलकुल सही है। वहां २ रु० १० आने बिकता है, जब कि बाजार में तीन और साढ़े तीन रुपये बिक रहा है। तो वहां की डेरी को लालकुआं मिल्क कोआपरेटिव यूनियन से मर्ज कर दिया जाय, तो ठीक प्रकार से उसका मार्केटिंग आर्गनाइजेशन भी हो सकेगा। तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय गुप्ताजी के सुझाव से सहमत होते हुए यह सुझाव दूंगा कि तराई के स्टेट फार्म को लालकुआं मिल्क कोआपरेटिव यूनियन से मर्ज करके एक नियंत्रित रूप से उसका व्यवस्थीकरण होना चाहिए। अन्त में मैं फिर माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि तराई कालोनाइजेशन के इन्तजाम के लिए तो वह अवश्य जांच कमेटी बिठायें।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं आपका बहुत मशकूर हूं। बहुत थोड़े समय में ही जो बातें कही गयी हैं, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो ट्रैक्टर्स के सिलसिले में माननीय महीलालजी ने और माननीय केशव गुप्त जी ने कही कि ट्रैक्टर्स हमारे यहां बहुत मुफीद नहीं हैं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये दोनों मेरे दोस्त इस सिलसिले में जो मेरी राय है, उसको जानते हैं। मैं उनसे इस सम्बन्ध में बिलकुल सहमत हूं और मेरी यह राय आज नहीं बहुत पुरानी है, पता नहीं मेरे इन मित्रों की यह राय आज हुई है, या उनकी भी पहले से ही यह राय है। मेरी राय जो आज है, वही ८ साल पहले भी थी, जब लोग उस राय को दकियानूसी राय कहा करते थे। लेकिन अब धीरे-धीरे प्रगतिशील लोग भी उस दकियानूसी राय पर आते जाते हैं। ट्रैक्टर केवल नयी जमीन को तोड़ने के लिए या लम्बी जड़ों वाली घास, जैसे कांस, हिरनपुरी और मोथावाला वगैरह को उखाड़ने के काम में आ सकता है, जहां हमारी खेती होने लगी है, उसके लिए मैं ट्रैक्टर को मुफीद नहीं समझता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार की भी यह राय है?

श्री चरण सिंह—सरकार की भी राय यही है। जो १३ ट्रैक्टर खरीदे गये थे, वे खादर और तराई भाबर में जमीन तोड़ने के लिए इकट्ठे किये गये थे और आपके द्वारा मैं अपने नौजवान दोस्त को यह बताना चाहता हूं कि ९ सितम्बर, १९५१ से, जब से यह जिम्मेदारी मुझको दी गयी, तब से एक ट्रैक्टर ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खरीदा नहीं गया।

दूसरी बात तकावी की कही गयी। तो तकावी में भी हमने डिस्टिंक्शन रखा है कि १० हजार रुपये तो हम उस को देते हैं, जो गवर्नमेंट का ट्रैक्टर खरीदे। इस तरह से १५ ट्रैक्टर्स

गवर्नमेंट के इस साल और १७ पिछले साल निकल गये थे। और पांच हजार रुपये नकद हम उसको देते हैं जो बाजार से ट्रैक्टर खरीदे। तो यह हमने किया है ताकि हमारे ट्रैक्टर्स निकल जायं। पहले ट्रैक्टर के लिए १५ हजार रुपये दिये जाते थे, लेकिन दो साल से हमने यह कर दिया है। एक गलतफहमी मेरे दोस्त को हुई कि जमीन तोड़नें के लिए ही सिर्फ अगर ट्रैक्टर मुफीद पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि बेतोड़ी जमीन तो सब गवर्नमेंट की हो गयी। तो प्राइवेट आदमी की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है, क्योंकि अनकल्टिवेटेड लैन्ड होल्डिंग्ज में भी शामिल हैं, जिसनें लीज लिया ली है, या खुद काश्त एक बार लिख गयी और दस साल से चली आ रही है। वह भी होल्डिंग में शामिल है। इस तरह से जैसा मैंने कहा लाखों एकड़ जमीन है, जो अनकल्टिवेटेड है, जो कि जुज है खातों का। ऐसी जमीन तोड़ने के लिए लोग लेते हैं।

तीसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं सिर्फ उन जिलों में जहां परती ज्यादा है, हम ट्रैक्टर की तकावी देते हैं। जैसा गोंडा है, उन्हें तकावी ट्रैक्टर की नहीं मिलती या फैजाबाद को भी नहीं मिलेगी। जो पहाड़ की तलहटी में बसे हुए जिले हैं, बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर, मेरठ, और मुजफ्फरनगर में खादर की कुछ जमीन है--इस तरह से १४-१५ जिले हैं। उससे श्रीमन्, मालूम हो जायगा कि क्या नीति अब तक गवर्नमेंट की रही है।

दूसरी बात यह कही गयी कि मकान गंगा खादर में बहुत कीमती हैं। यह बात बिलकुल ठीक है। वह बहुत कीमत के मकान हैं। अगर वे नार्मल टाइम्स में बनाये जाते और पी० डब्लू० डी० के बजाय निजी तौर से बनते तो दो तिहाई कीमत में शायद वे मकान बन जाते। लेकिन १९४८ का गैर मामूली वक्त था, जब कि विस्थापित लोग पंजाब से आये। एकदम उनको बसाना था। ट्रांस्पोर्ट की दिक्कतें थीं। मैटीरियल की कमी थी और समय फिक्स्ड था। इसके अन्दर बनाये गये। इसलिए उन मकानों पर बहुत खर्चा लगा और उनसे हमारी भी सन्तुष्टि नहीं है। उन लोगों को शिकायत है, उस पर विचार हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि उनका जो भार है वह बहुत कुछ कम हो जाय।

श्री गेंदासिंह--सिर्फ गंगा खादर ही नहीं बल्कि तराई भाबर में भी.....

श्री चरण सिंह--तराई भाबर में यह शिकायत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यह कहा गया कि डेरी की बहुत बड़ी मशीनरी पड़ी है, हस्तिनापुर में नंगला फार्म पर। यह बात ठीक है। पैस्टुराइजेशन का जो प्लान्ट है, वह पचास हजार या एक लाख का है। एक की जरूरत थी, लेकिन यह समझ कर कि डेरी बढ़ेगी, दो खरीद लिये गये। एक प्लान्ट शायद हस्तिनापुर में खाली पड़ा है। हमने एनिमल हस्बबैन्डरी के डाइरेक्टर से कह भी रखा है, कोआपरेटिव डेरीज से भी कहा गया, एक डेरी जो सबसे अच्छी गौशाला हमारे सूबे में है, कानपुर के पास, वह लोग भी लेना चाहते थे। हमने उनसे कहा था कि उनको सुविधा दे देंगे, कुछ सब्सिडी और कुछ लोन कर देंगे। लेकिन उन्होंने लिया नहीं। इस उम्मीद में कि ज्यादा काम बढ़ेगा, वह खरीद लिया गया था। जो बात डाइरेक्टोरेट के बारे में कही गयी कि डाइरेक्टोरेट की क्या जरूरत है, उसकी इसलिए जरूरत है, जैसे लखीमपुर खीरी की स्कीम इस बजट में आ रही है। हम दस हजार एकड़ जमीन तोड़ने जा रहे हैं। यों डाइरेक्टोरेट की जरूरत पड़ेगी। बाकी डाइरेक्टोरेट का खर्चा नहीं है। सब एल० आर० सी० का जो आर्गनाइजेशन है, जो पहले जमीन तोड़ता था, कालोनाइजेशन एरिया में, सब उसके अन्दर खर्चा है, जो आगे काम रहेगा, लखीमपुर खीरी की वजह से और अफजलगढ़ की वजह से रहेगा।

पांचवीं बात स्टेट फार्म्स की बाबत कही गयी कि उसका हिसाब नहीं रखा जाता। उसकहिसाब रखा जाता है। लेकिन सबके सब बजट में नहीं दिखाये जाते। ५३ फार्म्स

[श्री चरणसिंह]

ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मातहत हैं और बारह तेरह फार्म्स ऐनिमल हस्बैन्डरी डिपार्टमेंट के मातहत। यह सबसे बड़ा फार्म है, जिसके एक डिप्टी डाइरेक्टर हैं। सब का अलग-अलग हिसाब रखा जाता है। लेकिन दिखाया नहीं जाता। कहा गया कि हर साल इसमें मुनाफा नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि माननीय नारायणदत्त जी को कहां से आंकड़े मिले।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुनाफा घटता रहा है।

श्री चरणसिंह—अब तक यह कहा गया नुकसान होता रहा है। अब वह कह रहे हैं कि मुनाफा घटता जा रहा है। यह बात ठीक है। बढ़ा भी है और घटा भी है। पहले से बढ़ा फिर उसके बाद घटा। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन यह कहना कि नुकसान हुआ है, बिलकुल गलत है। मई सन् १९५३ में १६५० हजार रुपया डिप्रिसियेशन पे ऐन्ड एलाउन्सेज का है, ५३-५४ में १५ लाख रुपया है। ५४-५५ का साल अभी रन कर रहा है। अब रहा सवाल डेयरीज का। डेयरीज आम तौर पर लास में चल रही हैं। मेरी एक राय थी जिसके बारे में मैंने मुहकमे के विशेषज्ञों से बहस की और वे कुछ कुछ मेरी राय के हो चले हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से मेरी राय के नहीं हुए हैं। मेरी राय यह है कि डेयरीज को अगर प्रोडक्शन सेन्टर्स के तौर पर चलाया जायगा, तो नुकसान होगा, लेकिन अगर प्रोसेसिंग के तौर पर चलाया जायगा तो कामयाब होगी। गाय, भैंस किसान के पास रहें। वे दूध को इकट्ठा करें, मक्खन, क्रीम बनायें और घी बनायें और लोगों को दूध तकसीम करें, तब तो आप को लाभ हो सकता है, लेकिन अगर आप पांच सौ गाय-भैंस अच्छी नस्ल की रक्खें, तो उसमें लाभ नहीं हो सकता। लेकिन पहले से यह चला आ रहा है इसलिए जारी है। इसमें इनएफीसियेंसी या बेईमानी नहीं है बल्कि फंडामेंटल लाज की वजह से यह खराबी है।

सातवीं बात यह कही गयी कि कोलोनाइजेशन में वेस्ट हुआ है। मैं भी इस बात को समझता हूं कि वहां कुछ वेस्ट हुआ है लेकिन उस वक्त हमें बहुत जल्दी थी। हम शीघ्र ही उस एरिया को आबाद करना चाहते थे लिहाजा बहुत ज्यादा रेगुरेलेराइजेशन को वहां पर इगनोर किया गया, इससे कुछ वेस्ट भी हो गया होगा। अगर हम फूंक फूंक कर पैर रखते तो हो सकता था कि खर्चा कम होता लेकिन उसमें देर लग जाती।

कुंओं की सब्सिडी के बारे में यह है कि चीफ इंजीनियर पहले अपने इंजीनियर को भेजकर यह सर्टीफ़ाई कराता था कि उसमें सामान ठीक लगा है। जब वह सर्टीफ़ाई कर देता था तब जाकर उसको सब्सिडी मिलती थी। इससे गरीब किसान को बड़ी दिक्कत होती थी और फिर इञ्जीनियर सब जगह रहता भी नहीं था। इसलिए उस स्कीम की खराबी की वजह से बड़ी परेशानी रही और कई जगह रुपया मिल नहीं पाया। पिछले साल एक ड्राइव किया गया, जिसमें २० लाख रुपया पिछली स्कीम का और १२ लाख और, इस प्रकार से ३२ लाख रुपया सब्सिडी में बेबाक हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२ के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इञ्जीनियरिंग और उपनिवेशन के अन्तर्गत २,०६,९४,३०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८–लेखा शीर्षक ८२–राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १,४१,६१,९०० रु० की मांग स्वीकृत की जाय। यह मांग जो है यह भानुमती का पिटारा है। इसमें कई तरह की मदें शामिल हैं। इसमें एक मद तो रिफ्यूजीज ऐन्ड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट का है, जो ३८,२२,००० रुपये का है। जो मकान बन रहे हैं, जो जेरे तामीर हैं और आज जिन पर काम चल रहा है, उन पर यह रुपया खर्च होगा। ये मकान ६६० हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया ने रुपया दिया है। उन्हीं का रुपया है, और उसी से पुरुषार्थी या शरणार्थी भाइयों के लिए ६६० मकान बनाना है। उनमें से ४५० मकान तो मुकम्मल हो चुके हैं और २१० जेरे तामीर हैं। तो वह रुपया नये मकान बनाने के वास्ते है, जो ५५, ५६ के बजट में है, लेकिन पुराने मकानों को मुकम्मल करना है, और उसमें गालिबन दुकानें भी हैं। एक तो बड़ी रकम इसके अन्दर यह है। दूसरी मद ऐग्रीकलचर इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, जिसके अन्दर ७४,४७,००० रु० है। इस ग्रान्ट के अन्दर बुन्देलखन्ड में कांस इरैडिकेशन की स्कीम है। इस स्कीम के अनुसार झांसी जिले में कई साल से काम हो रहा है, और इस साल भी हो रहा है। इस साल जालौन में कुछ और काम बढ़ा है, और उससे किसानों की काफी जमीन बेहतर होती है। कांस तो जमीन को बेकार कर देती है। कांस को ट्रैक्टर्स से उखाड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया का जो सेन्ट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन है, उसी के ट्रैक्टर्स इस काम को कर रहे हैं। तो उसके लिए भी कई लाख रुपया है। बंधियों के लिए भी इसमें रुपया शामिल है। बंधी बनाने के लिए, कन्टूर बंधी के लिए ९ लाख और डेढ़ लाख रुपया पिछले साल था, और इस साल १६ लाख रुपया कन्टूर बन्धी के लिए इस मद के अन्तर्गत है। इसके अलावा टयूबवेल के लिए सब्सिडी वगैरह और मैशिनरी वेल के लिए भी कैपिटल आउटले या जो भी डिमान्ड का नाम हो, वह ७४ लाख के अन्दर ही है। तीसरी जो बड़ी मद है, वह ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की है। इसमें चार चीजें जरूरी हैं। एक तो बसेज और ट्रक्स की खरीद के लिए १०,७६,००० रु० हैं, दूसरे लैन्ड और बिल्डिंग के लिए ८,१२,००० रु० हैं, तीसरे टूल्स ऐन्ड प्लान्ट्स के लिए ९२,००० रु० है, और चौथे फर्नीचर और फिटिंग्स के लिए ९५,००० रु० है। इस तरह से कुल २०,७५,००० रु० होता है, जो इस मद के लिए रखा गया है। पिछले साल ५०,५७,००० रु० इस मद में रखा गया था लेकिन अब इस साल केवल २०,७५,००० रु० ही रखा गया है। जैसा कि मैंने ट्रांस्पोर्ट बिल को पेश करते समय उस सिलसिले में अर्ज किया था कि अब हम कोई बहुत ज्यादा तादाद में रूट्स को नेशनलाइज नहीं करना चाहते हैं लेकिन कुछ को जरूर करना चाहते हैं, तो इसलिए अब की बार कम रकम रखी गयी है। इसमें एजुकेशन के लिए भी कुछ रुपया रखा गया है। ए० एन० झा, हायर सेकेन्डरी स्कूल, जो कालोनाइजेशन एरिया में है, उसकी इमारत के लिए २५ हजार रुपया रखा गया है। ये मोटी-मोटी बातें थीं, जो मैंने बतला दीं। मुझे उम्मीद है कि हाउस इसको मंजूर करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपया की कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता था, वह पहले ही माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि यह भानुमती का पिटारा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस भानुमती के पिटारे का मदारी कौन है, माननीय हुकुम सिंह जी हैं या माननीय चरण सिंह जी यह पता नहीं लगा। इसमें रिहैबिलिटेशन, ऐग्रीकलचर, कालोनाइजेशन, बस सर्विस और एजुकेशन तक की मदें हैं, सभी चीजें आ गयी हैं। यह हो सकता है क्योंकि यह खर्च कैपिटल आउट ले से हो रहा है और इस तरह से ज्यादा मदों में

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

दिखलायी देता है। मैं जानना चाहता था कि इस का क्या कारण है, यह मन्त्री जी बतावें कि इसमें इस तरह से ४ मदें इकट्ठा कर ली गयी हैं। मैं इस के साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि इस एमाउन्ट को कौन कन्ट्रोल करेगा और कौन कन्ट्रोलिंग हेड होगा। अगर ए० एन० झा, हायर सेकेन्डरी स्कूल का रुपया है, तो वह डायरेक्टर आफ एजुकेशन के बजट में जा सकता था, इस तरह से हमारे समझने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एजुकेशन की सारी पालिसी उसी समय सामने आती है। इसी तरह से बस सर्विस की भी बात है। मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने आज से पहले भी ट्रांस्पोर्ट बिल के वक्त कहा था कि हम बहुत से रूट्स लेना नहीं चाहते और जब एक रीजनेबिल एटीटयूड होता है किसी मामले में, तो हमें कोई वैसी बात कहने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे पिछले साल ४० लाख रुपया रखा गया था, लास्ट इयर की चेसेज पड़ी हैं, जिन की बाडी नहीं बन पायीं, तो उन की बाडी जो बन रही हैं, उस के लिए शायद यह रखा गया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐग्रीकलचरल इन्जीनियरिंग विभाग के लिए ७४ लाख ४७ हजार ७ सौ रुपया जो रखा गया है, उस के बारे में मैं कहूंगा कि वह भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना चाहिए। इस तरह से समझने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। बन्दीज का सवाल है, वह इरिगेशन वाले भी बनाते हैं और प्लानिंग वाले भी बनाते हैं। यहां भी बन्दी बन रही हैं, बन्दीज के सिचाई भी होती है, तो मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी जब दूसरे साल बजट बनावें तो इसका ख्याल कर लें। इसी तरह से पीने के पानी की जो स्कीम्स हैं, वह पब्लिक हेल्थ विभाग में भी चलती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ग्रान्ट्स में भी चलती हैं, प्लानिंग में भी वह आती हैं। कल सिंचाई मन्त्री जी भी कहते थे कि वहां पर कहीं पीने के पानी का मसला आ गया है, तो मैं समझता हूं कि इस तरह से कन्फ्यूजन होता है और कुछ पता नहीं चल पाता है। मैं कहूंगा कि इसलिए इस भानुमती के पिटारे को खोलकर अलग अलग कर दिया जाय, और जिसकी जो मद है, वह उसको सौंप दी जाय। जैसे बन्दीज का काम है, वह इरिगेशन डिपार्टमेंट को जाना चाहिए या कांस्ट्रक्शन आफ हाउसेज का आइटम है, या रेलवे ब्रिज वगैरा का ७ लाख का आइटम है, वह सब पी० डब्ल्यू० डी० को जा सकता है। इस तरह से बजाय इसके कि कुल रकम एक जगह रखी जाय, वह अलग-अलग मदों में जानी चाहिए। जो मदें जहां से कन्ट्रोल हों, वह वहीं रहनी चाहिए।

इस में एक बात कालोनाइजेशन की भी है। हमारे यहां एक दूनागिरी की कालोनाइजेशन स्कीम चल रही है और वह अब देखा जाय तो खत्म हो रही है। उस का ऐडमिनिस्ट्रेशन अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर दिया जाय तो बहुत खर्च बच सकता है। उसमें लोग बस गये हैं और उन लोगों ने ऐग्रीकलचर एक्स्पर्ट्स को रखकर नर्सरी तैयार कर ली है, और बागीचे बना लिये हैं। सब वहां बस गये हैं। तो अब वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर रखने की क्या जरूरत है? माननीय मन्त्री जी इस बात को एक्जामिन करें। अपोजीशन का काम केवल आपोजीशन करना नहीं है, बल्कि जो सजेशन हों, वह भी कन्स्ट्रक्टिव हों। वह हम देते हैं और माननीय मन्त्री जी को उनको सुनना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। यह सही है कि वह बहुत दूर का इलाका है और लोग वहां जा नहीं पाते। लेकिन अब तो मोटर की सड़क भी हो जायगी और हमारे विभागीय अफसरान जाकर देख सकेंगे कि किस तरह से वहां रुपया बर्बाद हो रहा है। सरकारी रेवेन्यू का जितना रुपया वहा बर्बाद हो रहा है, उसको मैं कह नहीं सकता। अगर माननीय मन्त्री जी जाकर वहाँ देखें, तो इत्तिफाक से वह हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, दूनागिरी की भूमि की समस्या भी उनके सामने आ जायगी और यह भी वह देख लेंगे कि किस तरीके से और किस किस गलत तरीके से रुपया खर्च होता है। अगर रुपया ठीक काम में लग जाय तो बड़ी अच्छी बात होती है। कुछ लोगों को इससे एम्प्लायमेंट मिल जाता है, उसके लिए भी हमें एतराज नहीं है, लेकिन जब रुपया ठीक से काम में नहीं आता तो तकलीफ होती है।

अब रहा ए० एन० झा हायर सेकेन्डरी स्कूल की बात। हमें यह नहीं मालूम कि कितनी फाइनेंसेज उनकी हैं, कितने लड़के वहां पढ़ते हैं, कितने टीचर्स वहां हैं और किस तरह से

वहां रुपया खर्च होता है। असल में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट में होता तो हम लोग उस पर कुछ कह भी सकते। फिर भी अगर अब थोड़ा सा प्रकाश माननीय मन्त्री जी इस पर डालें कि यह २५ हजार रुपया क्यों दिया जा रहा है, तो हमें कुछ कह सकने में सुविधा होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भी माननीय उपाध्याय जी को यह बतलाना चाहता हूं कि बजट न तो उनके समझने के लिए है और न मेरे, यह बजट तो केवल डिपार्टमेंटल हेड्स के समझने के लिए है और शायद माननीय मन्त्री लोग भी कुछ समझते हों। मैंने शुरू से ही बजट की बातों को माइन्यूटली पढ़ने और समझने की कोशिश की और इसी कृषि के सम्बन्ध में उसको लगाने की कोशिश की कि किस जगह पर कितना खर्च होता है और क्या आमदनी होती है। फिर भी सम्भव है कि कहीं गलती रह गयी हो। मैंने मिकैनाइज्ड फार्म्स और फार्म्स की आमदनी और खर्चे के तमाम हेड्स को मिलाकर देखने की कोशिश की। मेरे हिसाब से तो यह आया कि मिकैनाइज्ड फार्म्स और की फार्म्स में सब जितने हेड्स हैं, उनको जोड़कर ४६ लाख ५१ हजार २ सौ ६० रुपये का खर्चा है और आमदनी तमाम हेड्स को जोड़कर कुल १२ लाख ३५ हजार ५ सौ ५८ रुपये आयी। अब पता नहीं है कि और कौन से हेड्स हैं इस बजट में, जिनमें इस मिकैनाइज्ड फार्म और की फार्म की आमदनी और खर्च का हिसाब देखा जाय।

सन् १९५३ और १९५४ की बात मैं कह रहा हूं। जहां तक स्टेट फार्म तराई भाबर का सम्बन्ध है, उसकी आमदनी २४ लाख दिखलायी गयी है और खर्चा ३४ लाख दिखलाया गया है। आमदनी और खर्चे का हिसाब अलग अलग इस तरह से रक्खा जाता है कि उनका जोड़ना और हिसाब लगाना एक बहुत मुश्किल सी बात है। वैसे आमदनी और खर्चे में कई मदों में खर्चा ज्यादा होता है और आमदनी कम। कुछ तो इस्टैब्लिशमेंट चार्जेज इतने ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने एक जगह देखा कि पम्पिंग प्लान्ट्स पर सरकार ने १२ रुपये फी एकड़ का हिसाब लगाया था और काश्तकार से साढ़े सात रुपये एकड़ के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन बाद में देखा गया कि उन पम्पिंग प्लान्ट्स पर १०२ रु० फी एकड़ बैठता है और करीब ९५ रु० एकड़ के सरकार का नुकसान पहुंचता है। एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट से मैं यह बात उद्धृत कर रहा हूं। उसने बहुत छान-बीन कर इस आंकड़े को रक्खा कि एक एकड़ के ऊपर १०२ रुपया खर्चा पड़ता है और साढ़े ७ रुपये उससे आमदनी है। पता नहीं ये पम्पिंग प्लान्ट्स कहां लगाये गये हैं। किसके लिए लगाये गये हैं, कौन सा उपयोग सरकार का हो रहा है। इस तरह से अगर इन सब खर्चों को खत्म न किया गया तो हमारे जो फार्म्स हैं या और इस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन पर खर्च ज्यादा होता है और उसकी वजह से आमदनी कम होती है। मुझे कुछ और ज्यादा नहीं कहना है। मैं सरकार का ध्यान सिर्फ इसी ओर दिलाना चाहता हूं कि खर्चों के आंकड़े मुनासिब तौर पर जांच-भाल कर दिये जायं। सरकार अगर किसी ऐसे इंटरप्राइज को लेती है—वैसे तो सरकार का कोई काम नहीं है कि वह बड़े-बड़े फार्म्स खोले, बड़े फार्म्स में नुकसान ही होता है और जैसा अभी कहा गया यह भी ठीक है कि बड़े फार्म्स और ट्रैक्टर्स से हमारी खेती पनप नहीं सकती तो इन बड़े फार्म्स में सरकार सिवा इसके कि उलझ कर आमदनी जाया करे और कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। कर्मचारी भी कभी कभी इन बड़े बड़े फार्म्स पर नाजायज तरीके से आमदनी करते हुए पकड़े जाते हैं और इस तरह से करप्शन के जराय पैदा होते हैं।

मैं चाहता हूं कि ऐसे फार्म्स न रहें और ये किसानों को ही दे दिये जायं तो किसानों की गुजर हो सकेगी। छोटे किसान परेशान हैं उनकी परेशानी दूर होगी। मैं तो नम्रतापूर्वक आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि छोटे किसानों को इन ट्रैक्टर्स की तकावी से या जो तरह तरह के पर्शियन व्हील्स हैं, आर्थिक रूप में कोई फायदा नहीं पहुंचता। इसकी वजह से

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

उनमें बेचैनी और मायूसी है। छोटे किसानों का जब तक डाइरेक्ट फायदा नहीं होता तब तक छोटे किसान महसूस नहीं करेंगे कि सरकार हमारे लिए भी कुछ कर रही है। वैसे बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन उन बड़ी नहरों या बन्धियों से छोटे किसानों का कोई फायदा नहीं पहुंचता। उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को एक दूसरे ढंग से सोचना चाहिए, ताकि छोटे किसान महसूस करें कि हमारे लिए भी कुछ हो रहा है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के प्रसंग में मैं माननीय यातायात मंत्री का ध्यान कतिपय बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे मंत्री व्यहारकुशल और व्यावहारिक दोनों ही हैं और ऐसी स्थिति में यातायात विभाग भी उतना ही व्यवहारकुशल होगा और उसमें जो कठिनाइयां और असुविधायें यात्रियों को होती हैं उनकी तरफ वह ध्यान देगा ऐसी हमें आशा है।

इस विभाग में एक तरफ तो लक्जरी बसेज बनाने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ जो नित्य प्रति चलने वाली बसेज हैं उनमें इतना संकोच रहता है जगह का कि यदि बस पूरी भर जाय और किसी स्टापेज पर किसी यात्री को उतरना पड़ जाय तो उसे दूसरे यात्री पर पैर रखना पड़ता है और इस दृष्टि से जहां यातायात का विस्तार हो रहा है उसमें हमें साथ ही साथ इस बात की सुविधा रहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिये। रेलवे विभाग जहां यात्रियों के लिये दिन प्रति दिन ध्यानशील है उनको सुधायें बढ़ाने के लिये और नाना प्रकार की सुविधायें जहां उनको दी जा रही हैं वहां दूसरी तरफ हमारी रोडवेज में इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। इन सहालग के दिनों में देखा यह जाता है कि जो नित्य-प्रति की चलने वाली बसें हैं वह स्पेशल चार्टर या ब्याह शादियों के लिये स्पेशल पावर से दे दी जाती है और रेगुलर रूप पर चलने के लिये खराब गाड़ियां भेज दी जाती है। इसका एक उदाहरण दूं। कानपुर से लखनऊ आते समय मुझे एक ऐसी ही बस पर चढ़ने का मौका मिला। उसका नम्बर ९३ या ९४ है। रेगुलर सर्विस की बस स्पेशल चार्टर में दे दी गई थी और उसकी जगह यह बस आई थी जिसको कानपुर से स्टार्ट होने के लिये करीब एक घंटे से अधिक समय लग गया। जहां वह पौने आठ बजे स्टार्ट होनी चाहिये थी वहां स्टार्ट करने के वक्त देखा गया कि उसके इंजन का कोई एक ट्यूब निकला है और वह बेल्ट उसमें बैठाया जाना चाहिये। उस कानपुर शहर में उसके लिये बेल्ट नहीं था तो किसी प्रकार कपड़ा बांध बूंध कर उसको स्टार्ट किया गया इसलिये कि उन्नाव में यह बेल्ट बदला जायगा और इस तरह से वह गाड़ी पौने नौ बजे स्टार्ट हो सकी। तो कानपुर जैसे शहर में जहाँ कि हमारा रोडवेज का सेन्ट्रल वर्कशाप है, स्टेशन पर ऐसी रनिंग रिपेयर्स का सामान न रखा जाय, यह बड़े दुख की बात है और साथ ही साथ विभाग को सख्ती के साथ यह निर्देश किया जाना चाहिए कि रेगुलर सर्विस की जो बसें हैं, वह स्पेशल चार्टर के लिए कभी न दी जाय। अगर स्पेयर बसेज नहीं हैं तो न दी जायं, लेकिन रेगुलर बसेज का लेकर स्पेशल चार्टर में देना यह प्रतिदिन के यात्रियों के लिये बड़ी असुविधाजनक बात है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपने माननीय मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो विभाग में ज्यादा फिजूलखर्ची होती है और उसका कारण नियंत्रण न होना है। जैसे कि कानपुर के सेन्ट्रल वर्कशाप में उसके चीफ मेकैनिकल इन्जीनियर महोदय को १५ लाख रुपये तक का माल वस्तुएं और दूसरी चीजें खरीदने का अधिकार है, किन्तु चीफ मेकैनिकल इन्जीनियर नियंत्रण के अभाव में, निरीक्षण के अभाव में, देख-रेख के अभाव में ३० लाख, ३५ लाख रुपये तक का सामान खरीदते चले गये, और उस सम्बन्ध में कोई दूसरा उसके ऊपर देखने सुनने में वाला नहीं है। इसके बाद वह इन्जीनियर साहब चले जाते हैं। यातायात से और उसकी जवाबदेही भी उसके ऊपर नहीं रह जाती। इसी तरह एक बात की ओर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारी बसों के अन्दर नो स्मोकिंग लिखा रहता है,। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जिस विभाग की तरफ से यह लिखा जाता है, उसी विभाग के छोटे से लेकर ड्राइवर से लेकर कन्डक्टर और ए० आई० टी०, जो बैठता है, धूम्रपान करते हैं। मैं मन्त्री महोदय को, अगर चाहेंगे, तो कानपुर और लखनऊ रूट पर चलने वाले सबके नाम बतला सकता हूं .....

श्री चरणसिंह—आपकी इजाजत से मैं माननीय मित्र का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि तम्बाकू की बात दूसरी ग्रान्ट के वक्त कहें, तो अच्छा होगा, और अभी वर्कशाप तक ही रखें।

श्री देवदत्त मिश्र—तो इसलिए मैंने कहा कि इससे मालूम यह होता है कि विभाग कितना अधिक अनुशासन मानता है। उसके सर के ऊपर नो स्मोकिंग लिखा हुआ है और बैठा हुआ वह पी रहा है, तो इससे मालूम होता है कि उस विभाग के कर्मचारी अपने विभाग का कितना अनुशासन मानते हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि इन्जीनियरिंग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इसके सम्बन्ध में जो उपनिवेश, कालोनाइजेशन है, उसके सम्बन्ध में इमारतें आदि बनने का काम भी इसी मुहकमे से हो रहा है, इसलिए उसके सम्बन्ध में कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। अफजलगढ़ के कालोनाइजेशन के सम्बन्ध में मुझे यह मालूम हुआ है कि किसी कारण से विभाग के कुछ अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्ट दे दी है कि वहां की पृथ्वी अच्छी नहीं है। मगर उस स्थान का मुझे काफी अनुभव है, और मैं यह जानता हूं कि २२, २३ हजार एकड़ जो जमीन कोलोनाइजेशन के लिए ली गयी है, उसमें से बहुत थोड़ी मुश्किल से चार सौ एकड़ जमीन ऐसी होगी, जो अच्छी न हो, बाकी जमीन बहुत अच्छी है। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है अधिकारी और माननीय मन्त्री जी उस स्कीम में उदासीन हो गये हैं, कि चूंकि जमीन अच्छी नहीं है तो यह काम अच्छा नहीं चलेगा। मगर मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां की पृथ्वी बहुत अच्छी है, दुबारा जांच करायें, और वह काम वहां पर बहुत अच्छा चल सकता है। इस सम्बन्ध में इतनी बात और कह देना चाहता हूं कि कालागढ़ के पास जो राम गंगा डैम बन रहा है, और उससे वहां पर पानी लाने की योजना है, इस पानी के लाने में कुछ समय लगेगा। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर राम गंगा डैम बनने में कम से कम, ५, ७ वर्ष लग जायेंगे और तब तक वहां पर कोई पानी न आ सकेगा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राम गंगा नदी बिल्कुल पास है, जब तक राम गंगा डैम में पानी नहीं आता है, तब तक पम्पिंग सेट से पानी का इन्तजाम हो जाय, वैसे तो आप कह चुके हैं कि हम उस हिस्से में नहर बनवायेंगे, अफजलगढ़ के उस हिस्से में हम पानी देंगे, तो जहां जहां आप को पानी देना है, वहां नहर बना लीजिये, और एक थोड़े समय के लिए पम्पिंग सेट से पानी दे दीजिये। लाभ यह होगा कि ५, ७ वर्ष के अन्दर यह कोलोनाइजेशन की स्कीम पूरी कामयाब हो जायगी। परन्तु अभी पानी के न होने से वहां पर कोई भी फसल एतबार के साथ नहीं कहा जा सकता कि होवेगी ही। इसलिए पानी के न होने से वहां पर जो आबादी होने वाली है, उनको एक अनिश्चिन्तता रहती है, और उन्हें यह रहता है कि न मालूम हमारी फसल फेल हो जाय। तो मैं अर्ज करूंगा कि माननीय मन्त्री जी से कि जब तक राम गंगा डैम से पानी का प्रबन्ध नहीं होता है, उस वक्त तक जो राम गंगा नदी बिलकुल उस इलाके से मिली हुई है, उससे पम्पिंग सेट का इन्तजाम कर दें। इस पम्पिंग सेट के लगाने में कुछ अधिक व्यय नहीं होगा। इस पम्पिंग सेट के लिए पन्द्रह बीस हजार रुपये से ही काम हो जायगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से यह अर्ज करूंगा कि जब तक वह राम गंगा डैम नहीं बनता है, और जब तक वहां नहर नहीं आती है, उस समय तक पम्पिंग सेट से वह इस हिस्से को पानी देने की कृपा करें। मैंने अभी यह अर्ज किया था कि मेरा जाती अनुभव है कि इस इलाके की जमीन बहुत अच्छी है, सिर्फ थोड़ी सी खराब है। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि इन्हीं दोनों बातों के बारे में कि यह जो विचार हो गया

[श्री रतनलाल जैन]

है कि जमीन अच्छी नहीं है, इसको निकाल दें, या इसके लिए किसी अपने विशेषज्ञ को दोबारा भेज दें, जो कि इसकी जांच कर ले और दूसरी बात यह कि वहां पर एक पम्पिंग सेट लगाकर इस वक्त वहां पानी दे।

श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि इस ग्रान्ट से सम्बन्धित है। इसमें रिहैबिलिटेशन स्कीम, पुनर्वास योजना के सम्बन्ध में कैपिटल एक्सपेन्डीचर के लिए कुछ धन मांगा गया है। इस वर्ष की रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो अभी हमारे सामने आयी नहीं है, इसलिए मैं यह तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इसमें प्रगति किस तरह से हो रही है, मगर मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि निर्माण कार्य जितनी जल्दी होने चाहिए थे, प्रान्त भर में शरणार्थियों के बसाये जाने के उतनी जल्दी नहीं हो पाये, और बहुत सी ग्रान्ट्स का दोबारा दुहराया जाना इस बात का साक्षी है कि इसमें प्रगति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है।

लेकिन एक और बड़ी समस्या जो इस प्रान्त में अनरजिस्टर्ड रिफ्युजीज की है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने केवल रजिस्टर्ड शरणार्थियों की जिम्मेदारी ली है। लेकिन इस प्रदेश में बहुत से ऐसे रिफ्युजी हैं, जो कि उस समय रजिस्टर्ड नहीं हुए जैसे कि रायसिख या जटसिख वगैरह हैं और जो तमाम तराई के इलाके में फैले हुए हैं, वह रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन यह भी सही है कि वह लोग पाकिस्तानी इलाके से यहां आयें हैं और घूमते फिरते इस प्रदेश में भी आ गये हैं,। अब न तो यह सरकार उनकी जिम्मेदारी लेती है, और न गवर्नमेंट आफ इन्डिया उनकी जिम्मेदारी लेती है। यह सरकार कहती है कि ये रजिस्टर्ड नहीं हैं, इनको जमीन हम नहीं दे सकते हैं। कहा जाता है कि ये क्रिमिनल्स हैं। न उनके पास जमीन है और न उनको बसाने की कोई योजना है, इस सरकार के पास और न गवर्नमेंट आफ इन्डिया के पास। तो वह लोग जायं कहां? आपने तो कह दिया कि ये लोग इल्लीगल अनरजिस्टर्ड हैं, इस लिए हम इन्हें यहां से हटाना चाहते हैं और कई बार पुलिस उनको रेल पर चढ़ाकर नैनीताल से मुरादाबाद पहुंचा भी आयी। मगर वह फिर लौट कर आ गये। तो एक तरफ तो क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए सेटिलमेंट बनाया गया और दूसरी तरफ उनको इस तरह से रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो सरकार को यह चाहिए कि वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया से मिलकर यह जो रायसिख और जटसिख वगैरह हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, उनके लिए भी कोई इन्तजाम करे। इन लोगों को आपने ही बुलाया, आपके साढ़ू साहब ने बुलाया और यह कह कर बुलाया कि जमीन देंगे, कुछ को जमीन दी भी गयी, और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी, सम्पूर्णानन्द जी का ध्यान इस ओर गया भी है, मगर मैं माननीय माल मन्त्री जी और माननीय शरणार्थी मन्त्री जी से, कहूंगा कि वह बिना विलम्ब बिना किसी देर के अगर वह चाहते हैं कि तराई में स्थिति सन्तोषजनक हो तो, इन अनरजिस्टर्ड रिफ्युजीज के लिए चाहे भरतपुर में चाहे तराई के दूसरें किसी इलाके में कहीं न कहीं इनको बसाने के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट आफ इन्डिया से मिलकर बनायें। सरकार अगर यह कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो आखिर या तो इस सरकार की या गवर्नमेंट आफ इन्डिया की जिम्मेदारी अवश्य है। दूसरी बात गवर्नमेंट प्रेस में मशीनरी खरीदने के लिए ७,९२,००० रुपया रखा गया है। गवर्नमेंट प्रेस का पिछले कई वर्षों से विस्तार किया जा रहा है लखनऊ और इलाहाबाद में। ठीक है, उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ है कि जो दूसरे प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस हैं, उनका काम बन्द हो गया। सैकड़ों छोटे छोटे प्रेस शहरों में लखनऊ और इलाहाबाद में—हैं जिनको बन्द होना पड़ा, और उनके मजदूर बेकार हुए हैं। सरकार को प्रिंटिंग प्रेस के सम्बन्ध में एक ऐसी नीति बरतनी चाहिए जिस से जो स्माल स्केल वाले प्रेस हैं, उनकी रोजी भी न जाय, और अगर कोई डिस्प्लेस्ड मजदूर प्रिंटिंग प्रेस के होते हैं उनको गवर्नमेंट प्रेस में पहले आफर देना चाहिए।

श्री चरणसिंह—जो निकम्मे करार दे दिये गये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिनकी छंटनी हो गयी है, आपके इस गवर्नमेंट प्रेस के बढ़ाने के कारण, उनको एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा पहले स्थान मिलना चाहिए, अपने गवर्नमेंट प्रेस में रखने के लिए।

गवर्नमेंट बस सर्विस के बारे में तो हमारे माननीय मित्र उपाध्याय जी ने बहुत कुछ कह दिया है कि इस साल कैपिटल एक्सपेन्डीचर नयी बस और ट्रकें खरीदने के लिए ४० लाख के बजाय १० लाख रह गया। मैं नहीं जानता कि कोई नयी ट्रांस्पोर्ट पालिसी का नमूना देखने में मिल रहा है। लेकिन सब से बड़े ताज्जुब की बात यह है कि बस और ट्रक्स खरीदने में तो ४० लाख कट कर १० लाख हो गया, लेकिन लैन्ड्स के खरीदने के जो आइटम्स हैं, वह बढ़ गये हैं। तो इसका मतलब क्या है ? क्या आप रूट्स कम ले रहे हैं ? बस कम खरीद रहे हैं तो जमीन खरीदने के लिए आप ज्यादा रुपया मांगें, यह कुछ बात समझ में नहीं आयी। अगर माननीय मन्त्री जी इसको स्पष्ट कर दें, तो बड़ी अच्छी बात होगी।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने बजट के सिलसिले में यह कहा कि बहुत सी ऐसी मदें हैं जिन में मुख्तलिफ मुहकमों की रकम शामिल कर ली जाती है, और वह समझ में नहीं आती और कठिनाई होती है। मैंने जब "पिंडोरा का बाक्स" या "भानुमती का पिटारा" उस मद को कहा तो उस से यह साफ जाहिर होता था कि मेरी प्रतिक्रिया भी उसके सम्बन्ध में यही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो पहले रूल्स हैं वह पुराने चले हुए हैं, एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि आडिटर जनरल के हर मामले में कि कौन सी मद बढ़ायी जाय, कौन सा रुपया किसकी मद में रखा जाय, इसके लिए उनके अपने ढंग हैं, यानी कुछ एक्सपर्ट तरीके के। वह ज्यादा जानते हैं। अगर यहां से कोई सहूलियत कराने की कोशिश भी की जाती है, तो वहां से कठिनाई उपस्थित हो जाती है। अब गवर्नमेंट इस फाइनेंसिंग और बजेटिंग के सिलसिले में जो रूल्स हैं, उनको सरल करने के लिए, जिस से काम जल्दी से हो सके, उस पर विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि अगले वर्ष शायद यह कठिनाई बजट के सम्बन्ध में माननीय मित्रों को नहीं रहेगी।

दूसरी बात माननीय मौर्य जी ने कही कि गवर्नमेंट फार्म्स सब बन्द कर देने चाहिए, क्योंकि नुकसान पर चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट फार्म्स जो खोले गये हैं, वह मुनाफे के लिए और रुपया कमाने के लिए नहीं खोले गये हैं। जो ऐग्रीकलचरल फार्म्स हैं, वह आम तौर पर डिमांस्ट्रेशन करने के लिए खोले गये हैं, जहां किसानों को कोई नये बीज उगाकर और खास किस्म से बोकर, या ऐग्रीकलचरल प्रैक्टिसेज में जो कोई सुधार हो सकता है, उसको दिखाकर डिमांस्ट्रेशन होते हैं। दूसरे रिसर्च भी करना होता है। मान लो, बाराबंकी में गवर्नमेंट का फार्म है, और हमको किसी खास किस्म के गेहूं का प्रचार करनी है। तो वहां पर उसको हम बोकर देखेंगे कि आया इस क्लाइमेट में होगा या नहीं। इसी तरह काटन पर, बाजरे पर, धान पर, ईख पर और गेहूं पर इन सब फार्मों में रिसर्च हुई है। इनका मंशा कामर्शियल नहीं है, पैसा कमाने का नहीं है। लेकिन फिर भी जितने ऐग्रीकलचरल फार्म्स हैं, वह आम तौर पर प्राफिट पर हैं। उनमें जो ऐनिमल हस्बैन्डरी का कैटिल सेक्शन है, वह आम तौर पर लास पर चलता है। तो इस बात को मान लेना कि जितने फार्म्स हैं, उनको एक कलम अबालिश कर दें, यह मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है।

दूसरी बात माननीय देवदत्त जी मिश्र ने सेन्ट्रल वर्कशाप के सिलसिले में कही। एक जो उनका बहुत बड़ा ऐतराज था, जिसको मैं समझ पाया हूं, वह यह था कि ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर खर्चा करते चले गये, बिना सेंक्शन के कई वर्षों तक। यह बात ठीक है, लेकिन वह टेक्निकल गल्ती थी, कोई सब्सटेंटिव मिस्टेक या एरर या क्राइम नहीं था . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—इससे बड़ी सब्सटेंटिव मिस्टेक और क्या होगी ?

श्री चरणसिंह—यह तो अपने ऊपर है कि कौन आदमी इसको टेक्निकल समझता है और कौन इसको सब्सटेंटिव समझता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि उनकी गल्ती जरूर थी। लेकिन अगर वह नहीं खरीदते, तो ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ही ठप्प हो जाता। सब्सटेंटिव गल्ती तो यह है कि ऐसी चीजें खरीदी जातीं जिससे जनहित का नुकसान होता। यह पता नहीं कि यह माननीय तिवारी जी को पसन्द आयेगी या नहीं।

इस वर्कशाप की १५ लाख रुपये की स्टाक पोजीशन फिक्स की थी इस से ज्यादा नहीं रहेगी। जब यह ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के पास आया तो ट्रास्पोर्ट कमिश्नर ने लिखा कि हमारे पास १,४०० बस हैं, उनके लिए काफी स्पेयर पार्टस् और मशीनरी चाहिए, इसलिए इसको २७ लाख कर दिया जाय। वह कर दिया गया। दूसरे साल फिर २७ लाख के लिए लिखा और वह कर दिया गया। तीसरे साल फिर लिखा तो फायनेंस डिपार्टमेंट ने यह सोचा कि हर साल इस तरह से एडहाक बेसिस पर करें, यह मुनासिब है कि इसको एक्जामिन किया जाय कि कितनी इसकी स्टाक पोजीशन होनी चाहिए। तो इसकी लिखा-पढ़ी में काफी समय निकल गया और ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर के पास यह आल्टरनेटिव था कि वह सामान खरीदें, या नहीं। लेकिन क्योंकि वह गवर्नमेंट को लिख चुके थे, बेशक सैंक्शन नहीं थी, लेकिन दो दफा उनको सैंक्शन मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह तो फारमैलिटी की बात रह जाती है। अगर वह नहीं खरीदते तो ट्रांस्पोर्ट सरविसेज ही खत्म हो जाती, लेकिन तब तक तय नहीं हुआ था। एक साल उन्होंने ५४ लाख के लिए लिखा, जिस साल उन्होंने ५४ लाख के लिए लिखा था तो १५ लाख मौजूद था, उसमें से काटकर ३८ लाख रुपये खर्च की बात बिना टेक्निकल सैंक्शन के हो गयी। यह गल्ती बेशक ठीक है। लेकिन यह गलती कोई ऐसी नहीं है, जिसके मुताल्लिक कोई दोस्त ऐसा खयाल करें कि कोई बड़ा भारी रुपये का दुरुपयोग हो गया है, कोई छोटा भी दुरुपयोग नहीं हुआ है। उसी साल ५१–५२ में शायद कोरिया में लड़ाई शुरू हुई और जो हजारे ऐजेन्ट थे, उन्होंने कहा कि हम इतना सामान दे सकते हैं इतने दिन के अन्दर। बाकी अमरीका से सामान नहीं आ रहा है, क्योंकि अमरीका की फैक्टरीज अमेरिका की मिलिटरी रिक्वायरमेंट में लग गयी हैं। इसलिए उनको और भी जल्दी करनी पड़ी। यह जो कहा जाता है कि आफिसर्स आर्डर नहीं मानते हैं, यह बात नहीं है,। श्रीमन्, मैं इस हद तक गिल्टी प्लीड करता हूं और यह मेरी गलती है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। लेकिन यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, वह टेक्निकल गलती है। फिर माननीय नारायणदत्त तिवारीजी ने कहा कि मशीनें, तो कम खरीदी जा रही हैं और जमीन पर रुपया ज्यादा लिया जा रहा है। जनाबवाली, मशीनें खरीदी गयीं तो सेन्ट्रल वर्कशाप में रख ली गयीं, लेकिन जमीन को तो बस स्टेशन के लिए जरूरत है। अभी कल या परसों ही तो सवाल हुआ था कि इलाहाबाद में बस स्टेशन क्यों नहीं बनवाते। तो लैन्ड और बिल्डिग की तो जरूरत पड़ेगी ही चाहे मशीनें खरीदी जायं या न खरीदी जायं। जमीन के लिए तो करोड़ों रुपये की जरूरत होगी, अगर यह लेजिस्लेचर एक साल में दे दे तो बड़ी खुशी की बात होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप मांगिये।

श्री चरणसिंह—देने के भी हैं आप। फिर उन्होंने गवर्नमेंट प्रेस की बात कही कि प्राइवेट प्रेसेज से जो लोग रेट्रेंच होते जाया करें वे सब गवर्नमेंट प्रेस में रख लिये जायं, बिला लिहाज इसके कि गवर्नमेंट प्रेस को जरूरत हो चाहे न हो। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का तो कोई नियम बन नहीं सकता है। यह तो जिस पर जिम्मेदारी न हो, वह इस तरह की बात हांके।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने यह कहा था कि गवर्नमेंट प्रेस के एक्सटेंशन से जो वैकेंसी होती हैं और उस एक्सटेंशन से जो प्राइवेट प्रेसेज बन्द हो रहे हैं, क्योंकि बन्द जरूर होंगे तो उनके रेट्रेंच्ड एम्प्लाईज को जगह दी जाय।

श्री चरणसिंह---अब अगर कोई आदमी एफिशियेंट है और एक्सपीरियंस्ड है, चाहे उसने प्राइवेट प्रेस में ही एक्सपीरियंस पाया हो तो हमारे प्रेस के सुपरिन्टेंडेंट तो अपने आप ही ऐसे आदमी को पसन्द करेंगे, उसके लिए रूल लाने की क्या जरूरत है? यह तो कामन सेन्स की बात है कि अगर किसी आदमी की जरूरत है और उसी तजुर्बे और जानकारी का आदमी किसी प्राइवेट प्रेस से रिट्रेंच हुआ है तो उसे तो प्रिफ़ेंस मिलेगा ही, बनिस्बत उसके कि जो बिलकुल रा हैन्ड है।

फिर आयी बात रायसिख की। ट्रेसपासर्स की जिन्होंने गवर्नमेंट की जमीन पर खिलाफ कानून कब्जा कर लिया है, उनको बेदखल करने के सरसरी तौर पर अख्तियारात देने की बाबत एक बिल आया था। उस वक्त भी इन रायसिख की बात नारायणदत्त जी ने की थी और फिर अब उसी को दोहरा दिया। पहले मैं यह बता दूं कि रायसिख हैं कौन। उन्होंने कहा कि ये पश्चिमी पंजाब से आये हैं। ऐसी बात नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जांच कराई आपने?

श्री चरणसिंह---बिना जांच कराये मैं कह रहा हूं, मेरे अफसरान की रिपोर्ट यही है। जनाब के पास अगर कोई खत आ गया हो मांटगुमरी से कि यहां ये रहते थे तो बतायें। मेरी रिपोर्ट यह है कि वेस्ट पाकिस्तान से ये नहीं आये हैं बल्कि ईस्ट पंजाब से आये हैं। अब यह मुमकिन है कि उसमें दो-चार उधर के भी हों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी रिपोर्ट यही है कि ये आमतौर पर ईस्ट पंजाब से ही आये हैं और वहीं के रहने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं सेटिल्ड वहां भी नहीं थे। वहां जैसे एक ओड जाति है उसी तरह से ये भी कुछ दिन यहां टिके और कुछ दिन वहां टिके। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमको रुपया देती है। उसका यह कहना है कि रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज को ही आप जमीन देंगे। इन्होंने अपने आपको रजिस्टर ही नहीं कराया। अगर ये पाकिस्तान से आये हैं तो क्यों नहीं रजिस्टर कराया? एक भी उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं। अगर रिफ्यूजी हैं तो रजिस्टर करवाते। वह रिफ्यूजी ही नहीं।

चौथी बात यह है कि जब यह यहां आ ही गये सैकड़ों की तादाद में तो हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा कि किसी तरह से हमारी मदद कीजिये। तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह कहा कि भाई अगर यह जमीन चाहते हैं तो भरतपुर अलवर में कुछ जमीन खाली थी। उनको लेजाकर दिखाई गयी। पहले वहां खेती होती थी। गवर्नमेंट को रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ेगा रिक्लेम करने में। उन्होंने कुछ वायदा कर लिया। शायद देख कर भी आये। लेकिन फिर वहां नहीं गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---वहां जमीन है नहीं।

श्री चरणसिंह---समझ में नहीं आ रहा है, कह दिया कि रिफ्यूजी हैं, रजिस्टर्ड हैं, वहां जमीन नहीं है और इस सम्बन्ध में जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से पत्र-व्यवहार हुआ, जो वहां जमीन देखी गयी मैं ठीक नहीं कह सकता क्योंकि यह सवाल एक दम से उठाया गया, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये देखने भी गये वहां आफिसर्स के साथ और बसने के लिये तैयार हुए। इसके बाद उन्होंने यह देखा कि यहां कब्जा है आलरेडी, अच्छी जमीन है। यहां से जायं काहे को हम और यहां दोस्त भी पैदा कर लिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं समझा दूं।

श्री चरणसिंह—दोस्त वह अपने आप को कैसे समझ रहे हैं ? तो नहीं गये वहां। रेफ्यूजी नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, जमीन देते थे उसको लेने नहीं गये और जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया और जिनके लिये हमने वह जमीन अलाट की थी उस पर कब्जा कर लिया, और कुछ लोगों को जबदरस्ती निकाल दिया। वह लोग हैं, जबरदस्ती क़ब्ज़ा करने वाले। कानून वानून की ज्यादा परवाह करते नहीं हैं। बाहुबल पर ज्यादा विश्वास है। तो श्रीमन्, उन लोगों को ....

श्री नारायणदत तिवारी—सेटिल कराइये।

श्री चरणसिंह—सेटिल कराने के लिये लाखों लैंडलेस लेबरर हमारे देश में हैं। चूंकि जबरदस्ती कब्जा कर लिया, इसलिये उनकी हिमायत करें। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या मतलब होता है। दूसरों की जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। जो आदमी गवर्नमेंट जमीन पर कब्जा कर ले उसको आप कह रहे हैं कि लीगल सैंक्शन दे दिया जाय। अगर इस बात को मान लें कि चूंकि जबरदस्ती कब्जा कर लिया लिहाजा उनको सेटिल करवाइये तो यह कोई दुनियां में तरीका नहीं है। कायदे कानून से कोई काम नहीं होगा। फिर हम ला ऐंड आर्डर कायम रख ही नहीं सकते। उनको शुरू से मना कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जमीनों पर क़ब्जा जबरदस्ती कर लिया लिहाजा उनको सेटिल करवाओ। आखिर कोई पैमाना होगा जिससे हम अपने कंडक्ट को नापेंगे ? या सिर्फ गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी करेंगे, और सिर्फ नुक्ताचीनी के लिये नुक्ताचीनी करेंगे ? चाहे असलियत के कितनी ही खिलाफ बैठती हो।

श्रीमन्, इसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई और बात कही गयी हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ग्रान्ट को प्रेस करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का भाषण सुन कर कुछ जरा हैरत सी हुई और वह इसलिये कि उन्होंने एक इतना बड़ा इम्पार्टेंट मैटर जो कि रोडवेज से सम्बन्धित है, बिना लेजिस्लेचर की सैंक्शन के खर्च कर लिया, इस साल के ऐप्रोप्रिएशन एकाउंट्स में सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसका है। ३८ लाख रुपया खर्च किया है जिस पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बड़े गौर से विचार कर रही है। तीन दिन तक उस पर विचार किया और आगे फिर विचार करने वाली है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसकी बेसिस पर, मुझे ठीक नहीं मालूम, माननीय मंत्री जी के पास आनेवाली सारी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी बड़ी स्क्रूटनी कर रही है। उस पर ज्यादा गौर नहीं फरमाया है। अगर वे गौर से देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि उसमें बड़ी भारी इर्रेग्युलेरिटी हैं, सिर्फ टेक्नीकल सैंक्शन का उसमें सवाल नहीं है। अगर मैं इस समय उस पर प्रकाश डालूंगा तो सारा समय उसमें ही चला जायगा। इसलिये इस वक्त मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहूंगा कि वे इस विषय में अपना माइंड ओपिन रक्खें, अगर यह बात आप अपने दिमाग में रक्खेंगे तो काम नहीं चलेगा। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इस बात पर विचार कर रही है और इसके लिये कई दिन बैठ चुकी है।

जहां तक फार्म्स का ताल्लुक है, गवर्नमेंट की ओर से यह कह दिया जाता है कि रिसर्च और डेमांस्ट्रेशन आदि के कारण से इनमें घाटा रहता है। हम इस बात को कई बार कह चुके हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी कामर्शियल कन्सर्न्स हैं उन सबको कामर्शियल बेसिस पर रन करना चाहिये और उसमें जो रुपया रिसर्च और डेमान्स्ट्रेशन आदि पर खर्च किया जाता है उसका हिसाब अलग रहना चाहिये। इस सैंक्शन के लिये रुपया अल्हेदा अलाट किया जाना चाहिये तथा कामर्शियल सेक्शन अल्हेदा रहना चाहिये। उसमें जो ओवर हैड चार्जेज किये जाते हैं वे बिल्कुल ग़लत होते हैं। इसलिये आप रिसर्च वगैरा के अल्हेदा से रुपया रखिये और दूसरे

बिजनेस कन्सर्न की तरह से ही उसको भी चलाने का प्रयत्न कीजिये । एक बात इसमें प्रेस के बारे में भी है । यह न जाने कहां से प्रेस के लिये ७ लाख रुपया आ गया । बजट में इसी प्रकार की बहुत सी चीजें आ जाती हैं और उनको बहुत ढूंढना पड़ता है। इसी तरह से ८–८, ९-९ लाख रुपये की रक़म आ जाती है । पिछले वर्ष पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी ऐसी मदों को अलहैदा करने के लिये कहा था और कहा था कि ऐसे सारे हैड्स अलहैदा होने चाहिये । अगर आप ऐसा सुझाव रक्खेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी आपका सहयोग करेगी लेकिन वे खुद ही इसको नहीं करना चाहते हैं और वे इस तरह से अलग-अलग रक़में डाल देते हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इसमें उनकी मदद करेगी और मुझे यह भी विश्वास है कि अगर वे चाहेंगे तो यह सेपरेट हो भी जायेंगे । इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी से इस वक्त और ज्यादा नहीं कहना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४८ के अधीन १ रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८–लेखा शीर्षक ८२–राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १,४१,६१,९०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २१–लेखा शीर्षक ४०–कृषि संबंधी विकास और खोज

श्री उपाध्यक्ष—इस अनुदान के लिये केवल आध घंटा है ।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१–लेखा शीर्षक ४०–कृषि संबंधी विकास और खोज के अन्तर्गत १,६८,०२,४०० रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र उपाध्याय जी को बतला देना चाहता हूं कि यह ग्रान्ट एक ऐसी ग्रान्ट है जिसमें काहे की पिटारी नहीं है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता । यह सीधी-साधी ग्रान्ट है और खेती से सम्बन्ध रखती है । यह माना कि उपाध्याय जी का खेती से कम संबंध है, पहाड़ों पर खेती बाड़ी कम होती है और है भी तो छोटे-छोटे खेत हैं लिहाजा इससे उनकी दिलचस्पी भी उसी हद तक होगी। लेकिन फिर भी चूंकि इस ग्रान्ट के लिये केवल आधा घंटा समय है इसलिये ज्यादा वक्त लेना मेरे लिये बिल्कुल अनुचित होगा कि मैं सारा वक्त ले लूं और मैं अपने माननीय मित्रों की राय सुनने से महरूम रहूं । क्योंकि मैं तो यह चाहता हूं कि यह एक ऐसा ग्रान्ट है और खेती एक ऐसा उद्योग है जिसमें हमारे सब मित्रों को मुझसे कम अनुभव नहीं है लिहाजा मैं उनके अनुभव से फायदा उठाना चाहता हूं और उनकी राय पूरे तौर से सुनना चाहता हूं ।

मैं दो चार बातें मोटी-मोटी कह देना चाहता हूं । इस विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जितनी खाने की चीजों की जरूरत है कम से कम उतना हम पैदा करें, अगर उससे अधिक पैदा करें, तो बहुत अच्छा । हमारे यहां खाद्य पदार्थों की कितनी कमी थी, यह हमारे सब मित्रों को भली-भांति मालूम है कि तमाम बड़ी-बड़ी रक़में खर्च करके हम बाहर से गल्ला मंगाया करते थे और तब अपने यहां के भाइयों के भरण-पोषण का प्रबन्ध किया

[श्री हुकुम सिंह]

जाता था। इसलिये सरकार ने इस ओर काफी तवज्जह दी और मुझे खुशी है कि आज हमारी वह समस्या काफी हद तक हल हो चुकी है और उसके हल करने में नये नये प्रयोग इस्तेमाल हुये, नयी जमीनों में भी हमने काश्त शुरू की और जो पुरानी जमीनें थीं उनकी पैदावार में काफी इजाफा किया। इस तरह से हम काफी गल्ला पैदा करने लगे और हमारी जरूरतें पूरी होने लगीं। इस विभाग के अन्तर्गत दो मेन विभाग हैं, एक रिसर्च डिपार्टमेंट और दूसरा डेवलपमेंट डिपार्टमेन्ट। रिसर्च के जरिये तरह तरह की नयी नयी वेराइटीज गल्ले की निकाल करके और अपने किसानों के बीच में उनका प्रचार करके नये बीजों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ और उसके फलस्वरूप हमारी पैदावार में भी इजाफा हुआ। डेवलपमेंट के सिलसिले में कई तरह के काम किये जा रहे हैं। डेवलपमेंट के सिलसिले में हम हर तरह की सहायता अपने किसानों को, जहाँ तक कि हमारे रिसोर्सेज इजाजत देते हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तम बीज देने की भी चेष्टा की जा रही है, नयी नयी किस्म की खाद भी देने की चेष्टा की जा रही है, किस तरह से ग्रीन मेन्योरिंग करें, इसकी शिक्षा देने की चेष्टा भी की जा रही है और जो नये तरीके के औजार हैं जैसे हल वगैरह देने का भी उनके लिये इन्तजाम है और लोगों को तकावी भी दी जा रही है जिसके जरिये वे अपने और साधन पैदा कर सकते हैं।

सिंचाई के सम्बन्ध में तो कल काफी वार्तालाप सारे दिन हुआ, उसको भी हल करने की काफी चेष्टा की जा रही है और उसको मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे यहां जूट डेवलपमेंट का भी काम किया जा रहा है। काटन एक ऐसी खास चीज है अपने देश के लिये, उसके लिये भी हमारी काफी स्कीम्स जारी हैं और ५ वर्ष की योजना हमने बना रखी है। करीब ८.२३ लाख रुपया बजट में प्रोवाइड कर रखा है। इसके अतिरिक्त फसलों में रोग लग जाते हैं, कीड़े-मकोड़े आदि लग जाते हैं जिससे फसलों को काफी हानि पहुंचती है, उसके बारे में प्लान्ट प्रोटेक्शन स्कीम चल रही है और एक बिल भी सदन के सामने रखा जा चुका है कि किस तरह से उन फसलों को कीड़े-मकोड़ों से बचाया जाय। लिहाजा इसका भी उद्योग किया जा रहा है। बी कीपिंग, शहद भी एक उत्तम चीज है जिसमें ग्लुकोज काफी मात्रा में होता है, चारों पहाड़ी जिलों में खासतौर से उसका भी प्रबन्ध किया जा रहा है। यह मैं मानता हूं कि यह सम्भव हो सकता है कि जिस हद तक हमें इस तरफ काम करना चाहिये उतना न हो लेकिन हमने उसकी शुरुआत में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। एग्रीकल्चरल एजूकेशन के सम्बन्ध में भी काफी काम हो रहा है। हमारे कालेज कानपुर, बुलन्दशहर, गोरखपुर और चिरगांव, जिला झांसी में, वहां पर एग्रीकल्चर की शिक्षा हो रही है और नये नये खेती के तरीके और तमाम नई नई बातें बताई जाती हैं। एजूकेशन विभाग में भी जो रिओरिएन्टेशन स्कीम है, जिसमें खेती की शिक्षा आमतौर से दी जायगी और इस तरफ सरकार का काफी ध्यान है और मुझे आशा है कि इससे हमारे प्रदेश का कल्याण होगा।

इसके अलावा मैं अपने मित्र श्री गेंदासिंह के मतलब की बात भी बताना चाहता हूं कि गन्ने के डेवलपमेंट के सिलसिले में भी चेष्टा की गई है और हमने ३ लाख रुपया ट्यूब-वेल्स के लिये रखा है और २०,००० रुपया कम्युनिकेशन्स के लिये रखा है, जो कम्युनिकेशन्स का रुपया सड़कों वगैरा पर खर्च होगा उसका ५० फीसदी सरकार बरदाश्त करेगी बकिया ५० फीसदी यूनियनें और फैक्टरी कन्सर्न बरदाश्त करेगी। हर फैक्टरी से कहा गया है कि वह अपने यहां की प्लान बना कर भेजे। अधिकांश फैक्टरीज ने अपने यहां से प्लान बना कर भेजी हैं, वह अभी जेरे ग़ौर हैं और जल्द ही वह काम शुरू किया जायगा। चाहे हमारे मित्र की पूरी शिकायत पूरी न हो, लेकिन बहुत अंशों तक उनको इससे इत्मिनान हो जायगा लिहाजा मैंने इतनी सी बातें संक्षेप में सदन के सामने रख दी हैं। मुझे आशा है कि सदन इस धनराशि को स्वीकार करेगा।

श्री गेंदा सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है यह जान कर कि माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर है कि गन्ने की उपज बढ़ाई जाय और उसके लिये उन्होंने यहां रुपया भी स्वीकार किया है। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि मेरी शिकायत उस वक्त रफा हो जायगी जिस वक्त इस प्रदेश में इतना गल्ला पैदा होने लगे कि जो कारखाने चल रहे हैं उनको १२० दिन से कम सीजन चलाना न पड़े। अगर वह १२० दिन चल सकें तो उस हालत में काश्तकार भी अपने हकूक के लिये लड़ सकेंगे और मजदूर भी उस सूरत में अपनी पूरी रोजी हासिल कर सकते हैं और आखिर में उससे सरकार का भी लाभ होगा। जितना भी अधिक गन्ना बोया जायगा उसी हिसाब से ३ आना मन जो सरकार को मिलता है उसी हिसाब से सरकार को लाभ होता है। ऐसी हालत में इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो रुपया रखा गया है वह थोड़ा है और डेवलमेंट के काम में जो रुपया लगाया जा रहा है, चाहे वह बीज में लगाया जा रहा हो या ट्यूबवेल में लगाया जा रहा हो वह कम है और उसमें अधिक रुपया लगाने की जरूरत थी। पीर साल केन सेस से ५ करोड़ रुपया इस सरकार को मिला है। इतनी आमदनी देने वाले विभाग पर इतना कम रुपया खर्च किया जाय यह मुनासिब नहीं है। मैं मानता हूं कि केन विभाग बहुत बड़ा विभाग है और उस विभाग में हमारी भी रुचि है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि गन्ना हमारे सूबे के लिये जीवन और मरण का सवाल है और किसान यहां का अरबों रुपया गन्ने और गुड़ में लगाता है उस विभाग के लिये तो सरकार को मुक्त हस्त से खर्च करना चाहिये और उपज को बढ़ाने की तरकीब करना चाहिये। मैं यह कह सकता हूं कि अब तक गन्ने की उपज जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं है। बम्बई और मैसूर का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेरठ का मुकाबला गोंडा कर सकता है और अगर गोंडा में १८ सौ मन प्रति एकड़ औसत पैदावार हो सकती है तो मैं समझता हूं कि इस प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहिये और अगर १८ सौ मन नहीं तो १ हजार मन तो वह पैदा करे और अगर वह इतना भी पैदा कर सके तो सरकार के लिये और किसान के लिये भी वह शुभ लक्षण है।

अब मैं शुगरकेन इन्क्वायरी कमेटी, १९५० की रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये और यदि उसके अनुसार कार्यवाही होती तो उससे बहुत लाभ होता। बजाय इसके कि जो उस रिपोर्ट में एक बात लिखी हुई है कि कुछ फैक्टरियों को शिफ्ट कर दिया जाय, उसको हम किसी क़ीमत पर नहीं चाहेंगे, लेकिन बाक़ी चीजें जो उस कमेटी की रिपोर्ट में हैं अगर उन पर अमल किया जाय तो लाभ होगा।

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस वर्ष गन्ने के बेचने का जो तरीका रहा है और जो निरीक्षण का तरीका रहा है उससे मुझे और सारे किसानों को बहुत सख्त शिकायत है। आपके जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि मैं तो घूमने फिरने वाला आदमी हूं, लेकिन मुझे कम से कम गोरखपुर रीजन में इंस्पेक्टर महोदय के कभी दर्शन नहीं हुए। उन्होंने न तो यह देखा कि किसानों को क्या मुसीबत है, किस तरह से उसका गन्ना लिया जाता है और किस तरह से पुरजी मिलती है और किस तरह से उसको क़ीमत मिलती है। और जो उनकी भी और सरकार की भी ड्यूटी है कि वह देखें कि उनको गन्ने की कीमत ठीक से मिले। लेकिन ऐसी फैक्टरियां हमारे जिले में हैं शुरू से आज तक जिन्होंने गन्ने के दाम नहीं दिये हैं और मैं ऐसी फैक्टरी का नाम बता दूंगा जो बहुत लोगों की दिलचस्पी का विषय है, कठकुइयां। इस फैक्टरी ने अब तक क़ीमत नहीं दी। यह तो मैं एक उदाहरण देता हूं। तोल में चोरी करना, काटों पर कम तोलना यह सारी चीजें इस वर्ष बहुत ज्यादा रही हैं पहले वर्षों की बनिस्बत, इसलिये कि किसान अपना गन्ना बेचना चाहेगा और जल्दी जाना चाहेगा, तो इस मामले में बड़ी ढिलाई हुई है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कृषि महाविद्यालय जो खोलने की योजना सरकार की है।

श्री चरणसिंह—कृषि महाविद्यालय खोलने की कहां योजना है ?

श्री गेंदासिंह—जी नहीं, जो कृषि महाविद्यालय खुले हुये हैं उनके लिये मैं कह रहा हूं कि उन पर अधिक खर्च होना चाहिये। १० लाख १८ हजार पिछले वर्ष था और इस वर्ष १० लाख ६५ हजार रुपये हुये थे तो यह तो कोई ज्यादा नहीं है, जिस समय देश के ७२, ७५ फीसदी लोग खेती करें उस पर इतनी कम रक़म नहीं खर्च होनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च होना चाहिये और साथ ही साथ और ज्यादा कृषि महाविद्यालय भी इस प्रदेश में खोले जाने चाहिये।

जंगलों पर जो रुपया बढ़ाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बगैर जंगलों के बढ़ाये हुये कोई हिफ़ाज़त नहीं हो सकती है। उसकी उपयोगिता के बारे में मैं क्या चर्चा करूं क्योंकि उपयोगिता समझ कर ही रुपया इसमें बढ़ाया गया है, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि यह ख्याल अवश्य रखना चाहिये कि रुपया ठीक ठीक खर्च हो सके।

गन्ने के इलाके को रिजर्व करने के सम्बन्ध में मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। कुछ फैक्टरियों की मोनोपाली हो गई है और वह समझते हैं कि जो इलाका आज से १५ वर्ष पहले उनको मिल गया उनमें से एक गांव भी नहीं निकलना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये अलग से अनुदान है। वह इंडस्ट्री में आवेगा।

श्री गेंदासिंह—मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें डेवलपमेंट और रिजर्वेशन का जिक्र है लेकिन इस समय माननीय कृषि मंत्री जी इस सम्बन्ध में हमारी बात को नहीं सुनना चाहते, इसलिये मैं बन्द किये देता हूं।

अब जूट विकास के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। जूट और गन्ना दो फसलें बाढ़ के इलाके में ऐसी हैं जो बच सकती हैं और सारी फसले बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन कुछ गन्ने की फसल और जूट की फसल बच जाती है। तो उन इलाकों में जहां ऐसी फसल पैदा की जा सकती है वहां पर जूट बच सके इसके लिये कम से कम जो मौजूदा बजट है उसमें आज वहां बहुत रुपया कम किया गया है। उस जूट विकास पर बहुत रुपया कम किया गया। मैं तो यह कहूंगा कि अपने सूबे में इसकी आवश्यकता है कि जूट विकास का काम बढ़ाया जाय और जूट का काम बढ़ा कर हम उन किसानों की मदद कर सकते हैं जो किसान कि बाढ़ के दिनों में बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं। तो इस सिलसिले में इतना ही कहूंगा कि जूट वाले काम को बढ़ाना चाहिये।

एक बात और कहूंगा कि १०२० कर्मचारी इस विभाग में गैर मुस्तकिल हैं। गैर मुस्तकिल लोग गैर मुस्तकिल काम भी करते हैं। अगर उनको मुस्तकिल कर दिया जाय तो मुस्तकिल काम भी होने लगेगा। यह संख्या कम होनी चाहिये। काफी दिनों से गन्ने का विभाग चल रहा है और इस विभाग से सरकार संतुष्ट भी है। मैं अगर कुछ असंतुष्ट भी हूं तो दूसरी वजूहात से, लेकिन जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करके इस महकमे को जिम्मेदार बनाना चाहिये और उन्हें मुस्तकिल किया जाय। यह महकमा अन्न देने वाला है, चीनी देने वाला है, ट्यूबवेल्स हैं तो पानी देने वाला भी है, जितने भी बढ़िया काम हैं वे सब इस विभाग के जिम्मे हैं और कटौती का प्रस्ताव रखने से मालूम तो यह होता है कि १ रुपया काट लिया जाय। हमारी मंशा तो यह है कि इस महकमे को और अधिक से अधिक रुपया दिया जाय और इस महकमे से सारे सूबे का भला हो ताकि हमारा भी भला हो और सरकार की भी आमदनी बढ़े और इससे सब लोगों का भला हो। इस मामले में सुझाव तो बहुत से दिये जा सकते हैं लेकिन बीज के सम्बन्ध में मैं एक बात कह देना चाहता हूं। अखबारों में था कि सरकार ऐसा कानून लगाने जा रही है कि जो नये बीज नहीं इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। लेकिन बीज का बन्दोबस्त नहीं हो पा रहा है तो डेवलपमेंट के काम में बीजों के बदलाव

की स्कीम को प्रायरिटी दी जाय तो सवाई यानी साढ़े १२ परसेंट का फर्क पड़ जाता है। देवरिया का बीज मेरठ चला जाय और मेरठ का देवरिया चला जाय तो इससे बहुत लाभ हो सकता है।

श्री चरणसिंह--देवरिया के लोग मेरठ चले जायं और मेरठ के लोग देवरिया चले जायं।

श्री गेंदासिंह--अभी इस सिलसिले में कह दूं कि रेलवे बोर्ड ने यह फैसला किया है कि किसानों के आवागमन पर, उनके टूर करने पर कुछ किराया कम हो जायगा। मैं माननीय माल मंत्री और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देवरिया, जौनपुर और गोरखपुर के किसान मेरठ की तरफ जायं और उस तरफ के किसान यहां आयें इससे सांस्कृतिक अदलाबदली होगी और एक दूसरे के खेती करने के ढंग देखकर तौर तरीके देख कर फायदा उठाने का प्रयत्न करेंगे। अगर सरकार ऐसा कर सके तो इससे बड़ा फायदा होगा।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे मित्र गेंदा सिंह जी मेरठ वगैरा से अदला बदली करना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं भी मेरठ और मेरठ के देहातों में गया और वहां के किसानों को खेती करते हुये देखा, उनके ढंग को देखा, मवेशियों को पालते हुये देखा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अगर पूर्व के किसान वहां जा कर उनको देखें तो उनमें काफी परिवर्तन होने की सम्भावना है। जहां तक इस राय का सम्बन्ध है मैं इस राय से बिल्कुल सहमत हूं। मैं समझता हूं कि गेंदा सिंह जी अपने यहां के लोगों को राजी करेंगे कि वे पश्चिम के जिलों में जायं, मेरठ ही नहीं और भी जिलों में जायं जो किसानी के नुक्तेनजर से काफी डेवलपड हैं और मैं समझता हूं कि अभी पश्चिम के लोगों को कम ही बुलाइये।

एक सदस्य--वहां जाकर वे कठकुइयां शुगर मिल देख लेंगे।

श्री हुकुमसिंह--कठकुइयां के लिये गेंदा सिंह जी ही काफी हैं। अगर आपस में एक दूसरे की जगह जाकर फायदा उठायें तो बड़ी खुशी की बात है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे मित्र ने एग्रीकल्चरल एजूकेशन के सम्बन्ध में कहा कि इसमें और रुपया होना चाहिये। मुझे बड़ी खुशी हुई, वाकई यह चीज बड़ी जरूरी है लेकिन जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिये। इस साल करीब ५० या ५४ हजार रुपया ज्यादा इसमें रखा गया है जैसा कि बजट के आंकड़ों से साफ जाहिर है। हम तो चाहते थे कि और ज्यादा बढ़ायें, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में मुमकिन नहीं था और इसलिये हमने इतनी ही रक़म पर कनात की। लेकिन इससे इतना तो पता चलता है कि सरकार का ध्यान इस जानिब है और माली दिक्क़तों के होते हुये भी इस रक़म में इजाफा किया गया।

मेरे मित्र ने इस बात की शिकायत की है कि यह गन्ने की बिक्री के सम्बन्ध में गोरखपुर डिवीजन के इंस्पेक्टर ने उनको दर्शन नहीं दिये। वाकई अगर मुलाकात नहीं हुई है तो मुझे अफसोस है, लेकिन शायद जानबूझ कर उसने मुलाकात करने से गुरेज न की होगी। न तो उसको आप के प्रोग्राम का पता था और न आप को उसके। वह सरप्राइज विजिट करता है, इंटीरियर में जाता है कांटों पर, तो मुलाकात कैसे हो। मुलाकात हो जाती तो अच्छा था, लेकिन यह चीज ऐसी है कि काबिले माफ़ी है। हां, अगर उसने कम तौलने वालों को पकड़ा नहीं जानबूझ कर तो वह काबिले माफ़ी बात नहीं है, और अगर ऐसी बात मुझे मालूम हो तो मैं जरूर तदारुक करूंगा और मैं अपने मित्र को यकीन दिलाता हूं कि मैं ऐसे मामले को रफादफा नहीं कर सकता। हमारी तो यही इच्छा है, सरकार की और हमारे मित्र भी यही चाहते हैं कि हमारे किसानों के गन्ने की तौल में किसी क़िस्म की बेईमानी न होने पाये, जितना है उतना होना चाहिये, न ज्यादा चाहते हैं और न कम। उधर के लोग भी यही चाहते हैं और हम भी। खैर, मैं इसकी जांच करूंगा कि उन्होंने क्यों मुलाकात नहीं की और अगर नहीं की तो अभी "न चोर गई न चांदनी"। मैं चाहूंगा कि वह आपसे जरूर मिलने की कोशिश करें।

[श्री हुकुमसिंह]

मैं जूट के सम्बन्ध में भी कुछ अर्ज करूं। जब इसकी शुरुआत हुई तो हमारे यहां जूट होता ही नहीं था। जूट जिस इलाके में पैदा होता था वह पाकिस्तान में पड़ गया। यह प्रयास किया गया कि अपने देश में भी जूट हो और इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि काफी प्रगति हुई है और हमने काफी जूट पैदा किया है और अब इम्फैसिस बजाय क्वान्टिटी के क्वालिटी पर हो गई है कि हम अच्छे किस्म का जूट पैदा करें और यह ठीक है। जो उधर का इलाका है वहां काफी जूट पैदा होने के चांसेज हैं, क्योंकि वहां की दो ही खास उपज हैं गन्ना और जूट। गन्ना ज्यादा पानी होने से, पानी रुक जाने से उसमें जो व्यास होता है, वह सड़ जाता है, लेकिन जूट में गालिबन पानी पड़े रहने से कोई नुकसान नहीं होता। उन इलाकों के लिए यह बिल्कुल मौजूं है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसको बोयें और अगर इस बात का प्रचार उधर देवरिया आदि जिलों में हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें रकम कम होने से कोई रुकावट नहीं पड़ सकती है। जो किसान हैं, वह जूट बो सकते हैं, और जो उनको इस विषय में जानकारी हासिल करने की बात है उस सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं उनको ताकीद कर दूंगा कि उनकी मदद करें बतलावें कि किस तरह से बोया जाता है

मुझे खुशी है कि इस ग्रान्ट के बारे में कोई मुखालिफत नहीं हुई।

एक सदस्य--मौका नहीं था।

श्री हुकुमसिंह--मुझे तो जब हुक्म मिला मैं खड़ा हो गया और यह एक ऐसी चीज है जिसमें कि मुखालिफत की गुंजाइश है। खाने पीने की चीजें, गल्ले से लेकर मिठाई तक इसमें पैदा होती हैं और इसमें किसी बात की मुखालिफत नहीं हुई। तो मुझे आशा है कि यह बहुत जल्दी मन्जूर हो जायगी।

श्री गेंदासिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय कृषि मन्त्री जी ने काफी आश्वासन सदन को दिया है जिससे कि आगे काम सुधरने और बढ़ने की आशा की जा सकती है।

श्री हुकुमसिंह--मैं उद्योग करूंगा।

श्री गेंदासिंह--मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से केवल इतना कहना चाहूंगा कि वे तो खुद खेती बारी करने वाले व्यक्ति हैं और खेती बारी करने में जो कठिनाइयां होती हैं जो उसकी अवस्था है, उसकी जानकारी उनको है। मैं एक बात कहने की माफी चाहूंगा और वह यह कि जो सेल्फ कम्प्लेसेंसी की भावना अनाज के मामले में हमारे सूबे में हो गयी है, इस पर विचार किया जाय कि क्या वाकई हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में अनाज की कमी दूर हो गयी। यह बात ठीक है कि कुछ हिस्सों में अनाज की कमी दूर हो गयी लेकिन उसका बंटवारा किस प्रकार है, यह भी कहना बहुत कठिन है और कुछ हिस्से इस सूबे में जैसे पहाड़ और पूरब के जिले, यह काफी बड़ा हिस्सा है, जिस हिस्से में आज भी अनाज इतना नहीं पैदा होता है कि जितने की जरूरत है और जब हम समूचे सूबे को एक साथ ले कर के उस अनाज का बंटवारा करें, कि फी आदमी कितना छटांक पड़ता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह सेल्फ कमप्लेसेंसी की भावना तब हट जायगी। यह है नहीं ऐसा कि आज हमारे यहां अनाज की कमी दूर हो गयी। अब उसको किस प्रकार दूर करें यह सब से बड़ा प्रश्न है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि अनाज की कमी हमारी दूर हो जाय, एक जगह ज्यादा पैदा हो, और दूसरी जगह अनाज किसी तरह मिल न सके। तो जो जोड़ने वाली विधि है इस से काम नहीं चलेगा कि आपने नेशनल इन्कम जोड़ दी, पर कैपिटा इन्कम जोड़ दी। हमारे खेत में काम करने वाले और कारखानों में काम करने वालों को भर पेट भी नहीं मिलता। एक बात मैं भूल गया। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस बात पर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए क्योंकि सरकार में अगर यह भावना हो गयी है कि

अनाज के मामले में सेल्फ कमप्लेसेंसी हो गयी तो हमारी तो लुटिया डूब गयी और उनकी भी डूबी, जिनको खाने को नहीं मिलता है । •

अब रही इन्स्पेक्टर के मिलने वाली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है कि खास तौर से कोई व्यक्ति हम से मिले । मैंने यह कहा कि गोरखपुर के इन्स्पेक्टर साहब के सिलसिले में, मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूं, उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की इतनी फैक्टरियां हैं कि हर स्टेशन पर आप देख लें, असेम्बली जब नहीं थी तो मैं घूमता था तो इतने घूमने के कारण हमारी भेंट होने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन नहीं हुई, और शिकायत इस तरह की मिली परचेजिंग सेन्टर्स पर कि वहां पर काफी गन्ना लोग काट लेते हैं । किसान का और उनको कोई चेक करने वाला नहीं है । यों तो हमको भी इन्स्पेक्ट करने की पावर मिली है तो उस हिस्से में जहां इन्स्पेक्ट कर सकते थे, वहां किया, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते हैं और न हमारे लिए इतना सम्भव ही है, इन्स्पेक्टर लोग टेकनिकल आदमी होते हैं, सारी चीजें जानते हैं ।

मैं यह जरूर कहूंगा गन्ने के सिलसिले में कि गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए माननीय कृषि मन्त्री जी और सारा सदन कृत-संकल्प है और उसे होना चाहिए । लेकिन दो डेवेलपमेंट कान्फ्रेंस हुई मिल मालिकों की और मन्त्री जी को इस बात की जानकारी भी है कि एक कान्फ्रेंस नैनीताल में और एक लखनऊ में माननीय पन्त जी की सदारत में हुई, और मिल मालिकों से बहुत चेष्टा की गयी कि मिल वाले इस बात को मान जायं कि पैसा खर्च करें, ट्यूबवेल लगाये और रास्ते वगैरह पर करें, लेकिन अभी तक जो मिल मालिकों से जवाब मिला है, वह बहुत एनकरेजिंग नहीं है और अगर एनकरेजिंग हो तो वह अमल में आवे, अगर अमल में आवे तो इससे बढ़ कर खुशी किसी को नहीं हो सकती है ।

मैं इस शुभ कामना के साथ कि ये पैसे जो हैं वह ठीक तौर से खर्च हो पायेंगे और ठीक तौर से इनका खर्च होने से हमारी स्थिति अच्छी होगी, किसानों की स्थिति अच्छी होगी, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपना कटमोशन वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१–लेखा शीर्षक ४०––कृषि सम्बन्धी विकास और खोज के अन्तर्गत १,६८,०२,४०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २३–लेखा शीर्षक ४१–पशु-चिकित्सा

श्री हुकमसिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३––पशु-चिकित्सा (लेखा शीर्षक ४१––पशु-चिकित्सा) के अन्तर्गत १,२५,४०,००० रु० की धनराशि स्वीकार की जाय ।

इस सम्बन्ध में भी मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । खेती का और पशुओं का एक ऐसा मेल है कि एक दूसरे को अलग करके अगर कोई चाहे कि हम खेती में विकास कर लें और मवेशियों के बारे में जरा भी ध्यान न दें तो मेरे नाकिस ख्याल में यह बात सम्भव नहीं है । दोनों की तरफ हम को और आपको ध्यान देना है । हमारे देश का जो मुख्य धन्धा है वह खेती है, जिसकी उन्नति करने के लिए हम आप सभी सहमत हैं और प्रयत्नशील हैं । इसकी उन्नति के लिए जानवरों की उन्नति जरूरी है । जब तक उनकी उन्नति न की जाय, मैं समझता हूं कि खेती के काम में सुधार नहीं हो सकता । नये नये कल पुर्जे आज जारी हैं, ट्रैक्टर भी जारी हो चुके हैं और काफी तादाद में अपने देश में हैं । लेकिन उनकी उपयोगिता के बारे में मैंने राय मुख्तलिफ पायी । मुख्तलिफ सज्जनों की मुख्तलिफ राय है । तो मेरे लिए भी बड़ी परेशानी की बात है और जहां तक मेरा विचार है कि अपने देश की परिस्थिति को देखते हुए ट्रैक्टर ज्यादा

[श्री हुकुमसिंह]

उपयोगी नहीं साबित होंगे, यह मेरी भी राय है। लिहाजा इस मामले में हमारे जो साथी भाई चरण सिंह जी थे, उनकी राय में और मेरी राय में कोई अन्तर नहीं है, जहां तक इस बात का ताल्लुक है। ऐसी सूरत में मवेशियों और बैलों का होना और अच्छे बैलों का होना निहायत लाजिमी है। अभी तक हमारे देश में इन जानवरों को कौन कहे, मनुष्यों के स्वास्थ्य और सुधार के बारे में विदेशी सरकार के जमाने में कोई तवज्जह नहीं दी गयी। अब हम आप स्वतंत्र हुए। हम को आपको मौका है और जब हम आप इस खेती के उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ जो उसका जरूरी अंग है उन मवेशियों की तरफ भी हमको और आपको ध्यान देना है। हमारे अच्छे अच्छे बैल हों, ताकि खेती के काम में आवें, हमारी अच्छी अच्छी गायें हों, अच्छी अच्छी भैंसें हों, ताकि अगर हम दूध की नदियां न बहा सकें, तो कम से कम चाय में तो ज्यादा साफ दूध मिल सके, इतना तो हम को आपको करना ही है, क्योंकि मैं तो देखता हूं कि अगर हमारे देश में काफी लोग चाय पीना न सीख लेते, तो दूध की और कमी दिखायी देती। लेकिन दो बूंद दूध चाय में डालकर वह समझ लेते हैं कि हमने काफी चीज पा लिया और सारी हमारी जरूरियात रफा हो गयी। लकिन उसके फलस्वरूप, हमारी अपनी तन्दुरुस्ती में बड़ी गिरावट है। जब तक हमको, आपको, बच्चों और बूढ़ों को खास तौर से दूध काफी मिकदार में न मिले, तो उनकी तन्दुरुस्ती का क्या हस्र और क्या हवाल होगा, यह हम सब जानते हैं। यह हम आप सब जानते हैं। तो इसमें हमको आपको भी अपने देश में प्रबन्ध करना है। इसलिये यह डिपार्टमेंट है जिसके बारे मे, सिर्फ मवेशियों की उन्नति के बारे में मुख्तलिफ बातें कही गयी हैं, जिससे कि हमारे यहां के मवेशियों की ब्रीड में तरक्की हो, अच्छी नस्ल के जानवर पैदा हों। मैं उन को दोहराना नहीं चाहता, काफी वक्त उसमें लगेगा। इस सदन के सभी माननीय सदस्य इन सब बातों से बखूबी वाकिफ हैं, लिहाजा मैं उनका अमूल्य समय इन सब बातों को दुहराकर नष्ट नहीं करना चाहता। संक्षेप में दो एक बातें कह देना मेरे लिए आवश्यक है। यह बहुत अच्छे आसार हैं, मुझे खुशी है, कि हमारे सूबे में चारों तरफ मवेशी अस्पताल की मांग है, स्टाकमैन सेंटर्स की मांग है। मैं कहता हूं कि यह इस बात का द्योतक है कि लोगों का रुजहान इस जानिब हुआ।

एक सदस्य--लेकिन वह है नहीं।

श्री हुकुमसिंह--वाकई हमारे मित्र ने जो बात कही, वह सही है। अभी मैं काफी तादाद में खोल नहीं सकता। हमारे सूबे में कितनी गायें हैं, इसका भी अन्दाजा हमारे मित्र को होगा। और अगर हर गांव में या एक मील के रेडियस में हम अस्पताल खोलें, तो कितनी तादाद होगी, और क्या व्यय होगा, इसका भी अनुमान आसानी से हमारे मित्र कर सकते हैं। अपनी फाइनेंश्यल पोजीशन को देखते हुए, हम इस हद तक तो अभी नहीं जा सकते और अगर चाहें भी कि किसी और मद से रुपया निकाल कर इसमें लगायें, तो हमारे सामने इस बात की कठिनाई है कि हमारे पास क्वालिफाइड डाक्टर्स, क्वालिफाइड असिस्टेंट सर्जन्स नहीं हैं। हमारे जितने अस्पताल हैं, उन में काफी तादाद ऐसी है, जहां पर हम डाक्टर नहीं भेज सकते, क्योंकि कोई मिलते नहीं। इस वजह से मथुरा में एक वेटरिनरी कालिज खोला गया है, और उसमें हर साल ६० लड़के ऐडमिट किये जाते थे। अब इस साल हमने यह तय किया है कि उसमें सौ लड़के ऐडमिट करेंगे ताकि काफी तादाद डाक्टरों की मिल जाय। और एक दूसरी योजना बना रखी है, जिसमें लाइव स्टाक सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग हो और थोड़े दिन में काफी तादाद उनकी हो जायगी और स्टाकमैन की भी ट्रेनिंग होती है। इस तरह से हम चाहते हैं कि हम को क्वालिफाइड आदमी मिल जायं, ताकि हम सब जगह कहीं स्टाकमैन सेन्टर, कहीं अस्पताल, खोल कर के लोगों की जरूरियात को पूरा कर सकें। इसके अलावा "की विलेज ब्लाक" भी ४७ खोले गये हैं, और हर साल ४ खुलेंगे। हम चाहते हैं कि हर जिले में एक "की ब्लाक" हो। साथ ही साथ एक लिमिटेड एरिया में अपग्रेडिंग का इन्तजाम किया जाय, अच्छे-अच्छे बुल भेजे जायं, अच्छी-अच्छी नस्ल की गायें हों, भैंसें हों, ताकि उनसे ब्रीड में कुछ इम्प्रूवमेंट हो और उन्नति हो, ऐसी भी स्कीम

रखी गयी है। और आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन का भी इन्तजाम किया गया है और उसके लिए काफी तादाद में हमारे सेन्टर हैं और एक साल में कितने हुए वह भी फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं बतलाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। इस तरह से हर प्रकार से चेष्टा की जा रही है कि हमारे यहां ऐसे सेन्टर्स काफी तादाद में हो जायं, जिसमें उन्नतिशील मवेशी रखकर, उनसे अच्छी नस्ल के बुल पैदा कर के हम गांवों में बांटना चाहते हैं। की ब्लाक्स, एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी सेन्टर्स में उनको भेजना चाहते हैं ताकि उनकी सर्विस की वजह से वहां के लोकल जो मवेशी हैं, गायें भैंसें हैं, उनके जो बच्चे हों, वह अच्छी नस्ल के हों, उनसे बेहतर हों।

गोपाष्टमी का सेलिब्रेशन तमाम सूबे में रायज किया गया जो कि खास कर गोवर्द्धन डे को होता है, जिस दिन किसान अपने तमाम खेती का काम बन्द कर देता है। वहां मेले होते हैं और एक्जीबिशन्स होती हैं, मीटिंग होती हैं और जानवरों को उन्नतिशील बनाने के लिए क्या-क्या तरीके हैं, किस ढंग से गायों की परवरिश होनी चाहिए, भैंसों की परवरिश करनी चाहिए, उनके बच्चों को किस तरह से रखा जाय, किस तरह से बीमारी की हालत में उनकी दवादारू का इन्तजाम हो, ये सब बातें बतायी जाती हैं और सिम्पुल लिटरेचर बांटकर लोगों को इन सब बातों की तरफ रागिब किया जाता है और लाखों रुपया इनाम में बांटा जाता है। मैं अभी हाल में बलिया गया था, वहां प्रदर्शिनी थी, तो वहां पर लोग अच्छी गायें, भैंस, और बैल वगैरा लाये। उनको इनाम मिला और वह हर साल लाते हैं और हर साल जानवरों की नस्ल में सुधार होता है। इन सब बातों के लिए यह अनुदान है और मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कमी की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष इस अनुदान में १,२८,७४,००० रुपया रखा गया था। इस वर्ष इसको कम करके १,२५,४०,००० रुपया रखा गया है, यानी इसमें करीब करीब ३,३३,००० रुपये गत वर्ष से कम कर दिये गये हैं। अभी जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि बहुत से काम किये जा रहे हैं, हो रहे हैं और चारों तरफ हो रहे हैं, हम भी मानते हैं और यह सही है। हम देखते हैं कि उन आंकड़ों को जो खंड २ में हैं कि बहुत से कामों में जिनमें आवश्यकता थी, उन में कमी कर दी गयी है। इसकी आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। हम इस दृष्टिकोण से कहते हैं जैसे कि अभी मन्त्री जी ने कहा कि हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़ना चाहिए, लोगों की रक्षा होनी चाहिए, हम जब मनुष्यों की दवा दारू का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, तो जानवरों की चिकित्सा का काम क्या कर पायेंगे, ऐसा मन्त्री महोदय ने कहा। लेकिन जानवरों की उपयोगिता और कई दृष्टियों से है। जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन वगैरः, इसमें यह है कि हमारा उत्तर प्रदेश जो इतना लम्बा-चौड़ा है, तो बहुत से स्थानों में ऐसा है जहां गन्ना पैदा होता है, अनाज पैदा होता है वहां लोगों का मेन खाना अनाज है, लेकिन पहाड़ों पर ऐसा है जहां अनाज नहीं होता है, उनका भोजन यह भी है। उनका मेन खाना अन्न के अलावा बकरी और मुर्गी वगैरा से भी पेट की पूर्ति करते हैं। इसलिए यह देखने की आवश्यकता है जैसा कि अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि उनका व्यापार भी इसी पर निर्भर है और उनका भोजन भी इसी पर निर्भर है। इसके अलावा जितनी उनकी आवश्यकता है, उसके लिए इसी व्यापार के द्वारा बाहर से अनाज वगैरह खरीदते हैं।

यह हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए जानवरों की उपयोगिता इस दृष्टि से भी ज्यादा है, जैसे कि गाय भैंस, बकरी बैल वगैरा खेती के लिए इनकी भी आवश्यकता है। इनसे जो खाद उत्पन्न होती है वह खेती के काम में आती है, चमड़े वगैरा के काम में भी इनकी आवश्यकता है। हमारा एक वेटेरिनरी कालेज है, इसके अलावा ४-५ वेटेरिनरी अस्पताल और खुलेंगे। इसमें लिखा है, कि आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, सीतापुर, वगैरा में खुलेंगे। यह तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि ४३० डाक्टर नहीं हैं और डाक्टरों की बहुत कमी

[श्री गंगाधर मैठाणी]

है और हम देखते हैं कि स्टाफ की बहुत कमी है और विशेषकर मैं तो अपने जिले की बात कहता हूं। मैं चमौली, गढ़वाल का रहने वाला हूं। वहां डाक्टर नहीं हैं, लेकिन कहीं पर स्टाकमैन वगैरा होंगे, यह हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जहां भी आप अस्पताल खोले हैं, वहां भी मैं देखता हूं कि दवाओं की बहुत बड़ी कमी है। दो दृष्टिकोण से मैं बात करना चाहता हूं, एक तो यह कि इस अनुदान में शिक्षा का भी अनुदान है जिस से वेटेरिनरी एजुकेशन दिया जाता है और इसके अलावा उत्पादन का भी अनुदान है, जिससे उत्पादन किया जाता है, और इसके साथ-साथ इस अनुदान में हम यह भी देखते हैं, कि जो आगे एन० ई० एस० ब्लाक वगैरह के लिए सुपरवाइजर वगैरा ट्रेनिंग करेंगे, उनके लिए भी अनुदान है। लेकिन पशु चिकित्सालय कालेज में करीब १७ हजार की कमी कर दी गई है, स्टाक मैनों की ट्रेनिंग में ४ हजार की कमी कर दी गयी है, और स्टेशनों के बनाने में ३१ हजार की कमी कर दी गयी है। अपने जिले का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि जहां-जहां खुले हैं, वहां भी आदमी नहीं हैं। इसलिए वहां अधिक लड़कों को शिक्षा देने की आवश्यकता थी, जिससे इसकी पूर्ति हो।

कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी यहां पर अनुदान है, लेकिन इसको भी जिला या रीजन के दृष्टिकोण से होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां, मैं पहाड़ की बात कहता हूं और यहां भी मैंने देखा है, कि इतनी रद्दी गायें हैं कि प्रत्येक जिले के अन्दर एक-एक केन्द्र ऐसा हो ताकि अच्छी गाय, भैंस और बैल पैदा हो सकें, जिससे अगर जल्दी न हो सके, तो धीरे-धीरे वहां की ब्रीड इम्प्रूव हो और वहां पर पशुधन का विकास हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे गढ़वाल में चमोली तहसील में बहुत से लोगों के पास अनाज नहीं होता है, उनका जीवन पशुओं के व्यापार पर निर्भर है। ऐसे स्थानों पर माननीय मन्त्री जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके बाद जब हम खंड २ में देखते हैं कि इसमें उत्पादन भी किया जाता है, जैसे डेरी फार्म वगैरह तो उसमें अगर माननीय मन्त्री ३४ पेज पर देखेंगे, तो १९५३–५४ की वास्तविक अनुदान जो हैं, उसमें जहां-जहां डेरी फार्म हैं, उन से १९५३–५४ में जो आय हुई है, उसमें १९ लाख की कमी हुई है और इसके अलावा अलीगढ़ और अन्य सरकारी डेरियों में भी १० लाख और कुछ हजार की कमी हुई है, सिर्फ वृद्धि वहां होती है, जहां विद्यार्थियों से फीस ली जाती है, या इसके अलावा जहां आप मुर्गियां बेचते हैं या बुलक्स बेचते हैं या जहां पर कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। यह एक बहुत आवश्यक बात है देखने की कि ये डेरी फार्म्स वगैरह बिलकुल व्यापारिक दृष्टिकोण से हों। इसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से खास कर के एक बात कहूंगा, मैंने पहले भी प्रश्न किया था, कि जैसे गढ़वाल में पीपलकोठी में यह अनुसन्धान किया गया कि जो वहां अंगोरा, मेरीना, और दूसरी जाति की भेड़ बकरियां हैं करीब तीसरी पीढ़ी में उनकी ऊन बिलकुल शुद्ध हो जाती है और मैं समझता हूं कि जो आस्ट्रेलिया से आयी हुई बकरियां हैं, उनसे भी बढ़िया हो रही है। जब उनकी ऊन आस्ट्रेलिया से आयी हुई भेड़, बकरियों से भी अच्छी हो रही है, तो इसका क्या कारण है कि उस इलाके में उन्हें क्यों नहीं फैलाया जाता है। लेकिन मैंने देखा कि वहां जो सेन्टर खुले हैं, उनमें रामपुर बुशैर की भेड़े गयी हैं, जब उस इलाके के अन्दर आस्ट्रेलिया की भेड़ और बकरियों का अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करके देख लिया गया है, वह अच्छी तरह से पनप सकती है, और तीसरी पीढ़ी में विदेशी ऊन से भी बढ़ियां ऊन हो रही है, जिसका सैम्पिल माननीय मन्त्री जी ने भी देखा होगा और अगर न देखा हो तो मंगा कर देख सकते हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन अगर उसका एक्सपेंशन आगे हो तो बड़ी तेज गति से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भेड़ की जात बहुत जल्द फैलती है। वह ऐसा इलाका है, जहां पर अनाज नहीं पैदा होता। यद्यपि वहां कुछ नदियों की गूलें आदि बन रही हैं, लेकिन कुछ इलाका ऐसा है जैसे केदारनाथ की घाटी है, या कालिमठ की घाटी है या मधमेश्वर की घाटी है, उन लोगों का काम भेड़-बकरी, गाय-भैंस, पालने के अलावा खेती वगैरह नहीं होती है। वैसे ही नीती और माड़ा की घाटी के करीब-करीब फिजिकल फीचर्स वैसे ही हैं। वैसा ही तेहरी के ऊपर का इलाका भी है।

उन जगहों पर ज्यादा आवश्यकता इस बात की है। गत वर्ष बहुत सी भेड़ बकरियां बीमारी से मर गयी। इस लिए उन स्थानों दो-दो, तीन-तीन ग्राम सभाओं में एक-एक स्टाकमैन रखने की आवश्यकता है। वे लोग एक मात्र पशुधन पर ही जीवित हैं। वहां फल फूल का विकास भी नहीं है। अगर आप अब विकास करेंगे तो दूसरी बात है। गायों का इम्प्रूव होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक जिले में ऐसा केन्द्र खुल जाय जहां गर्भाधान हो सके। क्योंकि वह क्लाइमेट अलग है अगर वहां गाय इम्प्रूव हो जायं, तो वहां काफी दूध-घी हो सकता है। क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बुड्ढों को भी दूध पीना चाहिए। अगर उनको घी भी मिल जाय, तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि दूध से घी में ज्यादा ताकत है, आयुर्वेद का सिद्धान्त ऐसा है। मैं नहीं जानता कि डाक्टरी क्या सिद्धान्त है। लेकिन आयुर्वेद का यही सिद्धांत है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा कहा है, इसमें एक विशेष काम है, च हे प्रापेगन्डा के दृष्टिकोण से न हो, उसका अच्छा विकास किया जाय।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की कृषि प्रयत्नों के द्वारा और अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्दर जो मुल्क का अन्न संकट समाप्त हो चला है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान गढ़वाल की बढ़ती हुई आबादी, बेरोजगारी और अवकाश प्राप्त फौजी सिपाहियों के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। महोदय, यह मानी हुई बात है कि अंग्रेज सल्तनत के समाप्त होने के पश्चात् गढ़वाल के जो फौजी सिपाहियों का रिडक्शन हुआ है, उससे वहां बेकारी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गयी है। हम उसका सही मानों में यहां इजहार नहीं कर सकते हैं कि आज वहां का फौजी आदमी किस तरह से परेशान है। इसलिए मैं यह सुझाव जो दे रहा हूं, वह इस बात का द्योतक है कि यदि जल्द से जल्द वहां की उस बेकार सिपाहियों का ख्याल न किया गया और पुनर्वासन के तरीके से फिर से बसाया न गया, तो गढ़वाल के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट है, गढ़वाल के लिए ही नहीं, सरकार के लिए भी यह एक बहुत भयानक संकट है। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ४०—५० हजार फौजी आदमी गढ़वाल में बेकार पड़े हुए हैं, उनकी जो रहने-खाने आदि की जरूरतें हैं, उनको सरकार को पूरा करना चाहिए। उनके ऊपर एक बड़ी भीषण समस्या आ गयी है। इसलिए मैं एक सुझाव आपके सामने रखने जा रहा हूं। वह यह है कि गढ़वाल में आज आबादी इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों ने मरघट, गोचर और पनघट सभी को खोद डाला है। इसके अतिरिक्त, जमीन की कमी के कारण अदालती कार्यवाही से भी वे बहुत बरबाद हो रहे हैं, इसलिए उनके लिए यह एक समस्या है कि उनको बसाया कहां जाय। कालागढ़ में जो बांध बनाया जा रहा है, उसमें से हरिद्वार तक एक नहर निकाली जाय और उसके आसपास इन फौजी सिपाहियों, व भूमिहीनों को बसाया जाय और उन को उसी प्रकार की तमाम सुविधा दी जायं, जो गंगा खादर, मेरठ और नैनीताल की तराई में लोगों को दी गई हैं। काशीपुर स्टेट और सारापुर स्टेट व भाभरकंडी के आसपास जितनी जमीनें खाली हैं, उसको इन लोगों को रिलीज कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा कुमायूं डिवीजन प्रदेश का पांचवां भाग है, लेकिन जब कि सारे प्रदेश में जमींदारी प्रथा खत्म हो गयी है, कुमायूं डिवीजन में सरकार उसको अब तक रखे हुए हैं। इसके लिए भी कुमायूं में एक बड़ी अशांति और बिडंबना है। सरकार से यह मांग की जा रही है कि आखिर यह गुलामी का जुआ कुमायूं के कंधे से कब उतरेगा और वह अब तक ज्यों का त्यों क्यों रखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अब इस गुलामी के जुए को उतर जाना चाहिए था, जिस से एक बड़ी राहत लोगों को मिल जायगी।

इसके अलावा एक सुझाव और भी है, वह यह है कि रामनगर की तराई शिवनाथपुर में बहुत सी जमीन बेकार पड़ी हुई हैं। वह जंगलात की जमीन भी नहीं है। सन् १९१४—१८ के बीच में वह भाग आबाद था। सुल्ताना डाकू ने इन गांवों के लोगों को मार भगाया, इसलिए इन ६—७ गांवों के लोग वहां से भाग गये। अब वह जमीन बंजर पड़ी हुई है।

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

वहां के लिए यह भी बात नहीं है कि उसके दे देने से सरकार को कोई नुकसान होगा। इस लिए वह अवकाश प्राप्त सैनिकों व भूमिहीनों को दे दी जाय, तो उनकी समस्या हल हो जायगी।

श्री पहलवानसिंह चौधरी (जिला बांदा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को तीन सुझाव पशुओं के बारे में दे देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो छोटे मवेशी होते हैं, जो काम लायक नहीं होते, उनको बधिया कर दिया जाना बहुत जरूरी है। उनके बधिया न होने से मवेशियों की नस्ल बिगड़ती चली जा रही है।

दूसरी चीज मवेशियों की बीमारी के बारे में है। खुरपका और भौंरा रोग पशुओं के बहुत होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं और उनका इलाज करने वाले जो गांवों में होते हैं, उन को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जाती। उनको सरकार से कोई इमदाद नहीं दी जाती, उनकी कोई प्रधानता नहीं होती। जो भारतवर्ष की पुरानी दवाइयां हैं और जिनको वे लोग जानते हैं, और जिसकी बराबर उन्नति भी होती जा रही है, जिस तरह से आयुर्वेदिक आदि दवाइयों के लिए देहातों में कुछ इमदाद दी जाती है, उसी तरह से उन को भी कुछ इमदाद दी जाय, तो देहात वालों को बड़ी मदद मिलेगी। दूसरी बात यह कि शहरों में जो मवेशी अस्पताल खोले जाते हैं, इससे देहात वालों को बड़ी दिक्कत पड़ती है। पहली बात यह है कि जब वे दवा कराने के लिए यहां आते हैं तो उनके मवेशी के लिए घास नहीं मिलती, उनके खाने-पीने की दिक्कत होती है, ठहरने की दिक्कत होती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष के देहातों में तो यह प्रथा है कि जो लोग आफत के मारे आते हैं, उनको देहात वाले बड़े प्रेम से अपने घरों में रखते हैं। मेरी राय है कि जो पुरानी दवायें हैं, वे विलीन न हो जायं, इसका ख्याल रखना चाहिए। भौंरा रोग और खुरफटा रोग के लिए दवाओं से भले ही फायदा न हो, लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी हैं, जिनके लगाने से देहात वालों को बहुत फायदा होता है। इसलिए जो ऐसी दवायें हैं, उनकी कद्र होनी चाहिए। अगर उनकी कद्र नहीं की जायगी तो नयी तरह की सभ्यता में वे खतम हो जायंगी और भारतवर्ष की जो पुरानी पद्धति है, पुरानी दवायें जो हैं, वे बिलकुल लुप्त हो जायंगी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से मेरा यह सुझाव है कि भारतवर्ष की जो पुरानी दवाये हैं, उनकी जरूर कद्र की जावे और उनकी कुछ मदद जरूर की जावे।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र मैठाणी साहब ने यह कहा कि ग्रान्ट की रकम कुछ कम कर दी गयी है। ठीक ही कहा उन्होंने कि कम कर दी गयी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की है कि एक रुपया और काट दिया जाय। इस सिलसिले में मैं उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि इसमें बहुत से नानरेकरिंग आइटम्स थे, जिनकी इस साल जरूरत नहीं थी, लिहाजा वे काट दिये गये हैं। उधर वह कमी हो गयी और उधर अलीगढ़ डेरी में कुछ कमी हुई है। चारों तरफ से लोगों की यह शिकायत आयी कि वहां बड़ा अपव्यय किया जा रहा है, पैसा बरबाद किया जा रहा है, तो उस दृष्टिकोण से भी जरूरी समझा गया कि उसमें कुछ कमी कर दें। तो एफिशियेंसी में कोई फर्क नहीं आये, इस दृष्टिकोण से उसमें कुछ कमी की गयी है और इसीलिए यह रकम कम दिखायी देती है। लेकिन जहां तक डिपार्टमेंट का ठीक तरह से संचालन करने का सम्बन्ध है, उसमें इस कमी का कोई असर नहीं पड़ा है। हमारे मित्र ने हिल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी कुछ कहा। उस सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि शीप्स डेवेलप्मेंट की स्कीम पहाड़ों में शुरू है, और जिस चीज की शुरूआत छोटी होती है, उसके डेवलप होने की गुंजाइश होती है और शुरुआत में कोई चीज बड़ी नहीं दिखलायी पड़ती है। हम आप भी पहले बहुत छोटे थे, जब कि पैदा हुए, लिहाजा धीरे-धीरे डेवेलपमेंट होकर मैठाणी जी यहां से हम को दिखलायी पड़ते हैं। हिल एरिया में शुरुआत हो गयी है, लेकिन फिलहाल आप को नहीं दिखलायी देता है। शाही जी जो इस विभाग के इन्चार्ज हैं, वे भी पहाड़ी क्षेत्र के ही हैं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र को वे भी कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। लिहाजा मैठाणी जी

को भी विश्वास रखना चाहिए कि उनके इन्तजाम में उनको इग्नोर नहीं किया जायगा। इसके साथ ही साथ ९० हिलमैन ऐज स्टाक मैन को पहाड़ी इलाके के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग पाने के बाद उस इलाके में काम करेंगे। आज कल शुरू में हमको टेक्निकल आदमियों की दिक्कत है, लेकिन जब वे ट्रेंड हो जायेंगे, तो वह दिक्कत भी हमारी दूर हो जायगी। लेकिन यह चीज ऐसी तो है नहीं कि छ मंतर से एक ही दिन में हो जाय। जो कुछ भी इस मामले में हो सकता है, वह धीरे-धीरे ही पूरा हो सकता है। और गवर्नमेंट इस मामले में किसी किस्म की कोई गफलत नहीं कर रही है। मेरे मित्र श्री पहलवान सिंह जी ने बताया कि खराब किस्म के सांड़ नस्ल खराब कर रहे हैं। उसके लिए कैसट्रेशन काफी तादाद में हो रहा है, खराब सांडों का केसट्रेशन कर के हम अच्छी नस्ल के सांड़ भेज रहे हैं, और हम उन के बांदा जिले में भी अच्छी नस्ल के सांड भिजवाने की कोशिश करेंगे, और आर्टिफिशियल तरीके से भी इन-सेमिनेशन का प्रबन्ध किया जायगा। लिहाजा कोई जिला हमारी नजर से बाहर नहीं है, और हम हर जिले की जैसी जरूरत होगी, उस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं तो सब जिलों की बात कहता हूं, हम सब की सेवा करेंगे, जो मुर्गी चाहेंगे, उन को मुर्गी मिलेगी, और जो अन्डा चाहेंगे, उन को अन्डा मिलेगा। मुझे खुशी है कि इस का अधिक विरोध नहीं किया गया। हम तो रकम कम मांगते हैं, इसलिए मैं मैठाणी जी से आशा करूंगा कि वह उस में एक रुपया और कम न करेंगे, और हंसी खुशी से वह इस अनुदान को मंजूर करेंगे ताकि हम विकास का काम आसानी से कर सकें।

श्री गंगाधर मैठाणी——अध्यक्ष महोदय, मुझे रहीम का एक दोहा याद आता है कि——

"यों रहीम सुख होत है बढ़त देखि निज गोत।
ज्यों बड़री अंखियां निरखि आंखिन को सुख होत।।"

मनुष्य भी एक जानवर है, और जानवरों का विकास होते देख कर मन्त्री जी को बड़ी खुशी होती है, और उन को उस से बड़ी शान्ति हो रही है, और इसी उन की खुशी में मैं भी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से इस विभाग का काम हो रहा है, वह और आगे बढ़ाया जायगा और उस में विकास किया जायगा।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३——पशु चिकित्सा (लेखा शीर्षक : ४१——पशु–चिकित्सा) के अन्तर्गत १,२५,४०,००० रुपये की मांग को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर)

बस्ती जिले की कृषि योग्य तथा सरकारी साधनों द्वारा सिंचित भूमि के तहसीलवार आंकड़ों की सूची ।

तहसील	कृषि योग्य भूमि	वर्तमान साधनों द्वारा वास्तविक सिंचित भूमि
	एकड़	एकड़
हरैया	२७,८२,६५	..
डुमरियागंज	२,४५,४७७	..
खलीलाबाद	३,२३,९०७	१२,४९१
बांसी	३५,६९,२६	१७,४२०
बस्ती	३,२०,६२०	१४,७५०
योग	१६,२५,१९५	४४,६६१

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३२३ एल० ए० १९५५—७९६